

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Tenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXI contains Nos.1 to 13)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 3, Friday, December 09, 2022/ Agrahayana 18, 1944 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 41 to 47	18-48
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 48 to 60	49-120
Unstarred Question Nos. 461 to 690	121-848

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	849-859
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT	
9 th Report	860
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION	
22 nd and 23 rd Reports	861
STATEMENTS BY MINISTER	862-863
(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 316 th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on Issues Related to Safety of Women pertaining to the Ministry of Women and Child Development.	862
(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 333 rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 326 th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Women and Child Development.	862
(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 334 th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Issues Related to Safety of Women pertaining to the Ministry of Women and Child Development.	863

- (d) Status of implementation of the recommendations contained in the 338th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Ministry of Women and Child Development.

Shrimati Smriti Zubin Irani

863

BUSINESS OF THE HOUSE

864-65

ELECTION TO COMMITTEE

Central Supervisory Board

866

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY

GRANTS- FIRST BATCH, 2022-23

867

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2019-2020

867

GOVERNMENT BILLS – INTRODUCED

868-871

- (i) The Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Second Amendment) Bill, 2022

868

- (ii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Third Amendment) Bill, 2022

869

- (iii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Fourth Amendment) Bill, 2022

870

- (iv) The Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Fifth Amendment) Bill, 2022.

871

MATTERS UNDER RULE 377

901-923

- (i) Need to set up an AIIMS in Mahoba, Uttar Pradesh

Kunwar Pushpendra Singh Chandel

901-902

- (ii) Need to release funds for setting up Trauma Care Unit in Nuapada district, Odisha
Shri Basanta Kumar Panda 903
- (iii) Regarding opening of 'Border Haat' at Hili Border in South Dinajpur district, West Bengal
Dr. Sukanta Majumdar 904
- (iv) Regarding construction of railway overbridge and underbridge at level crossings in Sitapur Parliamentary Constituency
Shri Ashok Kumar Rawat 905
- (v) Need to take measures for welfare of orphaned children in the country
Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 906
- (vi) Regarding establishment of a central university in Maharashtra
Dr. Sujay Vikhe Patil 907
- (vii) Need to take necessary steps for controlling drugs smuggling
Shri Parvesh Sahib Singh Verma 908
- (viii) Need to send a central team to assess the severity of shortage of seeds and fertilizers in Darbhanga, Bihar
Shri Gopal Jee Thakur 909
- (ix) Need to exclude Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency from National Capital Region
Shri Dharambir Singh 910

- (x) Regarding establishment of a new rail line from Ulkana in Hisar district to Narwana in Sirsa Parliamentary Constituency
Sushri Sunita Duggal 911
- (xi) Need to increase financial assistance for construction of a house under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)
Shri Ashok Mahadeorao Nete 912
- (xii) Regarding inclusion of irrigation projects from Nandurbar under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)
Dr. Heena Vijaykumar Gavit 913
- (xiii) Regarding rejuvenation of Konar river in Jharkhand
Shri Jayant Sinha 914
- (xiv) Need to introduce 'Vande Bharat Express' between Solapur and Mumbai
Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji 915
- (xv) Regarding withdrawal of Goods and Services Tax (GST) on Kendu (Tendu) leaves
Shri Saptagiri Sankar Ulaka 916
- (xvi) Regarding implementation of the proposal of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) regarding LIC
Kumari Ramya Haridas 917

(xvii)	Regarding grant of additional amount to people of Andman and Nicobar Islands under the Ayushman Bharat Scheme	Shri Kuldeep Rai Sharma	918
(xviii)	Regarding resumption of direct train service between Chennai and Tiruvannamalai on daily basis	Shri C. N. Annadurai	919
(xix)	Regarding construction of a concrete bridge over Mundasari river in Arambagh Parliamentary Constituency	Shrimati Aparupa Poddar	920
(xx)	Need to restore operation of local trains between Lonavala and Pune	Shri Shrirang Appa Barne	921
(xxi)	Need to run a passenger train between Saharsa and Patna	Shri Dileshwar Kamait	922
(xxii)	Regarding re-imburement of money to investors who invested in deposit schemes of Sahara India	Shri Ramshiromani Verma	923
Discussion Under Rule 193			924-965
	Need to promote sports in India and steps taken by the Government in this regard		
	Shri Adhir Ranjan Chowdhury		924-930
	Shri Hanuman Beniwal		930-934
	Shri Ritesh Pandey		934-937

Shri Kodikunnil Suresh	938-940
Shri Sanjay Seth	940-942
Shrimati Rama Devi	942-943
Shri Kaushlendra Kumar	943-944
Shri S. Muniswamy	944
Shri Mohammed Faizal P.P.	944-945
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	945-947
Shri Anurag Singh Thakur	947-965
PRIVATE MEMBERS' BILLS – Introduced	970-1030
(i) Railways (Amendment) Bill, 2021 <i>(Insertion of section 11A)</i> By Shri Kodikunnil Suresh	970
(ii) Information Technology (Amendment) Bill, 2021 <i>(Substitution of new section for section 43A)</i> By Shri Kodikunnil Suresh	971
(iii) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021 <i>(Amendment of section 75)</i> By Shri Kodikunnil Suresh	972
(iv) National Authority for Rehabilitation and welfare of Persons living Around Railway Tracks Bill, 2022 By Dr. Alok Kumar Suman	973
(v) Financial Assistance to the State Governments (For Protection of Water Bodies) Bill, 2022 By Dr. Alok Kumar Suman	974

(vi)	Drugs (Price Control) Bill, 2022 By Dr. Alok Kumar Suman	975
(vii)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 <i>(Insertion of new articles 44A and 51A)</i> By Dr. Nishikant Dubey	976
(viii)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2022 <i>(Insertion of new sections 379A and 379B)</i> By Dr. Nishikant Dubey	977
(ix)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2022 <i>(Amendment of sections 326A and 326B)</i> By Dr. Nishikant Dubey	978
(x)	Widows (Protection and welfare) Bill, 2022 By Shri Benny Behanan	979
(xi)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 <i>(Omission of the Tenth Schedule)</i> By Shri Jayant Sinha	980
(xii)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 <i>(Amendment of article 72)</i> By Shri Hibi Eden	981
(xiii)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 <i>(Amendment of article 81, etc.)</i> By Shri Hibi Eden	982
(xiv)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 <i>(Amendment of article 324, etc.)</i> By Shri Manish Tewari	983

(xv)	Climate Migrants (Protection and Rehabilitation) Bill, 2022	
	By Shri Pradyut Bordoloi	984
(xvi)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 (<i>Amendment of the Tenth Schedule</i>)	
	By Adv. Dean Kuriakose	985
(xvii)	Representation of the People (Amendment) Bill, 2022 (<i>Amendment of sections 20 and 20A</i>)	
	By Adv. Dean Kuriakose	986
(xviii)	Debt Relief Board Bill, 2022	
	By Adv. Dean Kuriakose	987
(xix)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 (<i>Insertion of new article 338C</i>)	
	By Dr. Sanjeev Kumar Singari	988
(xx)	National Commission for Indian System of Medicine (Amendment) Bill, 2022 (<i>Amendment of section 2, etc.</i>)	
	By Dr. Sanjeev Kumar Singari	989
(xxi)	Judicial Standards and Accountability Bill, 2022	
	By Dr. Sanjeev Kumar Singari	990
(xxii)	Environment (Protection) Amendment Bill, 2022 (<i>Amendment of sections 2 and 3</i>)	
	By Shri V. K. Sreekandan	991
(xxiii)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2022 (<i>Omission of section 124A, etc.</i>)	
	By Shri V. K. Sreekandan	992

(xxiv)	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Schedule I) By Shri V. K. Sreekandan	993
(xxv)	Housing Facility for Destitute Senior Citizens, Widows and Orphan Children Bill, 2022 By Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi Thangapandian	994
(xxvi)	Special Financial Assistance to the State of Tamil Nadu Bill, 2022 By Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi Thangapandian	995-996
(xxvii)	Prevention of Internet Shutdown Bill, 2022 By Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi Thangapandian	997
(xxviii)	Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022 (Amendment of section 8, etc.) By Shri Thomas Chazhikadan	998
(xxix)	Civilian Awards (Recommendation Committee) Bill, 2019 By Shri Ashok Mahadeorao Nete	999
(xxx)	Forest (Conservation) Amendment Bill, 2020 (Insertion of new sections 3C and 3D) By Shri Tirath Singh Rawat	1000
(xxxi)	Payment of Compensation to Persons Attacked by Wild Animals Bill, 2020 By Shri Tirath Singh Rawat	1001

(xxxii)	Agricultural and Other Rural Workers (Protection and Welfare) Bill, 2022 By Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar	1002
(xxxiii)	Nationalisation of Inter-State Rivers Bill, 2022 By Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar	1003
(xxxiv)	Single Use Plastic (Regulation) Bill, 2022 By Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar	1004
(xxxv)	Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2022 (Amendment of section 86) By Dr. Shashi Tharoor	1005
(xxxvi)	Environment (Protection) Amendment Bill, 2022 (Insertion of new section 3A) By Shri M.K. Raghavan	1006
(xxxvii)	Sanctions on Countries Engaging Territorial Incursion into India Bill, 2022 By Shri M.K. Raghavan	1007
(xxxviii)	All India Institute of Medical Science (Amendment) Bill, 2022 (Insertion of new section 3A) Shri M.K. Raghavan	1008
(xxxix)	Victims of Natural Calamities (Rehabilitation and Financial Assistance) Bill, 2022 By Shri D.M. Kathir Anand	1009

(xl)	Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of section 3, etc.) By Shri D.M. Kathir Anand	1010
(xli)	Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2022 (Insertion of new sections 10A and 10B) By Shri D.M. Kathir Anand	1011
(xlii)	Representation of the People (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of section 58, etc.) By Kunwar Danish Ali	1012
(xlili)	Constitution (Amendment) Bill, 2021 (Amendment of Seventh Schedule) By Shri Jagdambika Pal	1013
(xliv)	Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharti) (Amendment) Bill, 2021 (Amendment of section 3) By Shri Jagdambika Pal	1014
(xlv)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of article 348) By Shri Jagdambika Pal	1015
(xlvi)	Artists (Social Security) Bill, 2019 By Shri Ravi Kishan	1016
(xlvii)	Mentally Retarded Children (Welfare) Bill, 2019 By Shri Ravi Kishan	1017
(xlviii)	Population Control Bill, 2019 By Shri Ravi Kishan	1018

(xlix)	National Commission for Welfare of Female Farmers Bill, 2021	By Shri Ravneet Singh	1019
(I)	Promotion of Cycling Bill, 2021	By Shri Ravneet Singh	1020
(li)	Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of section 12)	By Shri E. T. Mohammed Basheer	1021
(lii)	Prevention of Mob-Lynching Bill, 2022	By Shri E. T. Mohammed Basheer	1022
(liii)	Prevention of Torture Bill, 2022	By Shri E. T. Mohammed Basheer	1023
(liv)	Citizenship (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of section 2, etc.)	By Shri Abdul Khaleque	1025
(lv)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of article 80, etc.)	By Shri Kuldeep Rai Sharma	1026
(lvi)	Central Universities (Amendment) Bill, 2022 (Insertion of new section 3F, etc.)	By Shri Kuldeep Rai Sharma	1027
(lvii)	Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of section 21)	By Shri Kuldeep Rai Sharma	1028

(lviii)	Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 2022 <i>(Amendment of section 7)</i> By Shri Gopal Shetty	1029
(lix)	Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2022 <i>(Insertion of new section 9A, etc.)</i> By Shri Gopal Shetty	1030
	REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2019 (Insertion Of New Section 29AA)	1031-1066
	Shri Gopal Shetty	1031-1040
	Shri Bhartruhari Mahtab	1040-1052
	Shri Abdul Khaleque	1053-1057
	Shri Manoj Kotak	1057-1060
	Kunwar Danish Ali	1061-1066

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	986
Member-wise Index to Unstarred Questions	987-993

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	994
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	995

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 09, 2022/Agrahayana 18, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 41, श्री गणेश सिंह ।

(Q. 41)

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को गुजरात विधान सभा में ऐतिहासिक विजय के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। ... (व्यवधान) मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता प्रकट करूंगा कि जब से उन्होंने देश को संभाला है, तब से सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है और देश आत्मनिर्भर हो रहा है। वर्ष 2014 के पहले देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो आठ सालों में बढ़कर 596 हो गई है। इस तरह से 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो ऐतिहासिक वृद्धि है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। देश में अभी तक 7 एम्स थे, जो अब 22 हो गए हैं। तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति हुई, चौथे चरण में अन्य 100 मेडिकल कॉलेज खोल जाने हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीनियर मेंबर हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में दूसरे चरण में मेडिकल कॉलेज 60 और 40 प्रतिशत भागीदारी से खोला गया था, जिसमें केन्द्र का हिस्सा मिल गया, भवन बनकर भी तैयार हो गया है, लेकिन जो 600 बेड का अस्पताल बनाया जाना है, उसकी राशि अभी तक नहीं मिली है। वह राशि कब तक मिलेगी तथा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कब तक किया जाएगा?... (व्यवधान) वहां क्लास कब से शुरू हो जाएगी? क्या माननीय मंत्री जी सतना मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर केन्द्र सरकार द्वारा देख-रेख में लिए जाने पर विचार करेंगे?

डॉ. मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सतना में जो मेडिकल कॉलेज है, उसके अपग्रेडेशन के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं बताना चाहूंगा कि हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ पहली बार देखा गया है। अगर किसी भी देश को समृद्ध होना है तो प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि देश के

नागरिक स्वस्थ हों। देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। उसके लिए हमने हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक एप्रोच के साथ काम करना शुरू किया है। उसके मुताबिक देश में डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल भी हो, डॉक्टर भी हो, डॉक्टर, हॉस्पिटल से सेकण्डरी और टर्शरी केयर तक एक श्रृंखला बननी चाहिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी है। इसलिए आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है और माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में भी मैं बताना चाहूंगा कि आज देश में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी भारत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है और उसमें यदि सुपरस्पेशियलिटी वार्ड बनाना है, उसके अपग्रेडेशन के लिए भी भारत सरकार आर्थिक सहयोग करती है। सतना के मेडिकल कॉलेज की ओर से जो प्रोजेक्ट आया, रूल्स-रेगुलेशन्स के मुताबिक उसको अपग्रेड करने के लिए, पी.जी. सीट्स बढ़ाने के लिए हम भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग करेंगे।

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जिन आकांक्षी जिलों की पहचान की थी, उनमें से 41 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति हो गई है। यह बहुत सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही एमबीबीएस की 10 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है, इससे गांव-गांव में डॉक्टर पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। सतना मेडिकल कॉलेज की अभी जो निर्धारित सीटें हैं, क्या आप उन्हें और बढ़ाने पर विचार करेंगे?

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के स्टूडेंट को देश में ही एमबीबीएस की एजुकेशन लेने का अवसर मिले, उसके लिए वर्ष 2014 से लगातार प्रयास हो रहा है, ताकि देश के युवा और हमारे विद्यार्थियों को विदेश में जाकर पढ़ने की नौबत न आए। इसलिए भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की सीट्स भी बढ़ाई हैं और कॉलेज भी बढ़ाए हैं। वर्ष 2014 में देश में हमारे पास जो कॉलेजें थे, वे बढ़कर डबल हो गए हैं और पहले जो सीट्स थीं, उनमें भी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष

2014 में एमबीबीएस की 44 हजार सीट्स थीं, वे बढ़कर आज 96 हजार हो गई हैं, यानी एक लाख तक पहुंचने वाली हैं। आने वाले दिनों में भी हम सीट्स बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

दूसरी बात पीजी सीट्स की है कि एमबीबीएस होने के बाद उसको पीजी करने का अवसर मिले। इसमें वर्ष 2014 में 32 हजार सीट्स थीं, आज उनमें 64 हजार बढ़ाकर, यानी 105 परसेंट की बढ़ोत्तरी की गई है। जैसे-जैसे मेडिकल कॉलेज में इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होने के बाद वहां फैकल्टी हो, पेशेंट हों, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, उसके आधार पर वे रिकमेंडेशन करते हैं तथा भारत सरकार उनको सीट बढ़ाने का अप्रूवल देती है। सतना मेडिकल कॉलेज में भी सीट बढ़ाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वहां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था होगी तो हम अवश्य सीट बढ़ाने की अनुमति देंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्न काल में प्रश्न पूछें, भाषण या वक्तव्य न दें।

श्री अशोक महादेवराव नेते: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर् की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कि शायद देश का सबसे बड़ा और घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित अविकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का भारी अभाव है। मैं इससे पूर्व भी सदन में गड़चिरोली में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने हेतु मांग कर चुका हूँ। मुझे आश्चर्य भी किया गया था कि राज्य सरकार से प्रस्ताव आने पर केन्द्र निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करेगा, लेकिन अभी तक राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बारे में दो महीने पूर्व राज्य के डिप्टी सीएम, सीएम गड़चिरोली आए थे। डिप्टी सीएम ने घोषणा भी की थी। ... (व्यवधान) मैं अब प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने जिला कलेक्टर को आदेशित किया था कि सभी संबंधित बातों को पूरा करें।

माननीय अध्यक्ष : वहां घोषणा का प्रश्न से क्या लेना-देना है?

श्री अशोक महादेवराव नेते: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है और इस सदन में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि क्या केन्द्र की ओर से राज्य सरकार से गड़चिरोली में

मेडिकल कॉलेज की स्थापना करावाए जाने से संबंधित प्रस्ताव मंगवाकर वहां कॉलेज की स्थापना करेंगे?

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष जी, दो दृष्टि से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। एक बात यह है कि भारत सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए स्पॉन्सर करती है, जिससे भारत सरकार उसमें अनुदान देती है। उसके लिए हम फेज-1, फेज-2 और फेज-3 कर चुके हैं। उसमें हमने 157 मेडिकल कॉलेजेज दिए हैं।

दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर स्थापित करे और एनएमसी उसको अप्रूवल देती है। अब भारत सरकार की ओर से फेज-4 आएगा और वहां से लोग रिकमेंडेशन करेंगे तो विचार किया जाएगा। यदि स्टेट गवर्नमेंट स्वयं बनाना चाहती है तो एनएमसी की ओर से हम उसको अवश्य अप्रूवल देंगे।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील: सर, मैं आपका अभिनन्दन करता हूं कि आप 157 मेडिकल कॉलेजेज खोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने जवाब के अंदर यह नहीं बताया है, जबकि सवाल में यह पूछा गया है कि फैकल्टी एक बहुत बड़ा मसला है। मेडिकल कॉलेजेज तो खुल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेज हैं, जहां पर प्रोफेसर्स नहीं हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं हैं। मेरे खुद के औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर there is a huge vacancy. वहां हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ऐसे हालात के अंदर आप जब नए मेडिकल कॉलेजेज खोल रहे हैं और एक प्रथा है कि गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को चीट करती है। जब एमसीआई की टीम नए कॉलेज को विजिट करने के लिए आती है तो दूसरे मेडिकल कॉलेजेज से स्टाफ को बुलाते हैं और एमसीआई को ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे पास पूरी तरह से फैकल्टी भर ली गई है। आप इस प्रथा को कब बंद करेंगे? आप सिर्फ एक आंकड़ा बताइएगा कि अक्रॉस दी कंट्री प्रेजेंटली कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज के अंदर हैं?

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरह की बात है। एक, ये कहते हैं कि आप हमें मेडिकल कॉलेज दीजिए। हम मेडिकल कॉलेज देते हैं, तो फैकल्टीज रखना स्टेट गवर्नमेंट की

जिम्मेदारी होती है, अगर वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो जिम्मेवारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है। हम यहां से इंस्पेक्शन कराते हैं और इंस्पेक्शन के समय उसके पास से एक अंडरस्टैंडिंग एवं एफिडेविट भी लेते हैं। अगर वे कहते हैं कि हमारे पास फैकल्टीज पर्याप्त मात्रा में हैं, तो हम वहां जा कर इंस्पेक्शन करते हैं, तो वे वहां होती हैं। वह इंटिग्रिटी का सवाल है, जो कॉलेज चालू करते हैं, उन्हें स्वयं ही ये देखना चाहिए। अगर वे वहां फैकल्टीज नहीं रखते हैं, तो बच्चों के साथ अच्छा नहीं होता है। इसलिए मेरा सभी को सुझाव है कि फैकल्टीज होनी चाहिए। हम भी यहां से प्रेस कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हम ने सिस्टम बदल दिया है। यदि एक मेडिकल कॉलेज चल रहा हो और वहां एक बार ही इंस्पेक्शन हुआ है और उसके आधार पर सारे वर्ष का आकलन किया जाए, तो वह उचित नहीं है। इसलिए हमने एक एनएमसी में कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर स्थापित किया है। वहां 16 कैमराज हैं और उन 16 कैमराज के माध्यम से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, उसके गेट पर कितने लोग आते हैं, ओपीडी कितनी हो रही है, कितने इंडोर पेशेंट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन लाइव होती है और उसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा कर वहां की फैकल्टीज, पेशेंट्स, इंडोर पेशेंट्स, सभी का आकलन होता है। हम उसके आधार पर तय करते हैं कि उसको आगे सीट्स देनी है या नहीं देनी है। बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, यह पुरानी बात हो चुकी है। क्यों, ऐसा-वैसा घपला करके मेडिकल कॉलेज चलाते थे, ऐसे यह नहीं चलाना है। हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है। हमें क्वालिटी के डॉक्टर्स तैयार करने हैं। हम यह करने के लिए मेरिट पर जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैसिलिटीज हों, उसे ही यह देना है। हमने ऐसे कई मेडिकल कॉलेज बंद भी किए हैं और कई मेडिकल कॉलेज पर एक्शन होना है... (व्यवधान)

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील: सर, वैकेंसीज कितनी है?

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके पास फैकल्टीज नहीं हैं, व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी नहीं चलाना चाहिए। वह देश के भावी डॉक्टर्स के लिए अच्छा नहीं है और सरकार उसके लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : सर, वैकेंसीज कितनी है?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। यह एक अच्छी परंपरा नहीं है। मैंने आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया था। आप मंत्री जी का जवाब पूरा होने दीजिए एवं बीच में कभी डिस्टर्बेंस न करें।

SHRI T. R. BAALU: Speaker Sir, first of all, I take this opportunity to appreciate the hon. Minister for his pragmatic approach to eradicate COVID-19 pandemic which has spread throughout the world. Particularly, Tamil Nadu has eradicated the pandemic with the help of our friend, hon. Health Minister. Whenever the Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy Stalin has sent letters to the Central Government, the hon. Minister, who is in charge of the Health Ministry has helped a lot. He has sent assistance through cylinders, tankers and trains and also vaccines to fully eradicate COVID-19 pandemic in Tamil Nadu.

But now the funny thing is this. The foundation of AIIMS Madurai was laid by the hon. Prime Minister of India during 2019, just before the elections. The compound wall has been successfully constructed; the land is there.

You will be surprised to know that on 12.12.2022, they are going to start the MBBS classes with 50 students in the Government Medical College, Ramanathapuram which is 150 kilometres away from this site. Its mentor institute is in Puducherry which is 400 kilometres away from Madurai. This is the funny thing which is prevailing there.

See, the last election is over. Now, the next election is coming in 2024. When are you going to have the infrastructure, that is the entire building? Kindly throw some light on it. The project has to be completed quickly.

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्माननीय बालू जी ने बताया है, यह बात सही है कि मदुरै एम्स का शिलान्यास प्रधान मंत्री जी ने किया था। वह “जायका फंड” से होना था। उसकी प्राइस 12 सौ करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन उस समय इसमें समय **लगा**।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका हम लोकार्पण भी करते ही हैं। लेकिन एक घटना की वजह से, जायका फंड से जो एम्स बननी थी, कोविड क्राइसिस की वजह से उसकी टीम इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी लेट आई, उन्होंने इंस्पेक्शन किया। उन्होंने बनने वाले एम्स के स्ट्रक्चर और डिजाइन में भी कुछ चेंज किया और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसे बढ़ाने के लिए भी कुछ सजेशन दिया। इसलिए उसकी प्राइस 19 सौ करोड़ रुपए हो गई। 19 सौ करोड़ रुपए के लिए हमें फिर से एप्रूवल के लिए प्रॉसेस करना पड़ा। एप्रूवल मिलने के बाद जायका ने भी उसको मान लिया। जायका ने भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। अभी उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी लगाई गई है। कुछ दिनों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्पनी टेंडर फ्लोट करके, टेंडर फाइनल करके तुरंत उसका काम हम प्रारंभ कर देंगे क्योंकि उसका शिलान्यास हो चुका है। इसके बारे में चिन्ता का कोई कारण नहीं है। माननीय बालू जी से मेरी विनती है कि इसके कारण वहाँ पर कोई पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए। हमने तय किया है कि इसे करना है। टेक्निकल विषय की वजह से, प्रॉसेस की वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया था। हम मदुरै में एम्स बनाएंगे। बच्चों ने वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया है। वे स्टूडेंट्स, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, वे ही एम्स में पढ़ेंगे। वहाँ एक अच्छी एम्स बनेगी और तमिलनाडु की जनता की सेवा करेगी। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। भारत सरकार का कमिट्मेंट है कि वहाँ पर एम्स बनेगा। ... (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What about Kerala?

माननीय अध्यक्ष : क्या इस तरह से बैठे-बैठे बोला जाता है? You are a six-time Member of Parliament.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Seven times, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

सतारा, जो छत्रपति साहू महाराज की राजधानी है, वहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है, लेकिन अन्य बिल्डिंग्स और लेबोरेट्री की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पता नहीं, यदि अन्य बिल्डिंग्स और होस्टल नहीं बने, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वहाँ लेबोरेट्री भी नहीं बन रही है। यदि किसी कारण से देर हो रही है, तो भारत सरकार की ओर से कोई कमेटी जाकर उसे देखे। यदि कोई स्थानीय प्रॉब्लम है या ऊपर से कोई प्रॉब्लम तैयार की गई है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो उसे दूर करके बिल्डिंग्स कम्प्लीट करायी जाए। जो बच्चे आशा से छत्रपति साहू महाराज की राजधानी में पढ़ना चाहते हैं, उनको राहत मिलेगी। उनको यह राहत कब मिलेगी, यह आप बताएंगे, तो कृपा होगी।

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह सही है। कई जगहों पर भारत सरकार ने स्पांसर करके व स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने उसको अप्रूवल दे दिया। बाद में, स्टेट गवर्नमेंट उसका कंस्ट्रक्शन करती है, उसे संभालती है, हम उसको पैसे देते हैं। मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू किया। जिस स्टेट में कंस्ट्रक्शन वर्क स्लो चल रहा है या स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप तुरंत उसे चालू कीजिए ताकि बच्चों को बाहर अन्य जगहों पर रहने की नौबत न आए, उन्हें पढ़ने का अच्छा अवसर मिले। इसके लिए मैं भी भारत सरकार की ओर से फॉलो-अप कर रहा हूँ। आप भी राज्य सरकार को बोलिए और मैं भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 42, श्री मोहनभाई कुंडारिया ।

(Q. 42)

श्री मोहनभाई कुंडारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंतर्गत राजकोट और मोरबी में पासपोर्ट परियोजना के तहत पासपोर्ट बनाने का जो तरीका है, वह जल्दी हो। इस संबंध में, क्या सरकार पासपोर्ट मेले के आयोजन हेतु कोई विचार कर रही है?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, through you, I would like to inform the House that we have a very large diaspora. There are around 32 million Indians who are staying abroad, either as NRIs or PIOs. In the last eight years, passport service has improved a lot. I would say that it has increased by around 500 percentage. The number of passport offices, for processing of passports, which was 110 before 2014, now stands above 550.

I would like to inform the hon. Member that in the whole country, from June 2022 onwards, we have held 234 Passport Melas. During the next three weeks we are planning to hold another 500 Passport Melas across the country. So, we are there to facilitate any Indian citizen who wishes to get a passport. We will make all efforts to ensure that every Indian gets a passport.

श्री मोहनभाई कुंडारिया : अध्यक्ष जी, गुजरात में क्षेत्रीय कार्यालय में पहले जितनी एप्लीकेशन्स आती थीं, अब उससे दोगुनी ज्यादा एप्लीकेशन्स आ रही हैं। वहां कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

SHRI V. MURALEEDHARAN: During the last one year, in Gujarat also, we have been issuing passports through all these offices. We are taking care of the applications that we have been receiving. Every effort is being made to fulfil the requests that we have been receiving.

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक जिले का नाम शहीद भगत सिंह नगर है और उसे नवां शहर भी कहते हैं। वहां के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, जैसे कनाडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, यूरोप आदि हैं। मैं पिछले साढ़े तीन साल से विदेश मंत्री जी से विनती कर रहा हूं कि वहां एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिया जाए। मंत्रालय की तरफ से यह जवाब आया कि हमारे पास वहां पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए जगह नहीं है। हमने वहां पोस्ट आफिस में म्युनिसिपल काउंसिल और डाक विभाग से मिलकर एक आलीशान भवन का निर्माण कराया। पिछले एक साल से वह भवन खाली है। रीजनल पासपोर्ट आफिस, जालंधर के अधिकारी निरंतर लिखकर भेज रहे हैं कि वहां सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है और उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को आपरेशनलाइज करना है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को आपरेशनलाइज करेगी और करेगी तो कितनी देर में करेगी और नहीं करेगी तो उसका क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह एक विपक्ष के सांसद का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए आप वहां काम नहीं करना चाहते हैं।

SHRI V. MURALEEDHARAN: During the last eight years, the Government of India, under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, has been extending the facility of Passport Seva Kendras across the country -- whether it is an Opposition-ruled State or it is a constituency represented by an hon. Member from the Opposition. I have personally inaugurated Passport Seva Kendras in the constituencies of the hon. Members of Parliament from the Congress Party in Kerala. So, we have never made it a criterion for inaugurating Passport Seva Kendras. Earlier, there were limited numbers of Passport Seva Kendras. Now, we have extended it to each and every Lok Sabha Constituency, subject to the condition that there should be a facility of Post Office. We have

been taking steps to see that Post Office Passport Seva Kendras are opened. ...

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन।

... (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI: Hon. Speaker, Sir, with your permission, I would like to ask one question to the hon. Minister. The building is ready. The infrastructure is ready. ... *(Interruptions)* All you need to do is to operationalise the passport offices. Kindly tell me how long it will take for you to operationalise the passport offices. I am asking you a direct question. ... *(Interruptions)* Kindly give me a direct answer. ... *(Interruptions)*

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Thank you very much, hon. Speaker, Sir.

I would like to bring the attention of the hon. Minister to an important issue. It is about K.Nalini, a sister of ours from Sri Lanka, a brethren. She is a Sri Lankan refugee and a resident of a refugee camp in Trichy. Recently, as directed by the hon. High Court, she received her passport. She had fled from Sri Lanka back in 1980s during the initial stages of the 'Black July', which afterwards, was followed by genocide of our brethren Tamilians there. She has been living in the refugee camp ever since with her family.

Sir, in this scenario, I would like to ask one question. Does the Ministry currently issue passports? Does the Ministry have plans to issue passports to children of Sri Lankans born in Indian territory? If so, has any passport been

issued? Do you have any plans to issue it in the future because it is a very important issue? Thank you.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, the original question is related to passport melas in the State of Gujarat. This is a policy matter which is not connected with the original question. So, I would like to request the hon. Member to come over to me so that we can definitely discuss the concerns that she wants to raise.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA: Sir, the Regional Passport Officers have to deal with 1000-1200 appointments on a daily basis. So, does the Government plan to establish more regional passport offices to decrease this burden, thus reducing the delays caused in getting appointments?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I would like to inform the Member, through you, that our endeavour is to see that in every Lok Sabha constituency there is a post office Passport Seva Kendra at the minimum and now, we have made it a system that anybody can apply for a passport anywhere in the country. It is not required that he should apply in his own area. So, the number of applications that come is not a problem. We are, at present, in a position where we can deal with any number of applications and whenever the pendency increases, we have been holding the passport melas as I mentioned earlier.

Five hundred such melas are being organized in the coming three weeks of this month so that the pendency is reduced. I would like to inform the hon. Member that on the basis of the number of applications received, every effort will be undertaken to see that no person who applies for a passport is denied a passport.

माननीय अध्यक्ष : दादा, अब प्रश्नकाल के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम चुनकर आए हैं उन माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 43, एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ा।

(Q.43)

ADV. A.M. ARIFF: Sir, first of all, I would like to extend my sincere thanks to the hon. Minister for identifying four projects under Sagarmala Project in my Parliamentary Constituency. Out of this, the cost of Alappuzha Heritage Project (Maritime Museum) is Rs. 50 crore and it is a very important project. In addition to these four projects, the Kerala Maritime Board is understood to have prepared a project called Alappuzha Marina cum Cargo Port for the development of Alappuzha port which is expected to cost about Rs. 50 crore only.

I would like to know whether the Government is considering including the project under Sagarmala project and providing financial assistance. I would also like to know from the hon. Minister about the progress made in implementing the above mentioned in Alappuzha Heritage Project (Maritime Museum).

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, I am thankful to the respected Member of Parliament Mr. Ariff. We all know that Kerala is a God's own State. It is one of the most beautiful States in the country.

In the tourism sector, we have discovered that a lot of potential is there whether it be in the backwaters, whether it be in the greenery, landscape, and all the culture and heritage. So, the hon. Member of Parliament has requested by writing a letter to me regarding this particular project. I have already reviewed all the projects and we are now waiting from the State Government of Kerala to receive a proposal. Once we receive the proposal, we are definitely going to take up it very positively.

ADV. A.M. ARIFF: The Alappuzha lighthouse is a heritage structure. The feasibility report and architectural design has already been submitted through the Directorate General of Lighthouses in Cochin for the construction of an external lift for the benefit of elderly people, particularly, the people who find it difficult to climb the stairs.

I would like to know whether the Government will expedite the sanction of the estimates and take necessary steps for early completion of this project, at least by mid-2023.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Hon. Speaker, Sir, this particular project, as you all know, is being very carefully monitored by the CRZ and also by all other environment-related agencies. In this regard, the concerned agencies are very carefully examining this project and once we get the proposal from the State Government, then, definitely we are going to take it up.

SUSHRI MIMI CHAKRABORTY: Sir, thank you very much for giving me this opportunity. We are talking about the Sagarmala project here and I hail from Bengal. I would like to know about the details of development, particularly, about the present status of the Haldia based Sagarmala project of West Bengal and the progress of Haldia Dock Complex, Kolkata Port Trust and of the projects which have completed their DPRs and also about the status of the Expressway from Panagarh to Durgapur to Haldia.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Hon. Speaker, Sir, I, through you, would like to reply to the question raised by the hon. Member. The hon.

Prime Minister has taken many initiatives for the Sagarmala project which is spread over 7500 kilometres of coastal area and 14,500 kilometres in inland waterways. I would like to mention that we already have the Haldia-Cochin Shipyard sector in Hooghly ... (*Interruptions*)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Hon. Speaker, Sir, regarding this particular project, let me tell the House frankly, the hon. Prime Minister's vision, through this Sagarmala programme, is mainly to develop the coastal areas spread over 7500 kilometres and along with that a stretch of 14,500 kilometres inland waterways. Keeping that in view, under the Sagarmala programme we have identified 802 projects. Out of these, so far 220 projects have already been completed; 220 projects are under implementation and the rest of them are under different stages of development. Recently, we had a detailed discussion with all the stakeholders, namely, the State Governments, the State Maritime Boards and others.

This is a programme which is being implemented through a convergence mode. If the hon. Member of Parliament wants to have the details on the specific issues raised, then I would give her the details after this. ... (*Interruptions*)

Sir, let me inform the House, ... (*Interruptions*) you are a senior Member of Parliament and I respect you a lot ... (*Interruptions*) So, all the projects under the Sagarmala programme, whether it is port modernisation, or whether it is port-led connectivity, or, port-led industrial development, or port-led coastal community development – all the components involved in this programme – have been very seriously taken up with an investment worth Rs. 5.5 lakh crore.

The Government aims to complete this programme by 2035. This is the project plan and we are proceeding very comfortably with the support of all the stakeholders.

श्री सौमित्र खान: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि नवद्वीप, मायापुर, गंगा और दीघा सागरमाला परियोजना के अंतर्गत जितने कोस्टल एरियाज़ हैं, भारत सरकार हर जगह में काम कर रही है। इन जगहों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना फंड स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने फंड से इनके डेवलपमेंट और टूरिज्म के लिए कितना काम कर रही है?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, in this respect, I will give the State-wise details including figures on whatever initiatives we have taken. As this particular Question pertains to the importance of tourism of Kerala, I believe, the hon. Member will definitely get the details after this Question gets over.

SHRI HIBI EDEN: Sir, the Question relates to coastal tourism. If coastal tourism has to be developed, the life and livelihood of fishermen have to be in a much better condition. After 2015, not a single rupee has been spent by the Central Government for building the seawalls and groins in the coastal belt. A huge amount of money is allocated to Sagarmala and the Ministry is implementing a lot of developmental projects under it. I thank the hon. Minister for developing the Thoppumpady Fisheries Harbour which has one of the major catches for the fishermen and their livelihood is depending on it. I appreciate the project. I would like the hon. Minister to come for the inauguration as well, as I have already requested him.

The point is, the Government should give money from the Sagarmala Project to build the seawalls and groins and thus develop the sea coast. Will the Government or the Minister take initiatives for the development of the harbours and the fishermen community at large?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, if we get any proposal of this kind from the respective State Government, we will definitely look into the matter.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 44, श्री गिरीश भालचन्द्र बापट – उपस्थित नहीं।

श्री राहुल रमेश शेवाले – उपस्थित नहीं।

(Q. 44)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, regarding the coastal development and shipping, I would like to ask a specific question to the hon. Minister.

When Shri Mansukh Mandaviya was the Minister of Ports, Shipping and Waterways, he had convened a meeting of all the Members of Parliament from coastal areas and had a detailed discussion about the comprehensive development of the coastal areas including the shipping sector. And the comprehensive Sagarmala project was there. We have submitted a number of projects for the development of the coastal area. I would like to know from the hon. Minister the fate of that project which was one of the dream projects of the hon. Prime Minister. That was the illustration made or presented when the meeting was convened in which the then Minister was there.

I would like to know about it from the hon. Minister. My constituency, Kollam, is included in the Sagarmala Project but unfortunately, nothing has happened after having that online meeting and submission of the projects from various coastal constituencies. What is the fate of those projects? I would like to have your reply on this specific question.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker Sir, the hon. Member of Parliament has highlighted some of the points related to his constituency. I would request the hon. Member, through you Sir, to please hand over the list of those projects to me so that I can have a look into it.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, the reply says that the objective is to develop and promote Circular Economy and capacity development. I thank the hon. Minister for including Tuticorin Port also into this Scheme.

There has been a promise already that Tuticorin Port will be converted into a transshipment hub. I do not know what progress has been made there in this regard. I would also like to ask whether the local stakeholders will be included in these projects. I want to know whether it will be ensured that the employment is generated in the local areas where these projects are taken up.

In Tuticorin Port itself, when CSR funds are given, it is given in other areas. The local people do not get any benefit out of it from the Port. So, I request the hon. Minister to ensure that the local people will get the opportunities.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, after detailed consultation with all the stakeholders, we have included 567 projects mainly for the holistic development of coastal community of all the coastal districts with an investment of Rs.58,000 crore. That is the principal objective. So, we included all the proposals received from the concerned State Governments into that Scheme.

As you know, the Sagarmala Programme is always implemented in consultation with all the stakeholders. I think whatever little bit of apprehension you have in your mind, you need not worry about it. We are very transparent in this matter. This Ministry is working hard under the direction of hon. Prime Minister for the cause of the country with full transparency and accountability.

Whatever we are doing, it is only to benefit the coastal community whether it is fishermen or others like eligible boys and girls who have skills. And we are also giving training to those youths so that they can be capable enough to meet any kind of challenges in their life in near future.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 45, श्री कल्याण बनर्जी ।

(Q.45)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, the COVID-19 pandemic has disrupted non-COVID healthcare system, leading to concerns about the subsequent impact on non-COVID disease conditions. The diagnosis and treatment of cancer is also affected. Sir, since 31st May, 2020, there has been a reduction of 54 per cent in the number of patients registered; there has been a reduction of 46 per cent in follow-up visits; there has been a reduction of 36 per cent in hospital admissions; there has been a reduction of 37 per cent in out-patient chemotherapy cases; there has been a reduction of 52 per cent in minor surgery cases; there has been a reduction of 38 per cent reduction in pathological diagnosis cases and there has been a reduction of 43 per cent in radiological diagnosis cases. In this backdrop, I want to know whether the Government is having a plan to start Cancer Detection Centre and Initial Care Service in the rural primary health centres in the country, especially in the case of easy to detect earlier stage of breast and prostate cancer.

डॉ. भारती प्रवीण पवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कैंसर के बारे में जो चिंता जताई है, मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि कोविड के कारण ज़रूर कुछ संख्या कम हुई है। कोविड के कारण कैंसर के पेशेंट की स्क्रीनिंग हो या ट्रीटमेंट हो, उस समय थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन कोविड के बाद अब स्क्रीनिंग भी बढ़ गई है और लगातार एचडब्ल्यूसी – हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, भी चल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में ये सेवाएं बढ़नी चाहिए।

So, keeping this thing in view, we are going to increase our 1.5 lakh health and wellness centres throughout the country and through these centres, we are providing very good health screening services.

So, our aim is to concentrate more on screening. आज अगर देखा जाए तो एच.डब्ल्यू.सी. के थ्रू हमने लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर और 5.53 करोड़ सर्वाइकल कैंसर के केसेज को डिटेक्ट किया है। ये बहुत ही गम्भीर और चिंताजनक आंकड़े हैं। लेकिन, फिर भी हम अर्ली डायग्नोसिस पर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, पी.एच.सी., सब-सेन्टर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसकी सेवाएं हैं। इसके बाद रोगी को टर्शियरी केयर की सुविधा मिले, इसके लिए हम लगातार, जैसा कि पहले ही जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और एम्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, इन आठ सालों में हमारे लगभग 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ी है और 20 टर्शियरी केयर सेन्टर्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में हमारे 3 टर्शियरी केयर कैंसर सेन्टर्स (टी.सी.सी.) हैं। इसके अलावा, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, झज्जर, जो कि एक बहुत बड़ा सेन्टर है और चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, जो कि 460 बेड्स का है।

सर, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है कि कैंसर के लिए हर जिले में, हर राज्य में सुविधा उपलब्ध हो।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, on my first supplementary on the rural and primary health centres, she has given some answers in respect of the cities.

My second Supplementary is: whether the Government is having any plan to expand the scope and function of population based cancer registered centres which presently cover 10 per cent population of India from 38 centres to all major cancer research hospitals of the States and districts in the country.

DR. BHARTI PRAVIN PAWAR: Sir, regarding the registry, I would like to mention to the hon. Member that as per the National Cancer Registry Programme, the estimated number of cancer patients as of 2020 is 13.92 lakh; and the estimated projected increase is 12.8 per cent.

सर, इन्होंने जो चिंता जताई है, उस पर सरकार ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। According to that, Sir, वर्ष 2025 तक यह संख्या 15 लाख तक बढ़ सकती है। इसका काम ऑलरेडी शुरू है। जैसा कि माननीय सदस्य ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में बात की है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज लगभग 707 जिलों में एन.एच.एम. के माध्यम से हमारे एन.सी.डी. क्लीनिक्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियो-वैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक की सुविधा उपलब्ध है।

डॉ. एस. टी. हसन: सर, हम सब लोग जानते हैं कि 'Prevention is better than cure.' कैंसर की समस्या देश के अन्दर एक विकराल रूप ले रही है। यह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनियंत्रित टेलिफोन टावर्स, खाद्य पदार्थों में मिलावट और इंसेक्टिसाइड्स का बेतहाशा उपयोग कैंसर को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या सरकार के पास इन्हें प्रिवेंट करने का कोई उपाय है या कोई स्ट्रैटजी है?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आपने अलग-अलग कारणों से कैंसर होने की चिंता जताई है तो हम जो हर साल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं तो उसमें यही अवेयर किया जाता है कि हमारी क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, हम क्या अवॉयड करें। अलग-अलग कारणों से आज बढ़ते हुए कैंसर की चिंता हमें नजर आती है। इसके लिए अलग-अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं और ये प्रोग्राम्स हर मिनिस्ट्री के माध्यम से किए जाते हैं।

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब गुजरात से आते हैं तो इन्हें मुबारकबाद तो बनती है। गुजरात की जनता ने जो मैनडेट दिया है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रही थी कि जो भी क्रॉनिक डिजीजेज़ हैं, चाहे उसमें हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, कैंसर ट्रीटमेंट और एसिड अटैक इत्यादि हैं, इसके हमारे जो भी मरीज़ हैं, उन्हें पी.एम. नेशनल रिलीफ फण्ड से बहुत ज्यादा सहायता मिलती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या कैंसर पेशेन्ट्स एक साथ हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर फण्ड के लिए भी एप्लाई कर सकते हैं और क्या आप इससे भी उन्हें सहायता

दे सकते हैं? यह बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन है क्योंकि कैंसर के पेशेन्ट्स को उसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर मैं अपनी कंस्टीट्यूएन्सी की बात करूँ तो मैंने पीएम नेशनल रिलीफ फंड से सहायता के लिए बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट भेजी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सहायता भी दी है।

माननीय अध्यक्ष: आपका विषय आ गया है। अब मंत्री जी जवाब देंगे।

माननीय सदस्य, आप पूरा एक्सप्लेन न करें।

डॉ. भारती प्रवीण पवार: माननीय स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह बात भी कहना चाहूँगी कि जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि पीएम केयर फंड के माध्यम से पेशेन्ट को मदद मिलती है और यह बहुत जरूरी भी है।

इसके अलावा, हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। आज इस योजना के माध्यम से कैंसर के पेशेन्ट्स को मदद दी जा रही है। इसके साथ ही माननीय सदस्य ने ऋण के बारे में पूछा कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत हेल्थ मिनिस्ट्री कैंसर पेशेन्ट फंड के माध्यम से पेशेन्ट्स के लिए धन प्रोवाइड किया जाता है। इसके तहत 15 लाख रुपये प्रति पेशेन्ट के हिसाब से मदद दी जाती है। वर्ष 2015 से लेकर आज तक सरकार ने लगभग 107 करोड़ रुपये की राशि 15,000 पेशेन्ट्स के लिए उपलब्ध करायी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र या 'अमृत' के माध्यम से भी सुविधा दी जाती है।

SHRI BENNY BEHANAN: Thank you, Speaker, Sir. How is the Government intending to tackle the problem of childhood cancer in the country? According to WHO, India is home to 20 per cent of the global childhood cancer burden with nearly 75,000 Indian children suffering from cancer every year. As per the findings of NCDIR and WHO, nearly 49 per cent of paediatric cancer cases in India remain undiagnosed. What measures does the Government plan to take to address these findings?

डॉ. भारती प्रवीण पवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई, वह पहले भी जवाब में आ चुकी है। चाहे वह चाइल्डहुड कैंसर हो या एडल्ट का कैंसर हो, जिसमें हम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर के लिए एन.एच.एम. के माध्यम से एन.सी.डी. क्लिनिक चला रहे हैं, उसमें स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। हम एन.एच.एम. के तहत आर.बी.एस. के माध्यम से हर जिला लेवल पर कैंप लगाते हैं, जिसमें हम बच्चों को भी डाइग्नोस करते हैं। Through that, Sir, we are focussing on early detection and simultaneously on treatment also.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 46, डॉ. लोरहो फोज़,।

(Q. 46)

DR. LORHO PFOZE: Thank you, Speaker, Sir. The hon. Minister who is also from the North East has given us a very detailed reply on my question of development of river ports and inland waterways. I would like to thank him.

Sir, I would like to ask one very specific question. The District of Lakhimpur in Assam, upstream upto Tipaikukh and further on upto Tol-bung, this is a part of the river Barak. I would like to know whether there is any proposal specifically to develop this waterways. It is because waterways in this area has been there since the British time. But post-Independence, in some ways, it has been stopped. I would further request the Government to restore it again.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, the hon. Member of Parliament has mentioned about the 16th National Waterways, the Barak. After going through the techno economic feasibility report, we have come to know that it is not feasible because of the existence of rocky kind of surface in this particular river toward Tipkai. The hon. Member of Parliament can understand it very well. Instead of going through the river, which is not feasible, we have decided to set up five jetties between Jiribam and Tamenglong Districts of Manipur. These particular jetties will definitely help the people to have the access or cross the river tract. In this regard, my Ministry is very sincerely working with the Government of Manipur. I believe, this will definitely help the people living on both sides of the river.

DR. LORHO PFOZE: Sir, I have a small supplementary question.

As I just mentioned, during the British time, the waterways were already there. Yes, we also know that the rivers are shallow. However, with dredging, the smaller vessels can go further upstream. The road system is also very poor. That is why, people especially living across the border along the Barak River, face a lot of problem in commuting. So, it would be good if the waterways can be developed there. Right now, the roadways are also being developed but it is taking too much time. From time to time, landslides and other things also hamper the transportation.

So, the riverways and waterways will definitely act as a boon for the people living across the States, especially in Mizoram and Manipur after Tamenglong. Then, of course, beyond this, there is a place called Tlabung which is rocky due to which people face a lot of problem. So, please consider this. Thank you.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I think, it would be better for the commoners to use draught depth in different locations of the river instead of going in for dredging because it is not really feasible. It is totally rocky towards the upstream. That is why, we have requested the State Government of Manipur to prepare their proposal and send that to us. There was a proposal to construct the cross-river jetty. So, once we receive their proposal, as per the feasibility, we will definitely take it up.

श्री अब्दुल खालेक : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मंत्री महोदय ने जोगीघोपा के बारे में बताया। मेरे क्षेत्र के जोगीघोपा में एक टर्मिनल होगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय के जरिए आपसे जानना चाहता हूँ कि टर्मिनल के काम की कितनी प्रोग्रेस हुई, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? अगर शुरू हुआ, तो शुरू होने के वक्त लोकल एमपी होने के नाते मुझे भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं मिली।

दूसरी बात, मंत्री जी ने बताया कि असम के 55 घाटों में फ्लोटिंग टर्मिनल्स होंगे। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वे भी असम से आते हैं। उन्होंने लिस्ट नहीं दी है, मैं मंत्री जी से इसके लिए निवेदन करता हूँ। बोहरी, जहां पर श्री श्री दामोदर देव की सत्र भी है और मंत्री महोदय हमेशा कृष्ण गुरु आश्रम जाते हैं, जो यहां से यह नजदीक होगा। मुझे नहीं पता कि इस लिस्ट में बोहरी घाट है या नहीं, बघबर घाट है या नहीं। लेकिन, अगर नहीं है तो इनको इन्क्लूड करना चाहिए। ब्रिटिश टाइम में ताराबरी नाम से एक घाट था। क्या उस घाट के डेवलपमेंट का एजेंडा लेंगे या बोहरी घाट का ही ताराबरी नामकरण करेंगे? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। बेकी बेसिन नेशनल वाटरवेज में आता है। बेकी बेसिन के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं मंत्री जी से इस पर कुछ करने के लिए निवेदन करता हूँ।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने जो बात कही है, मैं इतना ही कहूंगा कि वे असम से बिलांग करते हैं। हमारे साथ माननीय सांसद जी डिटेल में चर्चा करें। हमारे पास जो भी सूची है, जहां-जहां हम लोगों ने जो भी कदम उठाये हैं, उनके बारे में मैं सांसद जी को निश्चित रूप से अवगत कराऊंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 47, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ।

(Q.47)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO: Sir, I would like to compliment the hon. Minister for her outstanding work for the welfare of women and children. Odisha is still lagging behind in terms of addressing various parameters of malnutrition, especially in the rural areas with a huge population of Scheduled Castes and Tribes. Mine is an aspirational district.

12.00 hrs

My question is, whether the Government is considering a special intervention with a focussed approach in aspirational districts to achieve targets under the POSHAN Abhiyan and Sustainable Development Goals?

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, through you, I would like to inform the hon. Member that aspirational districts are priority areas of the Government not only from the perspective of the Ministry of Women and Child Development but also it seeks a partnership and convergence among 18 Ministries which include the Ministry of Jal Shakti which can address the issues of sanitation and drinking water and the Ministry of Health and Family Welfare which assists us, especially in aspirational districts, from the perspective of the health of pregnant and lactating mothers and small children, and the medical challenges they may so face. Sir, through you, I would like to draw the attention of the hon. Member that to ensure that there is a convergence both at the district and at the State levels, we, in the Ministry, had issued guidelines so that at the State level, the State Chief Secretary, and at the district level, the Collector

being the District Administrator, can converge these various Ministries, and a robust system, technologically and otherwise, can be made available. The Prime Minister has prioritized, especially, the nutritional delivery systems in aspirational districts also through a project called, 'Saksham Anganwadi'. It is the endeavour of the Government to ensure that over two lakh Anganwadis across the country are also enhanced in terms of services, and a substantial amount of infrastructure is also increased there so that the nutritional needs of women and children can be met through this.

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos. 48 to 60
Unstarred Question Nos. 461 to 690)
(Page No. 49 to 848)

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (ADV. AJAY BHATT): Sir, on behalf of Shri Raj Nath Singh, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7625/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Shripad Yesso Naik, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2020-2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7626/17/22]

- (3) (i) A copy of the Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2021- 2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7627/17/22]

- (4) (i) A copy of the Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2021-2022.

- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7628/17/22]

- (5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2021-2022.
- (iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7629/17/22]

12.03 बजे

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 649(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

- (दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 जो 26 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 661(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7630/17/22]

- (2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 650(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7631/17/22]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सेना वेतन (संशोधन) नियम, 2019 जो 20 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 05(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) वायुसेना वेतन (संशोधन) नियम, 2019 जो 20 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 07(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) वायुसेना के गैर-युद्धक (नामांकित) (संशोधन) नियम, 2021 जो 2 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7632/17/22]

- (2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 184 के अंतर्गत नौसेना वेतन (संशोधन) विनियम, 2019 जो 20 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 06(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7633/17/22]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7634/17/22]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 जो 11 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना सं. का.आ. 5249(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ: -

[Placed in Library, See No. LT 7635/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY

WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the year 2019-2020.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7636/17/22]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7637/17/22]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Medical Commission (erstwhile Medical Council of India), New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Medical Commission

(erstwhile Medical Council of India), New Delhi, for the year 2020-2021.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7638/17/22]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2020-2021.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 7639/17/22]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Raebareli, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Raebareli, for the year 2020-2021.

- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 7640/17/22]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur, for the year 2020-2021.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 7641/17/22]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Kalyani, for the years 2019-2020 and 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Kalyani, for the years 2019-2020 and 2020-2021.

(14) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 7642/17/22]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2020-2021.
- (16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 7643/17/22]

- (17) A copy of the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.592(E) in Gazette of India dated 21st July, 2022 under sub-section 3 of Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 7644/17/22]

- (18) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-
- (i) The Food Safety and Standards (Advertising and Claims) First Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. Stds/SP(L&C/A)Oil Claims/FSSAI-2018 in Gazette of India dated 31st August, 2022.
 - (ii) The Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Second Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. REG/Representation-MSEO/FSSAI-2021 in Gazette of India dated 5th September, 2022.

- (iii) The Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) First Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. Stds./03/Notification(IFR)/FSSAI-2017 (part-3) in Gazette of India dated 1st September, 2022.
- (iv) The Food Safety and Standards (Labelling and Display) Second 7 Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. Std/SP-08/A-1-2020/N-01 in Gazette of India dated 12th October, 2022.
- (v) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) First Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.4/2010-FSSAI(2) in Gazette of India dated 14th September, 2022.
- (vi) The Food Safety and Standards (Packaging) Second Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. Std/SP20/T(Migration-N) in Gazette of India dated 31st August, 2022.
- (vii) The Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) First Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. Std./SP-05/T(IFR-01) in Gazette of India dated 31st August, 2022.
- (viii) The Food Safety and Standards (Labelling and Display) First Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. Std/SP-08/A-1.2021/N-01 in Gazette of India dated 9th September, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7645/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH**

(DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy, Ghaziabad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy, Ghaziabad, for the year 2020-2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7646/17/22]

12.04 hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

9th Report

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

12.04½ hrs

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND
PUBLIC DISTRIBUTION
22nd and 23rd Reports

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Hon. Chairman, Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2022-2023):-

- (i) Twenty-second Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Eighteenth Report of the Committee (17th Lok Sabha) on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).
 - (ii) Twenty-third Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Nineteenth Report of the Committee (17th Lok Sabha) on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs).
-

12.05 hrs

STATEMENTS BY MINISTER

(ii) (a) Status of implementation of recommendations contained in the 316th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on Issues Related to Safety of Women pertaining to the Ministry of Women and Child Development*

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Hon. Chairman, Sir, I beg to lay the following statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 316th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on Issues Related to Safety of Women pertaining to the Ministry of Women and Child Development

(b) Status of implementation of recommendations contained in the 333rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the observations/ recommendations contained in the 326th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Women and Child Development*

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Hon. Chairman, Sir, I beg to lay the following statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 333rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the observations/ recommendations contained in the 326th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Women and Child Development

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT- 7623/17/22 and 7623A/17/22 respectively.

(c) Status of implementation of recommendations contained in the 334th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Issues Related to 11 Safety of Women pertaining to the Ministry of Women and Child Development*

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Hon. Chairman, Sir, I beg to lay the following statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 334th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Issues Related to 11 Safety of Women pertaining to the Ministry of Women and Child Development

(d) Status of implementation of recommendations contained in the 338th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Ministry of Women and Child Development*

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Hon. Chairman, Sir, I beg to lay the following statement regarding Status of implementation of recommendations contained in the 338th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Ministry of Women and Child Development

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT-7624/17/22 and 7624A/17/22 respectively.

12.07hrs**BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce that

Government Business during the week commencing Monday, the 12th of December, 2022 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[it contains:-* (i) Further consideration and passing of the Anti-Maritime Piracy Bill, 2019 (ii) Consideration and passing of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022]

2. Consideration and Passing of the following Bills after their introduction:-

- (i) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022;
- (ii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022;
- (iii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022; and
- (iv) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

3. Discussion and Voting on First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2022-23 and Introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill, after their presentation.

4. Discussion and Voting on Excess Demand for Grants for the year 2019-20 and Introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill, after their presentation.

12.08hrs

ELECTION TO COMMITTEE
Central Supervisory Board

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Hon. Chairman, Sir, I beg to move the following:

“That in pursuance of clause (f) of sub-section (2) of Section 7 read with clause (a) of sub-section (1) of Section 8 of the Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two women members from amongst themselves to serve as members of the Central Supervisory Board subject to the provisions of Section 15 of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.09hrs**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS-
FIRST BATCH FOR 2022-23**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों – पहला बैच को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.09½hrs**DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR 2019-2020**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.10 hrs**GOVERNMENT BILLS – INTRODUCED****(i) The Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Second Amendment) Bill, 2022***

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-16, श्री अर्जुन मुंडा जी।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-2, dated – 9.12.22.

* **Introduced with the recommendation of the President.

12.11 hrs

**(ii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Third Amendment) Bill, 2022***

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-2, dated – 9.12.22.

* *Introduced with the recommandation of the President.

12.12 hrs

**(iii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Fourth Amendment) Bill, 2022***

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-2, dated – 9.12.22.

** Introduced with the recommendation of the President.

... (व्यवधान)

12.13hrs

**(iv) The Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Fifth Amendment) Bill, 2022***

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-2, dated – 9.12.22.

** Introduced with the recommandation of the President.

माननीय सभापति: शून्य काल।

श्री हसनैन मसूदी जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: हम आपको अवसर देंगे। पहले आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप पहले प्रारंभ होने दीजिए।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your Leader is on his legs. Then, why are you standing? प्लीज आप बैठ जाइए। Your Leader is competent enough to plead his case.

... (Interruptions)

माननीय सभापति: आप पहले बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, you call him.

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Okay. I will.

माननीय सभापति: आप पहले बैठिए तो सही।

श्री हसनैन मसूदी जी।

... (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): सभापति महोदय, बहुत ही अर्जेंट मामला उठाने की इजाजत देने के लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

महोदय, मेवा सनद सेब कश्मीर की मईशत के लिए रीड की हड्डी की हैसियत रखता है। कश्मीर में करीब 30 लाख मीट्रिक टन मेवे की पैदावार होती है। उसमें खासकर सेब की पैदावार होती

है। यह सारा का सारा दरआमद किया जाता है, क्योंकि वहां पर कमर्शियल पॉलिसी की बहुत कम व्यवस्था है। कमर्शियल पॉलिसी इन्क्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इसे बहुत कम लेना पड़ता है। इस साल 5 करोड़ पेटियां दरआमद की गई हैं। इस साल जम्मू-कश्मीर नेशनल हाइवे के बंद होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। बहुत अरसे तक बंद रहने से पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। सारा मेवा सड़ गया। अब बाजार में गिरती हुई सेब की कीमतें नई परेशानी के रूप में दरपेश है।

हमारे किसानों को करोड़ों रुपयों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वजह क्या है? एक यह है कि सेब की पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन पर जो लागत आती है, मार्केट से वह कीमत तक हासिल नहीं होती है। जो पूरा कश्मीर है, वहां जितने भी मेवा उगाने वाले किसान हैं, उनको नुकसान हो रहा है। इसकी जरूरत है। एक तो कॉमर्शियल पॉलिसी को इन्क्रीज किया जाए, वह तो लॉन्ग टर्म सैल्यूशन है। देखा जाए कि क्या यह इंपोर्ट की वजह से हो रहा है?

जनाब, इसे देखना और स्टडी करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में इंपोर्ट की वजह से क्या हुआ? या तो दीदा-दानिस्ता सड़क बंद कर दी गई और सड़क बंद रखने के दौरान बड़ी नेग्लिजेंस की गई। वहां सारा का सारा मेवा सड़ गया। उसके बाद ये नई चुनौती आ गई है। पैकेजिंग पर 15 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। आप देखिए कि क्या इंपोर्ट की वजह से ये हुआ है या दीदा-दानिस्ता कश्मीर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

जनाब, आप इसकी ऑब्जेक्टिव स्टडी करने के लिए कहिए और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाइए। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में एक हाई क्वालिटी सेब एवेलेबल है, जो आपने श्रीनगर में भी देखा है। यहां से हमारे जो भी साथी वहां गए हैं, वे वहां भी देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं, तो इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? इससे नुकसान हो रहा है। दूसरा आप पैकेजिंग पर जो जीएसटी लगा रहे हैं, उसमें छूट दीजिए। तीसरी बात ये है कि रिलीफ देने के लिए कोई न कोई व्यवस्था कीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, एक बात तो सुनिए...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप बैठ जाइए। पहले शून्य काल की लिस्ट पूरी हो जाने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको अवसर दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप थोड़ा धैर्य रखिए। प्लीज आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में अपने क्षेत्र की बात कहने को मौका दिया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो कि एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के लोगों की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण अक्सर छोटे-बड़े मुकदमे होते रहते हैं।... (व्यवधान) उदयपुर संभाग में कोई भी न्यायालय न होने के कारण यहां के लोगों को अपने मुकदमे लड़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है।... (व्यवधान)

इस कारण क्षेत्र की गरीब जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र की जनता व यहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी लंबे समय से उदयपुर संभाग में न्यायालय की स्थापना के लिए मांग की जाती रही है, किंतु अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा है।... (व्यवधान)

महोदय, मेरा सदन के माध्यम से माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से आग्रह है कि उदयपुर संभाग व विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए जोधपुर न्यायालय की एक बेंच उदयपुर में स्थापित कराने का कष्ट करें, इसके लिए मेरे क्षेत्र की समग्र जनता सदा आपकी आभारी रहेगी।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : अधिष्ठाता महोदय, दिल्ली में एम्स पर हुआ साइबर हमला और डेटा संधमारी बेहद चिंताजनक है। कई दिनों के बाद भी इन सर्वरों पर नियंत्रण नहीं पाया गया है और न ही कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई है। एम्स के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी आईसीएमआर के सर्वर पर एक ही दिन में 6,000 बार संधमारी और डेटा हैकिंग की कोशिशें हुई हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। जैसे-जैसे डिजिटल तकनीकें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे देश के तमाम सिस्टम डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, ये डेटा संधमारी और डेटा हैकिंग बहुत ही चिंताजनक होता चला जा रहा है।

महोदय, हमने इसका परिणाम यह भी देखा था कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल ग्रिड पर भी सेंधमार हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया था, जिससे उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर बिजली की व्यवस्था पर कटौती करने का काम हुआ था। ये बेहद ही चिंताजनक है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर एक व्यवस्था देनी चाहिए और सदन में आकर इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। हमारा देश जैसे-जैसे और विकसित होगा, वैसे-वैसे ऐसे हमले बढ़ते चले जाएंगे।

यदि सरकार इस विषय को संज्ञान में नहीं लेती है तो कहीं न कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी भारतीय सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर वह पूरी क्लैरिटी देने का काम करे और आगे ऐसी सेंधमारी न हो पाए, उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या करने जा रही है, उस पर भी स्पष्टीकरण देने का काम करे।

***श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद):** Hon'ble Chairperson Sir, thank you very much. I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on an important issue pertaining to my Lok Sabha constituency. Sir, Prime Minister crop insurance scheme is a very important scheme run by central government but, it is not implemented properly and a question arises in everybody's mind whether it is run for the benefits of farmers or the insurance companies. Sir, during current financial year, in my Osamanabad district and Barshi, Ausa, Nilanga legislative assembly constituencies, around 10,26,000 farmers deposited their crop insurance premium. I think, Rs 53,600 was the sum insured. If we consider that the percentage of crop damage is around 80% then Rs 34,500 per hectare should be the amount of crop damage reimbursement.

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

Earlier, we had complaints about the private insurance companies. But, now the government sponsored insurance companies are providing the crop insurance services. These companies are giving different insurance sums for different kinds of claims for the same size and same kind of damages. They are focusing only on profit making and doing injustice to the distressed farmers.

I had raised this issue about private insurance companies in the House many times. This government company I am talking about, had given the option for “pest control” in its application form and many farmers have chosen this option. But, now the insurance company is rejecting their claims.

This scheme is meant for the benefit of farmers and that should be kept in mind. Lastly, I would like to request the central government to look into this matter urgently and same kind of insurance reimbursement should be given for the same type of crop damages.

Thank You. Jai Maharashtra

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, the ESI hospital at Vadavathoor in Kottayam is facing grave problems for the last so many years. Sir, it has got more than 1,05,000 registered patients, out of which more than 57,000 are female patients. To cater to the needs of these 57,000 female patients, there is not even a single permanent gynaecologist since 2017. There is only one Special Duty Doctor coming only twice a week from Enathu, which is more than 60 kilometres from Kottayam. This is a very big problem. So, I would request the hon. Minister to intervene in the matter.

There is one more issue. There are 14 staff quarters, but not even a single quarter is habitable. Nobody is staying there. It is very difficult for the registered beneficiaries to have the service of the staff. So, I would again request the hon. Minister to intervene in this matter.

Sir, one ICU was opened in the month of June, 2021. It is not functioning to the full extent even now. It does not have sufficient nurses; it does not have sufficient operation theatre technicians; it does not have Grade-II Attendants; and it does not have Grade-I Attendants.

Sir, through you, I would like to request the hon. Labour Minister to intervene in this matter and settle these issues at the earliest.

*** DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you Sir. I hail from a constituency called Fatehgarh Sahib where two younger sons of the 10th Guru Shri Guru Gobind Singh were martyred. A lot of Sikh Shrines and religious places are there. The roads that lead to those places are in a shabby and dilapidated condition. These include State roads and national highway. Rahon road goes to Naina Devi via Ropar. It is the area of my senior colleague Shri Manish Tiwari ji. It is in a very bad condition. No one can reach Naina Devi or Rahon.

Punjab Government has sent its proposal to Central Road Fund. So, I urge upon the Government to get this road repaired at the earliest. There is

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

another road of Charh Sahib where Shri Guru Gobind Singh ji had himself come. Machhiwara Sahib is another area. Degsar Sahib is another location.

Sir, all roads leading to places related to our Sikh Gurus must be repaired soon under any scheme. Pilgrims visit these areas in droves. So, the Government must repair these roads at the earliest.

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): सभापति महोदय, आज़ादी के बाद सभी सरकारों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे, जिसके कारण मध्यवर्गीय गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करने में काफी खर्च उठाना पड़ता है। इसके कारण लोग रोडवेज की गाड़ियों से यात्रा करने से परहेज करते हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में लोकल ट्रेनों की संख्या काफी कम कर दी गई है, जिसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर से हाजीपुर आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उनको काफी खर्च भी उठाना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इन रूटों पर सुबह और शाम के समय लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए एवं छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी उन लोकल ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कराया जाए, ताकि दैनिक यात्रियों जैसे स्कूली बच्चों, सरकारी नौकरी करने वालों एवं रोजमर्रा के व्यापार करने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं लोक महत्व के एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रहा हूँ, इसलिए बात पूरी होने तक आपका संरक्षण चाहूंगा।

महोदय, बिहार और झारखण्ड की एक अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है, जिसका नाम उत्तर कोएल सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना वर्ष 1975 में स्वीकृत हुई और कार्य आरम्भ हुआ। इसकी प्रारम्भिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपये थे, उससे बढ़कर यह लागत 80 करोड़ रुपये हुई। आज 45 वर्ष बीत गए, लेकिन यह परियोजना अभी भी अधूरी है। अभी तक इस पर 1,000

करोड़ रुपये से भी अधिक धन खर्च हो चुका है। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह परियोजना अधूरी है। हालांकि पूर्व की सरकारों ने इसे एक तरह से दफन ही कर दिया था, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब वर्ष 2014 के बाद इस परियोजना को पुनर्जीवित किया।

इसका दूसरा जन्म हुआ। उन्होंने सारी बाधाओं को दूर करते हुए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से 1722 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी। उसके बाद 5 जनवरी, 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इसका शिलान्यास हुआ। परियोजना को पूरा करने के लिए 30 महीने की समयावधि, यानी ढाई साल की थी, लेकिन इस बीच कोरोना आ गया। ... (व्यवधान) मैं आधी मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। इस नहर की जो कंक्रीट लाइनिंग करनी थी, उसमें बिहार सरकार ने अनावश्यक देर की। इसमें लगभग दो वर्ष बीते गए, जो बेकार गए।

अब वह भी स्वीकृति मिल गई है और सहमति भी मिल गई है। अभी तक यह स्थिति है कि इसके डैम में, जिसको कुटकू डैम या मण्डल डैम कहते हैं, फाटक नहीं लगा है। लाइनिंग का जो काम चल रहा है, वह काफी धीमी गति से चल रहा है।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से यह अनुरोध होगा कि कम से कम समयावधि, यानी जितनी जल्दी हो सके और जितना शीघ्र हो सके, कुटकू डैम में फाटक लगाने का काम और साथ-साथ लाइनिंग के काम को पूरा कराया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती – उपस्थित नहीं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the Central Government's decision to revoke the pre-matric scholarship for SC, ST, minority, and OBC students of Classes I to VIII is an assault on the student's right to education and access to education.

The UPA Government decided to implement pre-matric scholarships in 2008 because it was committed to making education accessible to all students, regardless of financial status. This enabled lakhs of students to continue their education without fear of running out of funds, and it also boosted their self-esteem in a variety of ways.

The Ministry of Social Justice and Empowerment is discriminatory, and by ordering the suspension of pre-matric scholarship payments for students in Classes I to VIII and benefits for students in Classes IX and X, it is denying lakhs of students' financial support during the most critical years of their education.

The Ministry of Minority Affairs attempted to manipulate the intent and content of the Right to Education Act in order to exclude poor and marginalised students, and the decision effectively nullifies the child's right to an education. Numerous surveys over the years have shown that minorities, especially Muslims, are lagging in education, along with poor, underprivileged, and highly marginalised students, including girls, who have faced difficulty in accessing quality education. The Government has fallen deaf to reason and blind to justice for these students, who are the future of this country. Hence, I urge the Government to immediately reinstate the pre-matric scholarship for students of SCs, STs, minorities, and OBCs in Classes I to VIII. This is a very important matter. So, the Government of India, the Ministry of Minority Affairs, and the Ministry of Social and Empowerment should immediately reinstate scholarships for SC, ST, minority, and OBC students of Classes I to VIII.

माननीय सभापति : श्री राहुल रमेश शेवाले – उपस्थित नहीं।

श्री बी. मणिकम टैगोर।

***SHRI MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Kappalur Toll plaza is situated near Thirumangalam of Madurai district in Tamil Nadu. There is a long pending demand for shifting this toll plaza to some other place. After this Union Government led by Shri Modi came to power, this toll plaza remained as a perennial problem for the people living in and around Thirumangalam of Madurai district for the last 8 years. Vehicle owners and those who work in the Thirumangalam SIPCOT Industrial Estate face a lots of difficulties everyday due to this Kappalur toll plaza. A complete lockdown by traders was organised in Thirumangalam demanding the shifting of this Kappalur toll plaza to a nearby place. Even there was a meeting in this regard with the District Collector. The agitations are continuous held in this area demanding for the shifting of Kappalur toll plaza. I therefore put before you my demand for shifting this toll plaza from Kappalur to Melakottai, which is just 10 kms away. You cannot be acting against the interests of general public. This Kappalur toll plaza is now being run by a team of unruly persons. We are facing several atrocities caused by such unruly persons in this area. Therefore I request the Hon. Union Minister for Highways and Road Transport Shri Nitin Gadkari to order for shifting Kappalur toll plaza to Melakottai which is just 10 kms away. This Union Government led by Shri Modi cannot be keeping such

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

genuine demands pending for more than 8 years without any reason. I once again strongly urge upon the Union Government to take a decision in implementing the shifting of Kappalur toll plaza of Thirumangalam to Melakkottai in Madurai district. Thank you.

श्री कृपानाथ मल्लाह (करीमगंज): सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र करीमगंज में रेलवे के दो लेवल क्रॉसिंग्स हैं। एक लेवल क्रॉसिंग का नम्बर 1/बीएस एट करीमगंज, 2/93/9 नियर बदरपुर घाट और दूसरा लेवल क्रॉसिंग का नम्बर 1किमी/189/78 एट कानीसाइ, करीमगंज शहर के पास दोनों रेलवे क्रॉसिंग्स पर आरओबीज नहीं होने के कारण 24 घंटे में प्रायः आठ से 10 घंटा बंद रहता है। एक रेल को क्रॉस करने के बाद कम से कम उसको क्लीयर होने में डेढ़ से दो घंटे लगते हैं, तब तक वहां फिर दूसरी ट्रेन आ जाती है, तो वह फिर से ब्लॉक हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण नेशनल हाइवे है। जो करीमगंज हैलाकांडी और सिलचर को कनेक्ट करती है। करीमगंज से उसी रास्ते से एयरपोर्ट जाना पड़ता है। वहीं पर बदरपुर रेलवे स्टेशन है, वहां आने-जाने के लिए वही रास्ता है एवं मेडिकल कॉलेज जाने के लिए भी वही रास्ता है। आरओबी और आरयूबी नहीं होने के कारण वहां बहुत प्रॉब्लम है। वहां रोज इंजंट शुरू होता है। मैं खुद उस प्रॉब्लम में फंसता हूं।

मैंने 01.12.2021 को रेलवे मंत्री जी से unstarred question पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम ने यह नेशनल हाइवे अथॉरिटी को दे दिया है, वे लोग इसे बनाएंगे। उसके लिए मेमोरैंडम साइन हुआ है। मैं नेशनल हाइवे से संबंधित माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वहां दोनों रेलवे क्रॉसिंग्स पर आरओबीज या आरयूबीज बनाई जाए, ताकि हमारे इंजंट खत्म हों।

श्री चिराग कुमार पासवान (जमुई): सर, एक माननीय सांसद होने के नाते मैं भारतीय संघीय ढांचे को भली-भांति समझता हूं और इस बात को जानता हूं कि कई अधिकार केन्द्र सरकार के पास होते हैं, तो कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर, ऐसे में अगर एक राज्य, मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, मैं बिहार से

चुन कर यहां आया हूं, जहां पर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं तो ऐसे में यह संसद खामोश नहीं रह सकती है।

सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पर एक के बाद एक ऐसी हत्याओं की श्रृंखला शुरू हुई है, जिसमें हर जाति-धर्म के लोग अंकित हैं। भले ही वे व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब, पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग हों, पर, खासतौर से वहां अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर जघन्य अपराध हो रहे हैं। मैं अरवल की घटना का एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह पासवान परिवार से संबंधित महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने तथा न्याय की मांग करने से संबंधित है। प्रशासन भी अपराधियों के साथ मिला हुआ था। रामजी पासवान जी की धर्म पत्नी सुमन देवी अपनी पांच साल की बच्ची के साथ प्रशासन के पास बार-बार न्याय मांगने जाती है, लेकिन प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है। परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़क कर पांच साल की बच्ची को उसकी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। मैं उस बच्ची को अस्पताल में देखने गया था। बच्ची न्याय की उम्मीद रखते हुए पांच-छः दिनों तक जिंदगी-मौत के साथ लड़ाई लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया।

एक बेगुसराय की घटना है। वहां एक पासवान महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके अर्धनग्न अवस्था में उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं अपनों को खोने का दर्द जानता हूं। दो साल पहले मैंने अपने पिता जी को खोया था, कल मेरी नानी जी का निधन हो गया, अभी उनके अंतिम संस्कार के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आज यहां पर कह रहा हूं कि यह बिहारियों का आक्रोश है और राज्य सरकार इस पर पूरी तरह से खामोश है।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार इस पर कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन विषयों पर की जाए। धन्यवाद।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ।

महोदय, देश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उसे अपनी छोटी-छोटी बचतों के लिए राष्ट्रीय अल्प बचत की योजनाएं ही आकर्षित करती हैं। राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में अधिकतर देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग ही अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए निवेश करते हैं। परन्तु, जहाँ देश में म्यूचुअल फण्ड्स अधिकतम रिटर्न दे रहे हैं, उसमें रिस्क भी बहुत अधिक होता है। देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता ऐसा रिस्क नहीं ले सकती है। इन्हें देश की राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश करने में विश्वास नहीं होता है।

अतः आपके माध्यम से, मैं देश के यशस्वी वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि देश की गरीब एवं मध्यम वर्गीय जनता के लिए अल्प बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आकर्षक ब्याज दर की योजनाओं को लाना चाहिए, जो बैंक से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम हों।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि सुकन्या योजना के अंतर्गत जो अभिभावक अपनी बेटियों का खाता खुलवाते हैं और अचानक अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो इस संबंध में, मेरा सरकार से निवेदन है कि सुकन्या योजना के अंतर्गत बीमा को जोड़ दिया जाए ताकि बीमा की राशि के माध्यम से बेटियों की शादी हो सके।

माननीय सभापति : श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी – उपस्थित नहीं।

श्री सुनील कुमार मंडल – उपस्थित नहीं।

श्री मनोज कोटक ।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र सहित मुम्बई के विभिन्न इलाकों में मीजल्स यानी खसरे, जिसे स्थानीय भाषा में गोवर कहते हैं, का प्रकोप बढ़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भिवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द आदि सभी क्षेत्रों में खसरे के प्रकोप

के कारण पिछले एक महीने में 13 छोटे-छोटे बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी आशंका है। एक से लेकर 10 साल के बच्चों में यह संक्रामक बीमारी भयजन्य परिस्थिति को क्रॉस कर चुकी है।

स्थानिक निकाय यानी मुम्बई महानगरपालिका, स्थानिक राज्य सरकार उसके ऊपर काम तो कर रही है। चूंकि यह हेल्थ का विषय है, इसलिए वैक्सिनेशन की कमी, मालन्यूट्रीशन आदि इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की ओर से एक टीम ने आकर जाँच भी की है।

मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री और भारत सरकार से यह अनुरोध है कि इस परिस्थिति को काबू में करने के लिए जल्द-से-जल्द कदम उठाए जाएं। मुम्बई महानगरपालिका और राज्य सरकार को हरसंभव सहायता प्रदान की जाए ताकि मीजल्स यानी खसरे के प्रकोप की रोकथाम हो सके, इसके लिए केन्द्र सरकार को अहम भूमिका निभानी चाहिए और वैक्सिनेशन को गति देनी चाहिए एवं मालन्यूट्रीशन के केसेज पर भी काम करना चाहिए।

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHICODE): Mr. Chairman, Sir, I would like to submit here the major issues concerning the Kozhikode International Airport. This profit-making airport is facing various issues frequently. The major issues are as follows.

First, unnecessary delay in procedures in RESA lengthening would largely discourage NRIs, who are the backbone of our economy, and others from availing the services of this airport. I urge upon the Government to expedite the RESA lengthening, without curtailing the runway, in coordination with the State Government as early as possible.

Secondly, recarpeting of the 2860 metre runway is expected to take a time of 11 months at Calicut, while Ahmedabad airport has taken only two and a half months for the same, and Cochin airport has taken less than four months'

time. Kindly take necessary steps to bring down the time limit of recarpeting, and bring it down to less than four months.

Thirdly, airlines are charging exorbitant rates in comparison with the neighbouring airports for cargo export from Calicut. It has caused reduction of exports considerably affecting our economy and agriculture.

I urge upon the Government to kindly intervene and take steps to reduce the sky-rocketing airline fares which are rising every day. I request the Government to set up a regulatory mechanism for the same.

I urge upon the Civil Aviation Ministry to support us in acquiring the necessary land for the expansion and extension of runway and to make it one of the largest international airports of our country. I would request the Government to address the above-mentioned concerns with immediate effect. Thank you.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापति जी, मैं आपकी और सारे देशवासियों की दृष्टि इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान की आर्थिक हालत जर्जर हो चुकी है। इसका मुख्य कारण यह था कि बिना वजह, बिना सोचे-समझे कदम उठाया गया, जिसका नाम नोटबंदी है। जिस मकसद को सामने रखकर नोटबंदी की गई थी, आज यह साबित हो गया है कि एक भी मकसद, एक भी उद्देश्य सफल नहीं हुआ बल्कि जो कदम उठाए गए, वे नाकाम हो गए हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बीच में मत बोलिए। आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हिंदुस्तान की आर्थिक हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। मैं अपने आंकड़ों के मुताबिक यह कहना चाहता हूँ कि यह कहा गया था कि सारा काला धन वापस आएगा। यह कहा गया था कि फर्जी नोट नहीं रहेंगे। यह कहा गया था कि आतंकवाद खत्म होगा। मैं आंकड़े पेश करना

चाहता हूँ कि वर्ष 2016 में कैश इन सर्कुलेशन लगभग 18 लाख करोड़ रुपये था। आज हिंदुस्तान में लगभग कैश इन सर्कुलेशन 31 लाख करोड़ रुपये है। इसका मतलब कैश इन सर्कुलेशन में 72 फीसदी इजाफा हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि स्विस् बैंक में जिनका पैसा है, उन्हें रात को गोली खाकर सोना पड़ेगा।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए और बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आज स्विस् बैंक में पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा 23500 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हिंदुस्तान की हालत यह है कि वर्ष 2016 में हमारा रैंक 79 दुनिया में था, लेकिन आज 85 रैंक हो गया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सभापति जी, 500 रुपये के फर्जी नोट 102 प्रतिशत बढ़ चुके हैं और 2 हजार रुपये के फर्जी नोट 55 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. निशिकांत दुबे।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, कांग्रेस की घड़ी वर्ष 1950 पर रुक गई है। जिस वक्त 17 लाख करोड़ रुपये की इकोनॉमी थी, उस वक्त भारत की इकोनॉमी एक ट्रिलियन की थी और आज तीन ट्रिलियन की है जो कि पांच ट्रिलियन होने वाली है।... (व्यवधान) आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी हमारे कारण हुई है और यह वैल थॉट प्रोसेस था। इसका कारण था कि हमारे देश में कांग्रेस के कारण टेरर मनी, आम्स मनी, ड्रग्स मनी, ब्लैक मनी और फेक करेंसी का पूरा बोलबाला था और उसे खत्म करने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उठाया और यही बात सुप्रीम कोर्ट में बार-बार हो रही है।... (व्यवधान) यह कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ है, बांग्लादेशियों के साथ है, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ है और देश के टुकड़े-टुकड़े करने वाले

गैंग के साथ है, इसलिए यह नोटबंदी का विरोध करती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस मामले को उठाने का इनका कोई अधिकार नहीं है।... (व्यवधान)

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*) This issue is regarding the aqua industry and the Commerce Ministry. ... (*Interruptions*) It is a very well-known fact that 70 per cent of the aqua export from India happens from Andhra Pradesh, to the tune of Rs.25,000 crore per year. ... (*Interruptions*)

There are lakhs of farmers who are involved in the aqua industry and all these farmers are taxpayers. They all pay the tax. But for the last two months, the prices have crashed. The prices have crashed for two reasons. One reason is that the exports that are happening from Andhra Pradesh to USA has been discontinued. Most of these exports are happening from Ecuador to USA because of the proximity and the freight cost. This is market dynamics, of course, we cannot do anything.

But the second reason is this. The export that is happening from Andhra Pradesh to China has been stopped because of some audit that has happened from the Chinese Government. So, most of these processing plants have been closed. Not only in India, but in Indonesia and Vietnam also it has happened. But the Governments of Vietnam and Indonesia have been pursuing with the Chinese Government to make sure that they open it. We have made a lot of representations. Andhra Pradesh Government has made a lot of representations, and has also spoken to the people concerned in the Chinese Government, to make sure that these processing plants are opened. For the

last two months nothing has happened. A number of farmers are involved in this. I would request the Commerce Minister to take up this issue seriously.

माननीय सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्रीमती रंजीता कोली जी।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं आपका ध्यान लोहागढ़ के संरक्षक महाराजा सूरजमल जी के विषय पर की गयी टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। सोनी टीवी पर प्रसारित 'अहिल्याबाई' धारावाहिक में दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को महाराजा सूरजमल के संबंध में अत्यंत निंदनीय टिप्पणी की गयी। धारावाहिक में महाराजा सूरजमल जी को कायर बताया गया है, जबकि महाराजा सूरजमल जी को लोहागढ़ (भरतपुर) का हिंदू धर्म रक्षक कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जी के व्यक्तित्व पर की गयी ऐसी टिप्पणी के लिए भरतपुर के लोगों के साथ-साथ पूरे भारत में विभिन्न जगहों पर तथा महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों में भी काफी रोष व्याप्त है।

पूर्व में भी वर्ष 2019 में बॉलीवुड फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल जी को लेकर गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसका लोगों द्वारा भारी विरोध किया गया था। उसके बाद उस चित्रण को हटाया गया, परन्तु अब पुनः महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गयी, जिसके बाद वे माफी मांग लेते हैं।

मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के वीर योद्धाओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना न हो। धन्यवाद।

माननीय सभापति : ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड में आ गयी।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Mr. Chairperson, Sir. I would like to point out that just as diabetes is an epidemic in India, so is the dental caries, a disease that causes cavities in the mouth and is a cause of progressive tooth decay. This is a huge health burden on India. It is a national burden. The international consensus says that to prevent dental caries and cavities in adults, the minimum amount of fluoride in toothpaste should be 500 ppm. Due to some outdated laws of the Health Ministry, currently there is no toothpaste in India that has more than 1,450 ppm fluoride content. I would request the Health Ministry to bring us in line with international standards and to change the standard practice in this regard because dental caries and cavities are causing a lot of problems.

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): धन्यवाद सभापति महोदय।

माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए पिछले 8 सालों में बहुत कार्य हुए हैं। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी शक्ति में आए, उस समय उन्होंने शपथ ली थी कि उनका जो काम होगा, वह गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित होगा। जैसी उनकी बात, वैसा ही उनका कर्म। कांग्रेस ने 70 सालों में और तृणमूल कांग्रेस ने 12 सालों में केवल गरीबी हटाओ का नारा उठाया। नारा अभी चालू है, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं बंगाल में गयी हैं, लेकिन बंगाल में जाकर उनका नाम चेंज हो जाता है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी डिमांड क्या है?

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : महोदय, केंद्र सरकार की योजना के नाम को बदल दिया जाता है। जैसे कि स्वच्छ भारत योजना निर्मल बांग्ला हो जाती है। प्रधान मंत्री आवास योजना बांग्ला आवास योजना हो जाती है।

माननीय सभापति : कृपया अपनी मांग रखिए।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : अगर आप देखेंगे, तो पाएंगे कि प्रधान मंत्री आवास योजना में बहुत करप्शन है। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो करप्शन हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए तथा प्रधान मंत्री जी की जो योजना है, वह सभी के घरों में जानी चाहिए। इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): I would like to call the attention of the Government to price hike of different varieties of rice available in the market. In Kerala, in the past three months, the price of rice in private market has increased by Rs.13. Due to fluctuations in the market, the wholesale price of white rice now stands at Rs.53 per kg., while brown rice is available at Rs.50 per kg. It is unbearable to most of the households. The Government must intervene in this matter immediately.

The ration shops, on which most of the common people depend, have cut short subsidy, as also the quantity of rice. I would humbly request the Government to allocate more subsidised rice, irrespective of different categories of beneficiaries, to ration shops. The Government should ensure availability of food grains to people in moderate amount, and must take necessary steps to restrain hike in price of rice.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल स्थित बंद पड़े सबेया एयरपोर्ट का अतिक्रमण हटाने एवं बीडिंग कराने के लिए आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय उड़्डयन मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ। सबेया एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय का है, जो उड़ान योजना में शामिल है। इस पर 1011 लोगों द्वारा इसकी 338.66 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अतिक्रमण को हटाने के

लिए रक्षा संपदा अधिकारी, दानापुर द्वारा अब तक जमीन से जुड़े सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। मैंने भी कई बार दूरभाष और लिखित रूप से उनको दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है, लेकिन अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय उड्डयन मंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ कि सबेरा एयरपोर्ट पर कामर्शियल फीजिबिलिटी को देखते हुए और उड़ान योजना के तहत बोली की प्रक्रिया, परिचालन विधि एवं अतिक्रमण हटाने के लिए मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, 13 अप्रैल 1919 को जलियाँवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, उसने पूरी दुनिया की अंतरआत्मा को झिंझोड़ दिया था और पंजाब के एक शूरवीर सरदार ऊधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर उस नरसंहार का बदला लिया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जलियाँवाला बाग का पुनर्निर्माण, रेनोवेशन हुआ था। उस रेनोवेशन में कुछ ऐसी खामियाँ हैं, जिसके कारण पंजाबियों की अंतरआत्मा पूरी तरह से प्रताड़ित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो साइन बोर्ड लगे हैं, वे साइन बोर्ड भी सही पंजाबी में नहीं लिखे गए हैं। वहाँ पर एक कोड़ों वाली गली है, लोगों को वहाँ से कोड़े मारकर निकाला गया था, उसका नाम कोड़ों वाली गली रखने की जगह कोढ़ियों वाली गली रख दिया है, जो कोढ़ से पीड़ित लोग रहते हैं। इसी तरह से वहाँ पर म्युरल्स लगे हुए हैं, जो उस समय की पंजाबी पॉपुलेशन को ठीक से दर्शाती नहीं है। जहाँ पर जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था, वह स्पॉट भी ठीक तरह से चिन्हित नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भेजकर या केन्द्र सरकार की टीम भेजकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जलियाँवाला बाग ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, इन सारी खामियों को सुधारा जाए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, Sir, there is a small correction. I hope Manish Ji will abide by it.

General Dyer was not shot by Sardar Udham Singh. Actually, it was Governor O'Dwyer who was shot by Sardar Udham Singh. ... (*Interruptions*)

***श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले):** Hon'ble Chairperson Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on a very important issue in Zero Hour. I would like to draw the attention of this august house towards a serious issue. All the states of India are binded together and our country draws the power of unity and fraternity from the preamble of our constitution. We all Indians live together with harmony and the spirit of unity. But there is a threat to our unity and brotherhood due to the border conflicts between different states. I hail from such an area which forms a part of Maharashtra and Karnataka border. We have always tried to ensure harmony and friendliness among the people residing in border areas. But today the people of Maharashtra are being targeted. We are quite hopeful that the law will take its own course and justice will be done to the Marathi speaking people.

Chief Minister of Karnataka is openly threatening the common people and leaders of Maharashtra. Tension is brewing day by day in border areas and there is no maintenance of law and order. Police and public of Karnataka are targeting Marathi speaking people. It is a clear case of Government sponsored

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

injustice. An organization called 'Karnataka Vedike' is deliberately targeting Marathi people there.

Hence, I would like to request the Chief Ministers of both the States to sit together and try to resolve this issue amicably. Hon'ble Prime Minister, Home Minister and Central Govt should also come forward to form coordination in this regard.

13.00 hrs

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): चेयरमैन सर, वर्ष 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो हमारे देश की आबादी करीब 33 करोड़ थी। उस समय हमारे सामने एक आंकड़ा आ गया था और आज भी वह आंकड़ा बार-बार चर्चा में है। वह यह है कि हमारे कितने फ्रीडर फाइटर्स जेल गए, कितने आर्म्ड स्ट्रगल में शामिल हुए और कितने आईएनए में नेताजी के नेतृत्व में मणिपुर तक कूच किए। करीब 10 लाख लोग ही थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे। जब हमारा देश वर्ष 1972 में इंदिरा जी के जमाने में सिल्वर जुबली मना रहा था, उस समय उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक कॉपर प्लेक दिया गया था। यह स्मृति चिह्न हर एक परिवार के पास है, जो जेल गए थे या स्ट्रगल में शामिल हुए थे। आज हम अमृतकाल मना रहे हैं।

मेरा निवेदन केन्द्र सरकार से यह है कि इस अमृतकाल में जितने स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित हैं, उनका तो सम्मान करे, पर उसके साथ सारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को फैमिली ऑफ पैट्रियट्स के हिसाब से एक आइडेंटिटी भी मिलनी चाहिए। मेरी मांग यह है कि जैसे अमेरिका में आज से करीब 200 साल पहले वहां फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, हरेक परिवार को चिन्हित करके उनको फैमिली ऑफ पैट्रियट्स के हिसाब से सनद मिला है। मेरी सरकार से मांग यह है कि अमृतकाल के समय सारे परिवारों को, जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे, उन सब को इस तरह का एक फैमिली ऑफ पैट्रियट्स आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति महोदय, आपने हमें शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर में आई भीषण बाढ़ से कई सौ गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गये थे। यहां पर लोग अपनी छतों पर, सड़कों पर रहने को मजबूर थे। भीषण बाढ़ की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गयी है। बाढ़ से किसान, गरीब मजदूरों, जानवरों, फसल, मकान और जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए और इन दोनों जनपदों में बाढ़ से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे अति पिछड़े जनपदों के किसानों, गरीब मजदूरों को बाढ़ से, इस आपदा से राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और आपका ध्यान एक अत्यंत ही गंभीर विषय के संदर्भ में आकृष्ट करना चाहता हूं। आज कल पूरे बिहार में राजधानी पटना सहित बड़े पैमाने पर नौजवान सूखे नशे के आदि हो गए हैं। इसकी वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है, वह बर्बाद हो रहा है। उस सूखे नशे में पूरे नौजवान गांजा, ड्रग्स, नशीले इंजेक्शन, सॉल्यूशन, वाइटर इत्यादि के गिरफ्त में आ गए हैं। बिहार सरकार ने वहां पर नशाबंदी लागू कर रखी है, लेकिन उनकी गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है। नशाबंदी तो है, लेकिन बड़े पैमाने पर शराब... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप संक्षेप में कहिये।

श्री राम कृपाल यादव : आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है, पर सबसे चिंता का विषय है कि आपने नशाबंदी तो की, लेकिन आप सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए। पूरी युवा शक्ति चेंज हो गई है। सर, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। नौजवानों की जिंदगी जा रही है। परिवार के

परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। माँ और बहन के जेवर बेचने का काम हो रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : एक मिनट में अपनी बात पूरी करते हैं। प्लीज़ लंबा मत बोलिए।

श्री टी.एन. प्रथापन जी।

... (व्यवधान)

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity.

The Maulana Azad National Fellowship was an important scholarship scheme for research scholars from Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist and Parsi communities. Yesterday, in reply to a question, the Minister of Minority affairs said that the Government has decided to discontinue this Maulana Azad National Fellowship since it is overlapping with other scholarships in the field. ...
(Interruptions)

माननीय सभापति : राम कृपाल यादव जी, आपका विषय आ गया है, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

SHRI T. N. PRATHAPAN: Sir, it is really shocking to learn this and it will affect many aspiring research scholars from various minority communities. If there is overlapping, then the Government should systematically try and resolve that issue. Discontinuation of the entire scheme is not a wise idea. If there is no MANF, then students from the minority communities who are not coming under the purview of reservation in other categories, like the Scheduled Caste, the

Scheduled Tribes and the Other Backward Classes, will be deprived from all other Fellowship schemes.

The decision to discontinue a fellowship named after Maulana Azad, India's first Education Minister, is an insult to his legacy. I would, therefore, request the hon. Minister of Minority Affairs to withdraw the decision to stop the Maulana Azad National Fellowship immediately.

Thank you. ... (*Interruptions*)

**LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE
ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Ritesh Pandey	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma Dr. Amol Ramsing Kolhe
Shri Bhartruhari Mahtab	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramshiromani Verma	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ram Kripal Yadav	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri T. N. Prathapan	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane	Shri Shrirang Appa Barne Shri Hemant Patil Shrimati Bhavana Gawali (Patil) Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Manish Tewari	Shri Malook Nagar Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Girish Chandra Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Kuldeep Rai Sharma
Sushri Mahua Moitra	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Kanakmal Katara	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ajay Nishad	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sushil Kumar Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Kripanath Mallah	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Chirag Kumar Paswan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shrimati Rama Devi

	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Mukesh Rajput	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Ranjeeta Koli	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Manoj Kotak	Shri Shrirang Appa Barne Shri Gopal Shetty Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri Hasnain Masoodi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Thomas Chazhikadan	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Amar Singh	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Girish Chandra
Shri Kodikunnil Suresh	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri B. Manickam Tagore Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra
Shri B. Manickam Tagore	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik-Nimbalkar	Dr. Amol Ramsing Kolhe Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri M.K. Raghavan	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Lavu SrikrishnaDevarayalu	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Alok Kumar Suman	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Pankaj Chaudhary	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Arjun Munda	Shri Kuldeep Rai Sharma

Kumari Ramya Haridas	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Nishikant Dubey	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Locket Chatterjee	Shri Kuldeep Rai Sharma

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दोपहर दो बजकर पांच मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

13.05 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Five Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.09 hrs

*The Lok Sabha re-assembled at Nine minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table of House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to setup an AIIMS in Mahoba, Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): बुंदेलखंड में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा राजमार्ग विकास, जलप्रबंधन, उद्योगों के विकास इत्यादि अनेक विकास के कार्य किए जा रहे हैं और बुंदेलखंड की स्थिति में सुधार आ रहा है। इन सब प्रयासों से बुंदेलखंड में पर्यटन विकास की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ी है पर इन सभी पक्षों के विकास के उपरांत भी अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं विशेषकर गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु मरीज बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में जाते हैं। इनमें भी विशेषकर कैंसर और किडनी के रोगों के लिए उपचार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाने वाले मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। ये इलाज खर्चीले हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ०प्र०) के अधिसंख्यक जन गरीब हैं और उनको इलाज के लिए बड़े नगरों में भटकना भी पड़ता है। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा

* Treated as laid on the Table.

इलाज के खर्च के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाती है परन्तु बड़े नगरों में इलाज के खर्च के अतिरिक्त अन्य व्यवहारिक समस्याओं और खर्चों से भी मरीज और उसके तीमारदारों को जूझना पड़ता है और यदि मरीज दिहाड़ी मजदूर या छोटा व्यापारी है तो उसके लिए और भी अधिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। महिलाओं के रोग संबंधी बीमारियों में तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है अधिकतर मामलों में महिलाओं को बीमारी के अंतिम स्थिति में ही बड़े नगरों को ले जाया जाता है या नहीं भी ले जाया जाता है जिसके दुष्परिणाम महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। स्थानीय क्षेत्र में ही गंभीर बीमारियों का इलाज उपलब्ध होने से न सिर्फ त्वरित इलाज संभव हो सकेगा अपितु अतिरिक्त खर्चों के साथ मरीज को अन्य समस्याओं से भी नहीं जूझना पड़ेगा और विशेषरूप से महिलाओं और बच्चों को लाभ मिल सकेगा। इस हेतु महोबा में एम्स के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है। एम्स बन जाने से असाध्य रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी अतः मैं आपके माध्यम से लोक कल्याणकारी केंद्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि कैंसर और अन्य असाध्य रोगों के उपचार के साथ साथ अन्य सभी रोगों के उपचार हेतु हेतु महोबा (उ०प्र०) में एम्स का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण किया जाए।

(ii) Need to release fund for setting up Trauma Care Unit in Nuapada district, Odisha.

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरा क्षेत्र कालाहांडी है, जिसमें दो जिले नुआपड़ा और कालाहांडी हैं। दोनों ही जिले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नुआपड़ा और कालाहांडी जिले में "ट्रामा केयर सेंटर/क्रिटिकल केयर यूनिट" की मंजूरी के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग-353 जिला नुआपड़ा से गुजर रहा है जहाँ जिला अस्पताल भी है। बड़ी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं और हर दूसरे-तीसरे दिन सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। ट्रामा केयर यूनिट के अभाव में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए शहर से बहुत दूर ले जाना पड़ता है जिसके कारण उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। ट्रामा केयर यूनिट का निर्माण फण्ड के अभाव में लंबित है। ओडिशा द्वारा 75.70 करोड़ के एस्टीमेट के साथ आबंटित भूमि का विवरण सम्बंधित विभाग को भेजा गया है। यदि ट्रामा केयर यूनिट का निर्माण होता है तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फण्ड जारी करने की कृपा करें।

(iii) Regarding opening of 'Border Haat' at Hilli Border in South Dinajpur district, West Bengal

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): When the bilateral relations between India and Bangladesh were improved, the 'Border Haat' as a trading marketplace for the benefit of local communities of both sides was conceived along the India-Bangladesh border. These are organised on a specific day of the week for fixed time duration and only registered buyers/sellers are allowed to trade which is to be carried out in Indian Rupees/ Bangladesh Taka. Currently, four border haats are operational along the India-Bangladesh border and proposals of six more border haats are in the pipeline. Balurghat is a backward constituency and the local public here is lacking in employment, business and trade. Locals have been demanding for the opening of one such Border Haat at Hilli Border for decades. It will benefit the local communities by providing opportunities for livelihood and social interaction.

Therefore, I raise the demand for opening of one Border Haat at Hilli Border in South Dinajpur District, West Bengal.

(iv) Regarding constriction of Railway overbridge and Underbridge at level crossing in Sitapur Parliamentary Constituency.

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के जनपद कानपुर नगर के अंतर्गत बिल्हौर रेलवे स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग (पूर्वी) संख्या 64-बी ककवन रोड राज्य मार्ग पर स्थित है। इस रेलवे क्रॉसिंग से कई जनपदों के लिए छोटे-बड़े वाहनों का बड़ी संख्या में आवागमन होता है और यहां पर मालगाड़ी भी काफी देरी तक खड़ी रहने के कारण क्रॉसिंग अधिकतर बंद ही रहती है तथा यातायात की अधिकता की वजह से इस मार्ग से मात्र 150 मीटर की दूरी पर जी.टी. रोड पर भी यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः उपरोक्त रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात से निजात दिलाने के लिए एक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता है।

दूसरे, बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर ही रेलवे क्रॉसिंग (पश्चिमी) संख्या 67-सी है, जिस पर 64-बी जैसी ही स्थिति बनी रहती है। इसको देखते हुए यहां पर अंडरपास बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे आम जनमानस को यातायात अवरुद्ध से निजात मिलेगी।

अतः मेरा अनुरोध है कि बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग (पूर्वी) संख्या 64-बी पर रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे क्रॉसिंग (पश्चिमी) संख्या 67-सी पर अंडरपास बनाए जाने हेतु रेल मंत्रालय को निर्देशित किया जाए।

(v) Need to take measures for welfare of orphaned children in country.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच): मैं देश में अनाथ बच्चों को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसा कि सरकार को जानकारी है कि 'अनाथ' शब्द की अलग-अलग परिभाषाएं हैं। सामाजिक रूप से अनाथ वे बच्चे होते हैं जिनकी अत्यधिक दरिद्रता, शारीरिक शोषण और परित्याग के कारण देखभाल नहीं हो पाती। यूनिसेफ के एक पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में लगभग 20 मिलियन बच्चे अनाथ हैं और 4 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या भारत में है। बहुत से बच्चों के माता-पिता नहीं हैं तथा असंख्य बच्चों को परिवार ने त्याग दिया है और वे सड़कों पर घूमते हैं। अनाथ बच्चों की कोई सामाजिक पहचान नहीं है और देश में उनके लिए कोई सुरक्षात्मक तंत्र मौजूद नहीं है। वे समाज में बहुत जोखिम भरे परिवेश में जीते हैं। इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि अनाथ बच्चों को नागरिक अधिकारों के साथ ही सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों से अविलंब परामर्श करके उन्हें मुख्यधारा में जाने के समस्त सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए।

(vi) **Regarding establishment of a central university in Maharashtra**

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): The enactment of the Central Universities Act, 2009 was done with the aim to establish and incorporate universities for teaching and research in various States. Currently, there are 16 Universities under this Act for different States but there is no university for the State of Maharashtra. Maharashtra is the land of social reformers like Mahatma Phule and Savitri Bai Phule and as a State it contributes more than 15% to the country's GDP. The State of Maharashtra being one of the most developed States of India and also an educational hub has been devoid of a Central University. I request the Government to establish a Central University of Maharashtra for encouraging multidisciplinary learning by promoting creative and critical thinking for holistic development. This shall be in the right direction in achieving that goal in order to provide better opportunities of learning and research in higher education through a full-fledged university which will not only provide education but also aid in creating human capital. It will foster excellence in teaching, research and innovation in pure and applied areas of learning and generate direct and indirect employment.

(vii) Need to take necessary steps for controlling drugs smuggling

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): In recent years, it is being observed how drugs rackets have been busted by Indian security agencies across the country. India, located in the midst of the Golden Crescent and Golden Triangle is highly prone to drugs smuggling. However, Delhi has been used as a transit point to supply drugs across the country that have been smuggled from border areas. Also, it is found that many foreign nationals who are living on student visa and other types of visa are involved in illegal drug trade. Therefore, to save the youth from entering into social disaster, it is of utmost importance that this issue is taken up with highest level of priority and directions be given to relevant security agencies in Delhi to take necessary steps in this regard.

(viii) Need to send a central team to assess the severity of shortage of seeds and fertilizers in Darbhanga, Bihar.

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): अभी रबी का सीजन प्रारंभ हो रहा है और किसानों को बीज और खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता अतिआवश्यक है। किन्तु अध्यक्ष महोदय बिहार राज्य में इस समय किसानों को बीज और खाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं कर रही है। खासकर उत्तर बिहार में दरभंगा जो अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और मुख्य रूप से वहाँ के किसानों की मुख्य फसल रबी है वहाँ किसानों को खाद और बीज के लिए तकलीफ उठानी पड़ रही है, यह एक गंभीर विषय है क्योंकि उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। अतः मैं आदरणीय मंत्री महोदय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से इस समस्या के त्वरित निदान हेतु एक केन्द्रीय जांच टीम दरभंगा भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर समस्या का निवारण किया जाय। खाद की अवैध कालाबाजारी और जमाखोरी व्यापक पैमाने पर की जा रही है।

**(ix) Need to exclude Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency
from National Capital Region**

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र भिवानी - महेन्द्रगढ़ दिल्ली से लगभग 150-200 कि.मी. की दूरी पर है। जो दिल्ली एन.सी.आर. दायरे में आता है। एन.सी.आर. की सभी पाबंदियां तो लागू हैं। लेकिन अफ़सोस कि एन.सी.आर. की तर्ज पर विकास के नाम पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। लोगों पर घर बनाने से लेकर कारोबार करने तक पर एन.सी.आर. वाली सभी पाबंदियां लगी हुई हैं। जिसकी वजह से न तो कोई फैक्ट्री बना सकते हैं न ही कोई इस प्रकार के अन्य काम। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि दिल्ली एन. सी. आर. के दायरे को कम करके मेरे संसदीय क्षेत्र को इससे बाहर किया जाए ताकि लोगों को काम करने में बाधा न आए।

(x) Regarding establishment of a new rail line from Ulkana in Hisar district to Narwana in Sirsa Parliamentary Constituency

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): I would like to submit with regards to the construction of a new rail line from Ulkana in Hisar District to Narwana which comes in my Parliamentary constituency of Sirsa. This stretch of nearly 28-30 km from 'Ulkana Railway Station' situated on the Hisar-Jakhal route to 'Narwana Railway Station' situated on the Jakhal-Jind rail line, i.e. from Ulkana to Narwana, if connected through a new rail line, will immensely benefit not only the people of Sirsa and Fatehabad districts of my Parliamentary Constituency but also neighbouring Hisar district by providing new route to go to Chandigarh. Further, Hisar will also be connected with the state of Rajasthan via Jodhpur, Bikaner, besides directly connecting to Chandigarh through a shorter route. Thus it will be a boon for the people of my constituency alongwith the people of Hisar district since it will enhance ease of business as well as travel among other things.

(xi) Need to increase financial assistance for construction of a house under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen).

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर्): भारत के ग्रामीण व पर्वतीय इलाकों में आज भी लाखों परिवार कच्चे मकान में रहते हैं। गांव में रहने वाले लोग गरीबी के कारण अपना पक्का मकान नहीं बना पाते हैं। वे अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपने पक्के घर का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं और पूरी जिन्दगी कच्चे मकान में बिता देते हैं।

यह सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी आवासविहीन लोगों को आवास सुलभ कराए जाने हेतु संकल्प लिया है, जो स्वागतयोग्य है और इसके लिए सभी देशवासी ऋषितुल्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हृदय से आभारी हैं।

केन्द्र सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत डेढ़ लाख रुपए की अनुदान राशि देती है, जो महंगाई के इस दौर में बहुत ही कम है। वर्तमान में मकान निर्माण में लगने वाली सामग्री- ईंट, पत्थर, सीमेंट, रोड़ी, रेत, बदरपुर, लोहा इत्यादि सभी की कीमतों में तेजी आ चुकी है और यह सामग्री शहर से गांवों में लानी होती है, इसके लाने-ले जाने के भाड़े भी काफी बढ़ चुके हैं।

अतः इस संबंध में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को ढाई लाख किए जाने हेतु निर्देशित करें, ताकि ग्रामीणों के लिए सरलता से आवास निर्मित हो सके और वे केन्द्र की योजना का भरपूर लाभ उठा सकें।

**(xii) Regarding inclusion of irrigation projects from Nandurbar under
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)**

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Since 2016-17, 99 on-going major/medium irrigation projects in the country under PMKSY have been prioritized in consultation with States for completion in phases out of which 26 are in Maharashtra. PMKSY guidelines provide for giving priority to projects belonging to aspirational districts. However, not a single irrigation project has been sanctioned for my constituency of Nandurbar whose northern boundary is defined by the great Narmada river and is also one of the districts which receive water from the Sardar Sarovar Project and is also declared as an aspirational district. Nandurbar is a rural constituency comprising major tribal population and therefore it requires more infrastructure and rural development for its progress and due to lack of irrigation facilities there is malnutrition and migration of tribal farmers. Due to absence of irrigation facilities, farmers have to spend from their own pockets for creating makeshift facilities and the maximum impact is on small and marginal farmers. I request the Government to carry out a survey and include irrigation projects from Nandurbar under the PMKSY in order to augur and build better irrigation facility and infrastructure which will facilitate the holistic development of Nandurbar and its people and achieve the vision of 'har khet ko pani' and doubling farmers income.

(xiii) Regarding rejuvenation of Konar river in Jharkhand.

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): मेरे संसदीय क्षेत्र हजारीबाग (झारखंड) के लोगों के लिए कोनार नदी पानी का प्रमुख स्रोत है। किन्तु यह नदी प्रदूषण-ग्रस्त है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2020 में पाया था कि 'धोबिया तालाब', जो कि एक जल निकाय है और जो झिंझरिया धारा में बहती है और अंततः कोनार नदी में मिलती है, उसकी स्थिति अत्यधिक गंभीर है। एनजीटी ने राज्य सरकार तथा शहरी विकास व आवास विभाग को अशोधित सीवेज और ठोस कूड़े की डंपिंग के मुद्दों के साथ-साथ जल निकाय के आसपास अतिक्रमण के मुद्दों से निपटने के लिए एक संशोधित कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया था। हालांकि, जमीनी स्तर पर स्थिति काफी हद तक जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा कोनार नदी अवसादन (सेडीमेंटेशन) और सिल्टिंग की समस्या से भी ग्रस्त है, जो मामले को और अधिक गंभीर बनाता है। जल एक प्रमुख व आवश्यक संसाधन है। अतः मैं केंद्र से राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त निर्देश जारी करने का आग्रह करता हूँ ताकि कोनार नदी के पुनरोद्धार हेतु तुरंत कदम उठाए जायें और एक प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए।

(xiv) Need to introduce 'Vande Bharat Express' between Solapur and Mumbai.

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर) : सर्वप्रथम माननीय रेल मंत्री जी का सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के सोलापुर से मुंबई के बीच 'वंदे भारत' ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस उपहार के लिए मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सोलापुर से मुंबई के बीच चलने वाली 'वंदे भारत एक्सप्रेस' मार्च 2023 में शुरू की जायेगी। यह बड़ी सौभाग्य की बात है लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से यह नम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि सोलापुर से मुंबई के बीच चलाये जानेवाली 'वंदे भारत एक्सप्रेस' का शुभारंभ 14 जनवरी 2023 को किया जाये। इस दिन का विशेष महत्व यह है कि 14 जनवरी से 16 जनवरी के बीच सोलापुर शहर में गड्डा यात्रा नामक उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों लोग सोलापुर शहर में आते हैं। इस यात्रा का बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इसलिये इस शुभ दिन पर अगर रेल प्रशासन की ओर से सोलापुर से मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू होती है तो यह समस्त सोलापुर और गड्डा यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए एक उपहार होगा। अतः माननीय रेल मंत्री जी से नम्र अनुरोध करता हूँ कि सोलापुर से मुंबई के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ 14 जनवरी 2023 को किया जाये।

धन्यवाद।

**(xv) Regarding withdrawal of Goods and Services Tax (GST) on Kendu
(Tendu) leaves**

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Kendu (Tendu) leaf, a Minor Forest Produce (MFP), is major source of income for millions of tribals. Tribal pluckers, binders and seasonal workers procure Kendu leaves and sell these products as part of their right under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. The tribals have the right to procure and sell the products.

Imposition of 18% GST on Kendu leaves is majorly impacting Kendu leaves trade and the livelihoods of poor seasonal dependent tribals. I Would urge upon the Government to withdraw the imposition of 18% GST on Kendu leaves for the larger interest of poor tribal communities.

(xvi) Regarding implementation of the proposal of insurance regulatory and development authority (IRDA) regarding LIC

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): It is unfortunate that the Government is going to implement the proposal of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) that will perish LIC, a renowned institution that has been running successfully for 66 years. I humbly request the Government to not try to destroy this institution as the Government had done earlier about other public sector companies and institutions.

Besides an institution, LIC is the means of living for thousands directly and indirectly. It is known that several proposals of IRDA are helping private insurance companies destroy the public sector. So I humbly request that the Government should conduct a detailed discussion on this proposal with workers and officials including LIC agents. The Government has the responsibility to protect the jobs and livelihoods of people who depend upon LIC directly or indirectly.

(xvii) Regarding grant of additional amount to people of Andaman and Nicobar Islands under the Ayushman Bharat Scheme

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN and NICOBAR ISLANDS): The people of Andaman & Nicobar Islands, due to its geographical location remain susceptible to public health problems. The pandemic has only made the situation worse. The GB Pant Hospital is the lone referral hospital to cater to the needs of the people of the island with an average OPD attendance of 1200 patients per day. Due to the lack of facilities, the islanders of Andaman & Nicobar have to often travel to the mainland to access health facilities, and in almost all cases they have to travel either with a family member or a relative for the purpose of caregiving, which ratchets up their total expenditure on healthcare, thereby burning a hole in their pockets. Given the very high traveling cost, the poor population of the island finds itself incapacitated to afford quality healthcare. Thus, I would request your kind intervention in the issue and help Andaman & Nicobar in increasing access to affordable healthcare for its people. I request that along with the Ayushman Bharat Health Benefit Cover of Rs. 5 lakh per family per year, an additional sum of money to cover the cost of transportation for the treatment be also provided under the scheme on the lines of ANISHI scheme which has been discontinued.

(xviii) Regarding resumption of direct train service between Chennai and Tiruvannamalai on daily basis

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): There is a demand by large number of public for direct train connection between Chennai and Tiruvannamalai. Tiruvannamalai Railway Station in Tamil Nadu is 125 years old. The passenger train from Tambaram to Tiruvannamalai was running till 2007 on narrow gauge. The work relating to conversion of narrow gauge to broad gauge commenced in the year 2007 which temporarily disrupted the railway connectivity to Tiruvannamalai. After completion of conversion of railway track, the daily passenger train which was operating between Tambaram to Tiruvannamalai has not been restored. The Ministry of Railway is not taking any concrete step in this regard till now. Needless to reiterate that the Temple city of Tiruvannamalai attracts lakhs of visitors for Darshan of Lord Arunachaleswarar and Girivalam. Hon'ble Railway Minister, may, therefore, take necessary action to resume daily direct train between Chennai to Tiruvannamalai without any delay.

(xix) Regarding construction of a concrete bridge over Mundasari river in Arambagh Parliamentary Constituency

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Khanakul of Arambagh subdivision in my Parliamentary Constituency is a flood prone area. During rainy season it remains under water. The area has an overwhelmingly 94.77% rural population and 5.23% urban population.

Mundasari river flows along Khanakul which causes flood every year. There is a communication problem being faced by the people living there. Hence, I urge upon the Government to construct a concrete bridge urgently over Mundasari river. The Ganeshpur Bridge in Natibpur G.P. which is of bamboo be constructed into a concrete bridge so that the movement of common people of Howrah, Hooghly and Medinipur district becomes smooth & life becomes easier for the common man.

(xx) Need to restore operation of local trains between Lonavala and Pune.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): लोनावाला से पुणे के बीच लोकल ट्रेन चलती थी, लेकिन कोविड -19 के प्रादुर्भाव के चलते कोविड काल में अन्य ट्रेनों के साथ इस लोकल ट्रेन की सेवा भी बंद कर दी गई थी। महोदय, अब जबकि स्थिति सामान्य होने के साथ ही देश भारत में सभी तरह की रेलगाड़ियों को फिर से चलाया जा रहा है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र मावल के अंतर्गत अभी भी लोनावाला से पुणे के लिए सभी लोकल रेलगाड़ियों का संचालन शुरू नहीं हुआ है। वर्तमान में लोनावाला से पुणे 12 बजे से पहले कुछ लोकल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है और लोनावाला से पुणे यातायात करने के लिए 12 बजे से 2 बजे के बीच कोई भी लोकल ट्रेन नहीं चलती है जबकि इस मार्ग पर अधिकतर छात्र, कर्मचारी और अन्य नागरिक यात्रा करते हैं इसके साथ ही साथ तलेगांव, पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में इंडस्ट्री एरिया होने के कारण सेकंड शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को लोकल ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाती है, इसके साथ ही साथ छात्रों को भी लोनावाला से पुणे आने के लिए 12 से 2 बजे तक लोकल ट्रेन का इन्तजार करना पड़ता है जिस कारण छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि लोनावाला-पुणे-लोनावाला के बीच पहले की तरह लोकल रेलगाड़ियों का संचालन किया जाय।

(xxi) Need to run a passenger train between Saharsa and Patna.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सुपौल नेपाल से लगा बिहार का सीमावर्ती जिला है, जहां काफी वर्षों के बाद रेल यातायात शुरू हुआ है। सुपौल के सरायगढ़ व निर्मली के बीच अवस्थित रेल लाइन, आजादी के पूर्व ही भूकंप से ध्वस्त हो गयी थी। इसको लगभग 86 वर्षों के बाद पुनर्स्थापित किया गया। रेलवे लाइन पुनः चालू होने के बाद रेलवे द्वारा दरभंगा और सहरसा के बीच वाया झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़ और सुपौल होकर चार जोड़ी गाड़ियां चलायी जा रही हैं। इन सभी कार्यों के लिए सुपौल जिले की जनता रेलवे का हृदय से आभार प्रकट करती है। वर्तमान में सुपौल के किसी स्टेशन से पटना के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। इससे इस जिले के लोगों को राजधानी पटना जाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सहरसा से सुपौल होकर सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, हाजीपुर होते हुए पटना के लिए एक जोड़ी ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। इससे सुपौल, मधुबनी व दरभंगा के साथ- साथ नेपाल के लोगों को राजधानी पटना आने-जाने में सुविधा होगी।

(xxii) Regarding re-imburement of money to investors who invested in deposit schemes of Sahara India

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में नान पैरा बैंकिंग के रूप में सहारा इंडिया नाम की संस्था के तरफ दिलाना चाहता हूँ। सहारा इंडिया के एजेंटों ने भोले - भाले लोगों को प्रलोभन देकर एक निश्चित समय में दो गुना, 3 गुना या छह गुना करने का लालच देकर पैसे जमा कराए लेकिन समय पूरा होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। लोग अपने पैसे के लिए आज सहारा इंडिया बैंक एवं सहारा के एजेंट के चक्कर लगा रहे हैं। किसान, गरीब एवं मध्यम वर्गी परिवार के लोग अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को ऐसे स्कीमो में इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी बेटी की शादी एवं बच्चे की पढ़ाई सही ढंग से हो सके। समय बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने के कारण क्षेत्र व उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है।

मेरी सहकारिता मंत्री जी से माँग हैं कि जनहित में इसका संज्ञान लेकर अति शीघ्र उचित कारवाई करने की कृपा करें जिससे पीड़ित लोगों को इसका लाभ अतिशीघ्र मिल सके।

14.10 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

**Need to promote sports in India and steps
taken by the Government in this regard**

माननीय सभापति : अभी हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे।

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे – उपस्थित नहीं।

श्री अधीर रंजन चौधरी।

14.11 hrs

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Chairman, Sir. The issue of sports has already been widely discussed in this House and a large number of our esteemed colleagues have participated in this discussion. They have ventilated their views and opinions in an elaborate manner. All of us are being enlightened by the contribution of each of those esteemed hon. Members.

Sir, the issue is that there is no dearth of sports potentialities and talent in our country. In spite of all our talents and potentialities, there is no denying the fact that we have been lagging behind in respect of sports in the globe.

Sir, now-a-days, we are watching the World Cup football. A country consisting of 30 lakhs of population has got the guts and gumption to organise the Word Cup football and the host country has also played in this World Cup. In 1930, Uruguay organised the World Cup. At that time, their total population was more or less 19-20 lakhs. Even a constituency of our country consists of more population than the entire population of Uruguay, Lithuania etc.

Even day before yesterday, I was watching the performance of Uruguay in the World Cup. It clearly vindicates that talent does not depend upon population. India is a country with the second largest population in the world. In spite of that, we are lagging behind.

First of all, I think that irrespective of our colour, creed, religion, party etc., we should have a threadbare introspection into this aspect and try to explore the ways and means to strengthen our sports sector in the country.

Sir, as we know, sports is an identity of a nation. Brazil is very much identified with football. Whenever we come across the name of Pele, immediately the country that is visualised upon us, is Brazil. Whenever we talk about Messi, immediately it visualises that the name of the country is Argentina.

So, a country is identified by sports. Even Shri Dhyani Chand of our country has earned laurels in the world of hockey. India still boasts of him. So, certainly, there is no dearth of talent in our country. I think we are failing to exploit that potentiality and talent available in this country.

Sir, the legendary footballer, Pele has been languishing under various ailments. So, I must extend my good wishes so that he may get well as immediately as possible.

Sir, both our Ministers of Sports are very young in age. I would like to draw their attention to some of the aspects which may further facilitate their performance.

First of all, the budget that has been allocated for the sports sector, I think, is too meagre to do anything substantial. The total budgetary allocation towards

the Ministry of Sports in 2022-23 is Rs. 3,063 crore. If we go by the allocation of funds to various sectors of our sports-related Departments, we can easily come to the conclusion that the budget that is supposed to have been allocated here is abysmally poor. But that does not mean that I am going to compare the budget allocation of this Government or that Government. It is because, I have categorically stated initially that we need to have an introspection into those areas where we have been lagging behind.

Sir, insofar as the budget allocation for the Ministry of Youth Affairs and Sports is concerned, here it is observed that in the Nehru Yuva Kendra Sangathan, the allocation has been reduced.

So far as the 'Khelo India Programme' is concerned, it is a programme which was initiated with a great euphoria in our country. I can draw the attention of the hon. Ministers that 'Khelo India' is certainly an umbrella programme implemented in 2016-17 after the merger of Rajiv Gandhi Khelo Vision, Assistance for Creation of Urban Sports Infrastructure, and the National Sports Talent schemes.

It aims to include sporting culture and achieve sporting excellence in the country. But the fact is that year after year, it has been observed that the actual expenditure vis-à-vis the allocation has been declining. In 2016-17, the actual expenditure was 74 per cent vis-a-vis the budget. Similarly, in 2020-21, the actual expenditure was 43 per cent.

It clearly demonstrates that even the allocated money is not being spent. That is why here I am drawing the attention of both the hon. Ministers.

Sir, insofar as the sports infrastructure is concerned, the existing sports infrastructure is to be utilised through a committee containing sports personnel and local stakeholders. Gaps in availability of sporting infrastructure have to be identified and filled through the schemes.

Many of my esteemed colleagues have already made a plethora of suggestions, and I do not want to afford more time there because already the Ministry is having a plentiful of suggestions.

Insofar as playfield development is concerned, a National Inventory of Playfield and Sports Infrastructure is to be prepared. The State and District Playfield Associations have to be created to put in place a strong institutionalised mechanism for preserving and developing the playfield.

Sir, it is interesting to note that according to one survey, half of the primary schools in many States of our country do not possess the playfield. Then, how our country will be nurturing our future talent, is the moot question.

Sir, insofar as the National Sports Policy, 2001 is concerned, many valuable suggestions were put in place. But the fact is that it has not been implemented. Sir, popularising sports was advised in the National Sports Policy, 2001. The development of infrastructure was also highlighted in it. Also, excellence in sports was also stated in the Policy. Now, the Ministry will set-up Centres of Excellence that will identify and train outstanding sportspersons to achieve better performance in international sports. I would like to know about the present status of the Centres of Excellence.

Again, Sir, the Sports Policy of 2001 envisaged that sports will be made a compulsory subject of learning upto the secondary school level and incorporated into student evaluation. I do not know whether it has been implemented or not.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Member, I just do not want to disturb your wavelength but there are few more Members also to speak and, as is expected, the Minister will be replying to the discussion today at 2:45 p.m.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I came to know that the Minister will reply on Monday.

HON. CHAIRPERSON: No, the Minister is going to reply today.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: No problem, Sir. I am cutting it short.

I would like to mention over here three, four issues. Sir, sustained efforts should be made to break the perception of the sports as a recreational activity. There is a popular saying that:

खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, इसे बदलना चाहिए।

खेलोगे कूदोगे होंगे लाजवाब, लिखोगे पढ़ोगे फिर भी बनोगे नवाब, यह सोच बदलनी चाहिए।

Sir, the proposal to transfer 'sports' to the Concurrent List of the Constitution could be examined provided it is beneficial to this sector. Again, there is a need for an independent regulator for sports as a Sports Regulatory Authority. Mr. Rathore has been proposing to delete the name of the authority. I do not know about the reaction of this Government.

Sir, lack of adequate coaches is another area of concern. In March, 2017, SAI had 948 coaches across 25 disciplines against a sanctioned strength of 1524 coaches. What is the present status of the number of coaches, the share

of indigenous coaches and the hired coaches available in our country? The Modi Government has been pleading for local. What is the status of the indigenous coaches who are available in our country to nurture our future talent?

Our country, India, is famous for hockey. But now, again, in that field also, we have been lagging behind. Out of 86 existing astroturfs, only 50 were in good condition. The Standing Committee was informed by Hockey India that 500 additional astroturfs are required in the country. What is the reaction of this Government on this?

Again, there is a proposal pending over here that India should have an anti-doping legislation. I would like to know whether the Government has been pondering over it or not. That also needs to be elaborated over here.

Sir, as far as the para-athletics sports persons are concerned, their classification should not be neglected and proper system may be evolved for the identification, education, and training of a classifier.

महोदय, मैं एक-दो मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। साई के खिलाफ सैक्सुअल हासमेंट की शिकायत दर्ज होती है। इसे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हमारे बच्चे और बच्चियां ट्रेनिंग में अगर जाएंगे और उनके साथ बुरा बर्ताव होगा तो इसका बुरा असर भी हो सकता है।

There are 45 complaints of sexual harassment against 29 coaches. Kiren Rijijuji, I am referring to this data for your convenience. Recently, an Indian cyclist filed a complaint with SAI against a coach accusing him of sexual harassment in Slovenia.

HON. CHAIRPERSON: You have made your point. ... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I would also like to highlight the issue of the poor plight of the Indian sportspersons who have retired. They are being totally neglected in our society. Bimla Munda is a national karate champion. वह क्या करती हैं, दारू बेचती हैं, क्योंकि पेट भरने का साधन नहीं है। स्पोर्ट्स को इन्सेन्टिवाइज करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में प्री सक्सेस का कोई इन्सेन्टिवाइजेशन नहीं है, हमारे देश में पोस्ट सक्सेस इन्सेन्टिवाइजेशन है यानी नीरज शर्मा जब मेहनत करते थे, कुछ पैसा नहीं मिला लेकिन सक्सेस होने के बाद उनको पैसे की कोई कमी नहीं रही।

मैं स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स का जिक्र करना चाहता हूँ। हम सबको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। World's renowned legendary basketball coach, Mr. Jim Valvano delivered a speech while receiving the Arthur Ashe Courage Award. When everybody knew that he was going to die in a few weeks because of cancer, he said:

“Cancer can take away all my physical abilities but it cannot touch my mind; it cannot touch my heart; and it cannot touch my soul.

Those three things are going to carry on forever.”

Sir, sports is friendship, sports is health, sports is education, sports is life, and sports brings the world together. So, we must promote sports in our country by employing all our resources. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि नियम 193 के अधीन खेलों पर जो चर्चा चल रही है, उस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तरफ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सदन में इस चर्चा में मुझ से पहले कई वरिष्ठ साथियों ने अपनी राय दी है। भारत में खेल प्राचीन काल से

आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरे कबड्डी, शतरंज, खोखो, कुश्ती गुल्ली-डंडा आदि परंपरागत खेलों के अलावा विभिन्न देशों के संपर्क में आने से भारत में क्रिकेट, जूडो, टेनिस आदि खेलों का खूब प्रचलन हुआ।

मैं भारत सरकार की वेबसाइट पर दिए गए खेलों के संबंध में दिए गए वक्तव्य को पढ़ना चाहूंगा, इसमें लिखा है – मानव के समग्र विकास में खेलों की अहम भूमिका रही। खेल मनोरंजन के साधन और शारीरिक दक्षता पाने के एक माध्यम के साथ-साथ लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उनके बीच में संबंधों को अच्छा बनाने में सहायता करते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर खेल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों ने राष्ट्र को हमेशा ही गौरवान्वित किया है। यह बात सही है, लेकिन मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा ताकि किस प्रकार हम गांव के अंतिम छोर पर बैठे उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को आगे ला सकें, जिनके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। इस हेतु हमें सोचना होगा।

महोदय, समूचे विश्व में भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। जब जनसंख्या की बात आती है, ओलंपिक मेडलों की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं। कुछ देश, जो ओलंपिक मेडल लाने में अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, जैसे चीन, जिसकी जनसंख्या हमसे अधिक है, उन देशों में एक तय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूलों का मॉडल है, जिसके जरिए पैसा ट्रेनिंग पर ही खर्च होता है। इस वर्ष के बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3062.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में 11.08 प्रतिशत अधिक है।

यह बात सही है कि खेलो इंडिया सहित कई योजनाओं के माध्यम से खेल क्षेत्र में व्यापक सुधार की कोशिश की गई है लेकिन ओलंपिक मेडल लाने में हम पीछे क्यों हैं, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। हमें सरकार के स्तर से बिना किसी भेदभाव के योग्य प्रतिभाओं को आर्थिक सम्बल देना होगा। तभी भारत का नाम ओलम्पिक मेडल लाने वाले देशों की सूची में पहला, दूसरा या तीसरे स्थान पर होगा। हमारे यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में खेलों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हमारी संस्कृति ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन,

जरूरत है कि सरकार गाँव के अंतिम छोर पर बैठे प्रतिभा को पहचान कर उसकी मदद करे। इसी क्रम में मैं मांग करूंगा कि केंद्र के स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बजट जारी किया जाए।

महोदय, हमें खिलाड़ियों की भावनाओं को समझना होगा। अगर किसी के साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो हमें उसको समझना होगा। लेकिन, शासन-प्रशासन के स्तर पर की गई अनदेखी किसी खिलाड़ी की जान तक ले लेती है। कुछ ऐसा ही मामला मैंने लोक सभा में उठाया था कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनने की चाह दिल में लेकर बैठी और उसके लिए मेहनत करने वाली 17 वर्षीय पहलवान रितिका कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे विजेता होने के बावजूद भरतपुर में आयोजित प्रतियोगिता में उप विजेता घोषित कर दिया गया था। मैंने उस मामले को विस्तार से सदन में रखा था और केंद्रीय जाँच एजेंसी से जाँच की मांग की थी। लेकिन, आपने उसे राज्य का विषय बताकर ड्रॉप कर दिया था। ऐसे संवेदनशील मामलों में केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरी खेल मंत्री जी से मांग है कि आप उस मामले को मंगाकर दिखवाएं।

मेरी आपके माध्यम से मांग है कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के अहम हिस्सों में खिलाड़ियों पर उत्पन्न होने वाले मानसिक दबावों से निपटने के तरीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, आज खेल के क्षेत्र में जो चयनकर्ता हैं, उनमें कई संकीर्ण मानसिकता के लोग बैठे हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। उसके बारे में मैंने मंत्री जी को भी बताया था और मंत्री जी ने हमारी मदद भी की थी। नवम्बर, 2021 में, बहरीन में एशियाई यूथ पैरा गेम्स आयोजित हुई थीं। उसमें मेरे राजस्थान के सीकर जिले की एक दृष्टि बाधित बेटी शालिनी चौधरी भी थी। पैरा ओलम्पिक कमिटी में बैठे कुछ लोगों ने उसके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी गलत भेज दी थी, जिससे वीजा में गलत जानकारी अंकित हो गई थी। माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे बात की थी, आपने उसको ठीक करवाया था, लेकिन तब तक उसका एक मैच हो चुका था। वह आपके डिपार्टमेंट की गलती थी। आप ऐसे मामलों की जांच कराकर जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ताकि देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह बहुत बड़ी बात है।

मैंने आपको पत्र लिखा था और आपने मेरी मदद भी की थी। ऐसी इरादतन त्रुटि के कारण प्रतिभाओं का नुकसान हो रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरी कुछ प्रमुख मांगें हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, जहां से मैं आता हूं, वहां सेन्ट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाए। वहां यूथ हॉस्टल के लिए जमीन उपलब्ध है और चारदीवारी भी बनाई गई है। आप यूथ हॉस्टल के भवन निर्माण के लिए बजट जारी कीजिए। उसके लिए मैंने आपसे व्यक्तिगत निवेदन भी किया था। आप खुद एक नौजवान हैं, नौजवान होकर राजनीति कर रहे हैं। आप हमारा भी पूरा ध्यान रखते हैं। आप नागौर जिले पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए।

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना चल रही है। उसमें आप आर्थिक तंगी में रहने वाले खिलाड़ी को पांच लाख रुपये तक मदद करते हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hanuman Beniwal Ji, please cooperate with the Chair.

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदय, इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जाए।

एक पर्वतारोही का भी विषय है। आज गाँव के बहुत ज्यादा बच्चे पर्वतारोही के लिए आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक संसाधन का अभाव है और सरकार से उनको कोई मदद भी नहीं मिलती है। मेरी मांग है कि पर्वतारोहियों के लिए सरकार के स्तर पर दस लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा खर्च आता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देने की दिशा में कारगर कदम उठाया जाए।... (व्यवधान) मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मेरी कुछ डिमांड्स हैं।

माननीय सभापति: आपके छः मिनट पूरे हो गए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदय, प्रत्येक जिले में आधुनिक सुविधा युक्त मैदान विकसित किए जाएं। भारत कबड्डी को ओलम्पिक में शामिल करने के लिए पैरोकारी करे। गाँव की परम्परागत खेलों को बचाने की दिशा में कार्य किया जाए। आर्थिक कमी के कारण तीरंदाजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पास धनुष नहीं है। शूटिंग क्षेत्र की प्रतिभाओं के पास संसाधन नहीं है। वे एमपी और

एमएलए के पास आते हैं कि आप हमें नया धनुष, पिस्टल और बन्दूक दिलाइए। केंद्र को ऐसे मामलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ... (व्यवधान) हमें ओलम्पिक खेल में एक गोल्ड, दो रजत और चार कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। अमेरिका, जापान और चाइना की तुलना में हमारा मेडल लेने का आंकड़ा बहुत कम है। महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा हमारा देश है, जब ओलम्पिक गेम और एशियाड होता है तो पूरा देश छुट्टी लेकर टेलीविजन देखता है। लेकिन, हम एक पदक जीतते हैं तो खुश हो जाते हैं। उसके बाद, आप लोग दिल्ली से बयान जारी करते हैं कि इंडिया बहुत आगे हो गया है। कितना आगे हो गया? इंडिया सबसे ज्यादा कोरोना से होने वाली मौतों में आगे हुआ है। लगभग 50 लाख लोग इंडिया में मरे हैं। मेरा खेल मंत्री जी से निवेदन है, आप नौजवान हैं। ... (व्यवधान) मैं एक सकेड में समाप्त करता हूं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, आप हमेशा नौजवानों का ध्यान रखते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय पूरा हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदय, मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। मैं तो आपके कहते ही बैठ जाता हूं। मैं तो आपकी बात मानता हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको 7 मिनट से भी ज्यादा का समय दिया गया है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप अपनी लास्ट डिमांड बता दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मेरी मंत्री जी और सरकार से यह अपील है कि हर नौकरी में स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। दिल्ली में भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, नौकरियों के अंदर उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। यह मेरी मांग है।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अधीन खेल के विषय पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, भारत हर एक क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की चेष्टा रखता है। चाहे आर्थिक स्थितियां हों, चाहे वह देश की सामाजिक स्थिति हो, चाहे विश्वस्तर पर अपने नाम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम हो, भारत ऐसी चेष्टा रखता है। स्पोर्ट्स इन चेष्टाओं को हकीकत का रूप देने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी पड़ाव है, जिसमें हमें अपने आपको स्थापित करने की जरूरत है। आज हमें इसकी सच्चाई इससे पता चलती है कि क्रिकेट को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा खेल नहीं है, जिसमें भारत पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हो। यहां तक की हॉकी और अन्य खेलों में भी अभी हम चौथे स्थान पर हैं।

महोदय, मैं शुरुआत में ही बताना चाहता हूं कि ओलंपिक जिसमें सभी देश खेलते हैं, जहां उनकी प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें यह पता चलता है कि खेल जगत में कौन-सा क्षेत्र आगे है। उसमें यूएसए को 39 गोल्ड, चाइना को 38 गोल्ड, जापान जैसे देश को 27 गोल्ड मिले हैं। भारत 48वें स्थान पर मात्र 1 गोल्ड के साथ वहां पर खड़ा है। फुटबॉल जो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। वहां आज भारत 104वें स्थान पर खड़ा है। चाइना जैसा देश जिससे हमें अपनी तुलना करनी चाहिए, वह 39वें स्थान पर है। इससे यह स्थापित होता है कि हम कहीं न कहीं खेल के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। चूंकि समय बहुत कम हैं, लेकिन मैं यहां पर इन तीन प्रमुख कारणों को जरूर रखना चाहूंगा।

महोदय, पहला अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो भी फंड्स देती है, उसका यूटिलाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरा कोचेज की शॉर्टेज है और तीसरा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। मैं सबसे पहले अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात करूंगा। अभी हमने यह देखा है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2022 से 2026 के साइकिल में 'खेलो इंडिया मिशन' के तहत 3,165 करोड़ रुपये दिए हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक इसके अंदर जो फंड्स दिए गए हैं, 520 करोड़ रुपयों में से मात्र 500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हुआ है और 320 करोड़ रुपयों में से मात्र 300 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हुआ है। यह वर्ष 2018-19 और 2019-20 के साइकिल में है।

कहीं न कहीं सरकार को इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा कोचेज के शॉर्टेज की बात है। किसी भी खेल में यदि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सोच रखना चाहते हैं, तो हमें उनको प्रशिक्षण देने के लिए अच्छे कोचेज की जरूरत है। बहुत सारे कोचों के पास हाई लेवल की ट्रेनिंग भी नहीं है। यदि उनकी जरूरत पड़ती है, तो इतने सारे स्कूलों में हम हाई लेवल के कोचेज नहीं रख पाते हैं। हमारे स्पोर्ट्स की जो आगे आने वाली जेनरेशन है, यह कहीं न कहीं उसको कमजोर करने का काम करती है, इसलिए ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

इसी के साथ ही साथ अलग-अलग खेलों के संघ बने हुए हैं। वे संघ कहीं न कहीं व्यापक भ्रष्टाचार के शिकार हैं। उनके अंदर भेदभाव होता है। चाहे वह जातिगत भेदभाव हो, चाहे वह भाई-बंदी का भेदभाव हो, चाहे पैसे की कमी हो, वहां भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। इसके अंदर सरकार को कहीं न कहीं एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी की स्थापना करनी चाहिए, जो कि यह देखे कि किस तरह से इस भेदभाव को रोका जा सकता है। मैं आपके सामने जातिगत भेदभाव के दो-तीन उदाहरण रखना चाहता हूँ। ओडिशा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सहयोग से एक बहुत ही अच्छी हॉकी टीम भेजी गई थी।

वहां पर हरिद्वार की एक लड़की वन्दना कटारिया खेलने का काम कर रही थी। जब हम फाइनल में हारे तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े गए और यहां तक कि उनको जातिसूचक गालियां देने का भी काम किया गया। यह भी कहा गया कि हॉकी टीम के अन्दर दलित लोगों को बहुत ज्यादा लिया गया है इसीलिए हम हार रहे हैं। यह कहीं न कहीं हमारे देश की मानसिकता को दिखाने का काम करता है कि यह भेदभाव अभी भी हमारे देश में पनप रहा है। इसे स्पोर्ट्स से कैसे हटाया जाए, क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसा माध्यम है, जिसमें जात-पात को दूर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, मैं अपनी बात को जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ।

सर, सबसे ज्यादा जरूरी काम लोगों को चयनित करना है और बच्चों को चयनित करना है। हमारे देश में गरीबों के बीच ज्यादातर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग रहने का काम करते हैं। यहां पर अथाह टैलेंट पड़ा हुआ है। यहां पर टैलेंट की एक खान है। आर्थिक रूप से

आगे बढ़ने के लिए इनके पास स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके लिए हमें भेदभाव खत्म करने की जरूरत है। मेरा आपके माध्यम से स्पोर्ट्स मिनिस्टर से निवेदन है कि आप इस पर सोचने का काम कीजिए कि किस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्पोर्ट्स में भागीदारी मिले।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for allowing me to speak on this important discussion under Rule 193 on the need to promote sports in India.

Let me invite the attention of the House to the importance of traditional sports form of Kerala, the snake boat race which attracts the attention of the world through its athletic excellence and true sportsman spirit. I am only focussing on the water sports. I am not going to talk about other sports because of the time constraint.

There are numerous boat races that are held with global fanfare, including the world-famous Nehru Trophy Boat Race that was named by Pandit Jawaharlal Nehru who himself took time to relish the marvel of the traditional snake boat race in Lake Punnamada in Alleppey District of Kerala.

Sir, Kuttanad is the centrepiece of the boat race competitions. Apart from this, Champakulam moolam boat race, Nerettupuram Mamman Mappila Trophy boat race, Pulinkunnu Rajiv Gandhi Trophy Boat Race, Kainakari boat race, Paippad Chathayam boat race, Pandanadu boat race, Kayamkulam boat race, Chennithala Palliyodam boat race, Thazhathangadi boat race in Kottayam, Vallam President's Trophy boat race, Munro Island boat race and several other boat races make Kerala an important destination for several acclaimed boat

races. Sir, Kollam boat race was named as the President's Trophy boat race after Shrimati Pratibha Devisingh Patil graced the occasion. The former Prime Minister Rajiv Gandhi had also visited Kerala. At that time, there was one boat race at Pulinkunnu. After that, that boat was christened as Rajiv Gandhi Memorial Trophy boat race. The former President of India, the former Prime Ministers of India, so many former Speakers of Lok Sabha, including Shrimati Meira Kumar, and former Union Ministers had attended boat races in Kerala on several occasions. Sir, famous snake boats are described in Malayam as *Jalra-jajakanmar* which means the emperors of the waters including karichal chundan, cheruthana chundan, Jawahar thayankari chundan, nedubhagam chundan, kavalam chundan, St. George chundan, Parthasarathi chundan, paippatti chundan and also Sriganesh Chambakulam Kainakari Boat Club.

There are a number of chundan boats in Kerala, especially in Alleppey District of my constituency Kuttanad.

Let me come to the operational and allocational requirements for snake boat racing. So far, the Ministry of Sports, Government of India has not given any attention to the boat racing competitions in Kerala. That is why I would like invite the attention of the hon. Sports Minister to this. The lack of permanent or semi-permanent pavilions for spectators of snake boat race is an important issue. Even though a small pavilion is erected at Punnamada for Nehru Trophy, huge capital expenditure is making the organisers refrain from construction of pavilions. Since snake boat race is known as cricket in the waters due to its

popularity, the infrastructure deficiency must be addressed through the Central Government.

The Government must allocate necessary funds for the construction of permanent or foldable pavilions as it will attract more tourists and spectators as well as help address the funding gap in infrastructure. The lack of pavilions is also forcing the organisers of the boat races to go with makeshift pavilions made of joining jankar boats which is expensive. The provision of bonus for all boat racers and oarsmen is a necessity which is also turning to be a burden for organisers as only a handful races are given funds from the State Government and bonus payouts run into lakhs. There are numerous types of boat race classes such as iruttukutthi, veppu, and women exclusive races are also included in the competition. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Suresh ji, please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am concluding, Sir. It is a very important issue. Nobody touched upon water sports.

HON. CHAIRPERSON: Your point is already well taken.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am concluding in two-three minutes.

The training for racers begins about six months prior to the competition and a huge amount is required for the payout. The annual maintenance and routine repairs are also not backed by any State fund. They run a huge amount in liabilities. Despite the financial liabilities the organizers continue to arrange the boat races due to the enthusiasm of public and tourists alike.

The boat races are also a symbol of national integration as people gather and congregate in large numbers leaving behind race, religion, gender, and class to experience the spirit of boat races. Therefore, by assessing the huge public demand and possibilities of the development of boat racing as a sporting event of international standards, I would request the Government to constitute an expert team to study about the boat racing competition in Kerala and also sufficient funds should be given to the Government of Kerala.

Lastly, whenever a boat race is going on, people shout 'Arpo Irro, Arpo Irro, Arpo Irro'. This is the enthusiasm of people. Whenever a boat race competition is going on, at that time jubilant people shout 'Arpo Irro'. So, through you, I would like to request the hon. Minister this. ... (*Interruptions*) I would like to invite the hon. Sports Minister. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Are you inviting the Minister?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Yes, Sir. I would like to invite the hon. Sports Minister next year. You come to Kerala and attend Nehru Trophy competition or any boat race competition.

HON. CHAIRPERSON: All is well that ends well. Thank you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I would also like to invite all the hon. Members to the boat race competition in Kerala. ... (*Interruptions*)

श्री संजय सेठ (राँची): माननीय सभापति महोदय, आज स्पोर्ट्स पर एक गंभीर चर्चा हो रही है और यह चर्चा ऐसी है कि 135 करोड़ देशवासी, जिनके दिलो-दिमाग पर यह बात है कि खेल कैसे बढ़ें, कैसे हम ओलम्पिक में पदक जीतें। भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे जीते हुए खिलाड़ी हों, चाहे हारे हुए खिलाड़ी हों, खेल के दौरान सबसे बात की और

उनका मनोबल बढ़ाया। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश में हुआ कि जब हम खेलने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों को अपने घर में बुलाते हैं, उनको शाबाशी देते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जब वे खेल के दौरान जीतते हैं या हारते हैं, तब भी प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं।

जब खेलकर आते हैं तो प्रधान मंत्री जी उनको शाबासी देते हैं और चाय-नाश्ता कराते हैं। यह खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है। मैं झारखण्ड से आता हूँ। झारखण्ड में बहुत बड़ी पौध है। वहां क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती की बड़ी-बड़ी पौध है। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसमें हमारी तीन ट्राइबल बेटियां थीं और बीस साल के नीचे की थीं। उनके नाम सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान हैं। हमने वह करके दिखाया और हमारे बच्चों ने करके दिखाया। हमारे लॉन बॉल्स में लवली चौबे, रूपा रानी टिकी गोल्ड लेकर आईं, सिल्वर मेडल में दिनेश कुमार आए, आर्चरी में गोल्डी मिश्रा आए। अभी अण्डर 17th फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, उसकी कप्तान अष्टम उरांव थीं। यह हमारी पौधशाला है। महोदय, यहां पर हमारे दो खेल मंत्री बैठे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा जी आर्चरी का बहुत बड़ा कैम्प चलाते हैं। उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खिलाड़ी निकले हैं। वर्ष 2011 में हमने राष्ट्रीय खेल करवाए। हमने वहां बहुत बड़ा खेल गांव स्थापित किया, लेकिन दुख का विषय है कि खेल गांव का उपयोग नहीं हो रहा है। यहां पर दोनों माननीय मंत्री बैठे हैं, उनमें अनुराग जी भी हैं। मेरा आग्रह है कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रांची के अंदर हो, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपये लगाकर वह खेल गांव बना। खेल और खेल के प्रशिक्षण के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। जहां एक तरफ देश के प्रधान मंत्री और हमारे युवा खेल मंत्री प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखण्ड की सरकार है। अभी गुजरात के अंदर नेशनल गेम्स हुए तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब अक्टूबर में हमारे खिलाड़ी गुजरात में खेलने गए तो उनके लिए एक ड्रेस कोड था, लेकिन न उनको ट्रैक शूट मिला, न जूते मिले, न कोई सुविधा मिली और उनको सेरेमोनियल किट तक नहीं मिली। वहां से हमारे झारखण्ड के खिलाड़ी 13-13 मेडल जीतकर आए। यह हमारा हौसला है, हमारे बच्चों का हौसला है। इसलिए हम यह मांग करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ियों

को आश्वासन न दें, बल्कि अब सीधे भारत सरकार उनको देखे। ... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलने वाले खिलाड़ियों का भारत सरकार डेटाबेस तैयार करे, उसकी मॉनिटरिंग करे और समय-समय पर उनकी हौसला अफजाई करे। अभी हाल ही में हमारे यहां एक नेत्रहीन क्रिकेटर सुजीत मुंडा की प्रतिभा सामने आई है। वह क्रिकेट का विश्व कप खेलने वाले एक क्रिकेटर हैं। संसाधनों के अभाव में इनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मेरा आग्रह है कि हम सब उनको खेलने के लिए भेजें। मेरा खेल मंत्री जी से यह आग्रह है कि ऐसे होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए। मैं अंत में पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ये लोग खाका-डाका के साथ बोले हैं। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि खेलो इण्डिया में खेल मानो जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो प्रत्येक आदमी के हृदय में स्थान रखता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, वह हाथ-पैर हिलाकर खेल लेता है। जब वह बड़ा होता है तो जो-जो खेल खेलता है, उससे बुद्धि, शक्ति और हिम्मत का विकास होता है। खेल ऐसा नहीं है कि वह किसी के लिए न होने की बात है। प्रत्येक आदमी अपनी लाइफ में सोचे कि हम कैसे खेल खेल सकते हैं।

हम लोग जीवन का खेल-खेल खेलने के नहीं आए हैं, बल्कि जनता के खेल के बीच में जनता को स्थान देने के लिए आए हैं। यह खेल सबसे प्रमुख होता है। उसे लाइफ में याद किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी यहां आकर उल्टा खेल खेल लेता है। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जो खेल खेला है, वह जनता के बीच का जो उसका हक था, उसमें उसका साथ इतना मजबूत कर दिया है कि जब तक यह दुनिया रहेगी, उनका नाम लोग हृदय से लेंगे। ऐसे नेता की जरूरत है, जो राजनीति में हो और हृदय से साफ-सुथरे ढंग से खेल खेले। हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने बहुत नामों की चर्चा की है। खेल में हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, खो-खो, कबड्डी ये सब छोटे-छोटे खेल हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे।

हम लोग खेल खेलने के कारण स्कूल लेट जाते थे, तो पिटाई भी होती थी। आज कल के बच्चों को एक छड़ी लगने के बाद उनके गार्जियन स्कूल पहुंच जाते हैं। हम सभी लोगों को यह अनुभव होता था कि कैसे हम लोग अपने जीवन को अपने ढंग से ढालेंगे। खेल से दिमाग तेज होता है, शक्ति बढ़ती है और अपने-आप को अच्छे कामों में लगाने के लिए तत्पर भी रहते हैं और इसमें ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। आदिवासी और अनुसूचित वर्ग के लोगों को इसमें ज्यादा स्थान देना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। वे बहुत मजबूती से खेल खेलते हैं और अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, खेलों के संवर्धन की आवश्यकता पर कई चर्चाएं हुई हैं। काफी लोगों ने इसके लिए समय दिया है और अच्छी बातें रखी हैं। खेल के लिए जो बजट है, वह भी खर्च नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि जितने माननीय सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में एक-एक स्टेडियम का इंतजाम करा दें, तो वह बहुत बड़ा काम होगा। सभी माननीय सांसदों के संसदीय क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के द्वारा इनके समय में एक-एक स्टेडियम का निर्माण हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आज मंत्री जी अपने भाषण में जरूर बोलेंगे कि यह सुविधा माननीय सांसदों को दी जाएगी।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आज पूरे देश में खेलों इंडिया लगभग वर्ष 2015-16 से शुरू हुई है और लोगों ने उसके लिए संसदीय क्षेत्रों में काफी इंतजाम किया है। उसमें काफी लोग भाग ले रहे हैं। देश-दुनिया में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खेलों इंडिया के तहत मौका मिल रहा है।

सभापति महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में फील्ड का इंतजाम नहीं है। वहां हाई स्कूल भी हैं। पंचायत लेवल पर कम से कम एक स्टेडियम का इंतजाम

होना चाहिए और प्रखंड लेवल पर दो-दो, तीन-तीन स्टेडियम्स का इंतजाम होना चाहिए, कोचेज का इंतजाम होना चाहिए। जिससे कि हमारे बच्चे खेल खेल सकें।

श्री एस. मुनिस्वामी (कोलार): सभापति महोदय, आपने मुझे खेलों के संवर्धन की आवश्यकता पर नियम 193 के तहत बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश में 135 करोड़ जनता है। अगर एक-एक करोड़ में से एक लोग भी मेडल लाएंगे, तो वे 135 मेडल्स हो जाएंगे। अपोजिशन पार्टी वाले कल से बात कहने के बाद यहां से उठ कर चले गए हैं। उन्होंने 70 साल में इधर कैसे सत्ता चलाई, यह हमें मालूम है। हमें सुरेश कल्माडी के भ्रष्टाचार के बारे में भी मालूम है। पहले कौन-कौन खेलते थे, खिलाड़ियों से जाकर मिलने, उनको भरोसा देने, उनसे स्फूर्तिदायक बात करने जैसे काम वे कुछ भी नहीं करते थे। आज खेल मंत्रालय, अनुराग ठाकुर जी एवं प्रधान मंत्री जी सभी मिल कर इस देश में अच्छे खिलाड़ियों का चयन करके कैसे ओलंपिक में मेडल्स आए, हम सभी यह देख रहे हैं। इसके साथ खेल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पहले टीम में कौन खेलेंगे, उनका नाम मंत्री चुनते थे। मगर वहां मंत्री जाकर नहीं खेलते थे। उनका इंप्लुएंस चलता था। अब इधर इंप्लुएंस नहीं चलता है। अच्छे खिलाड़ियों को ही टीम में ज्वाइन करवाया जाता है। हमारे प्रधान मंत्री जी और खेल मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। केजीएफ में करीब सौ साल पुराना एक स्टेडियम है, आप उसको ठीक करवाएं। हमारे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाएंगे, तो अच्छा होगा। धन्यवाद।

15.00 hrs

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Sir, from Lakshadweep, our hon. Minister must be aware, a teenage girl from India participated in the 4th Athletic Championship in Kuwait and bagged Silver Medal in both Long Jump and Heptathlon. I am sure that our hon. Minister has appreciated that.

HON. CHAIRPERSON: Please keep the time in mind.

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P.: Yes, Sir. That girl trained in grass. There is no synthetic grass. There is no other infrastructure available. Coming from such a remote place, if she reached the international level where she was holding the Indian Flag, we all should be proud that we have such a talent in the rural area. In 2018, with the support of the Government, we got the Sports Authority of India's training centre sanctioned in my own native island, Andrott. We have made land available for the Sardar Vallabhbhai Patel Stadium.

I have given two proposals to the Director General of Sports Authority of India for developing infrastructure. We are happy to give that land to SAI for exclusive range centre. I have learnt, the Director General is going to visit Lakshadweep on 23rd of December.

I request the hon. Minister to go and visit these islands including Amini Island where we have another chunk of land already available with the Government.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister and his team would be very happy to visit Amini Island.

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P.: Thank you, Sir. I have been inviting the hon. Minister for some time.

Further, regarding coaches, the SAI centre where we have three disciplines – volleyball, football, and athletics – is now left with a volleyball coach only. We need to have training coaches for two disciplines.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय सभापति महोदय, सदन में आज खेल पर चर्चा चल रही है। आज से लगभग सवा सौ वर्ष पहले वर्ष 1896 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ओलम्पिक

खेल के रूप में यूनान में प्रारम्भ हुआ था। उसी कालखण्ड में, पश्चिमी देशों में धर्म संसद में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा व गहन चिन्तन हो रहा था। उस समय, हमारे देश के स्वामी विवेकानन्द जी देश और पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म पर उपदेश दे रहे थे। उसी समय से, हमारे देश में खेल के ऊपर निरन्तर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारा जो भारतीय दर्शन है, उसमें शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् का उद्घोष था, जो यह बताता है कि धर्म और अध्यात्म की प्राप्ति का साधन यह शरीर ही है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

जब वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आयी और जब से हमारे आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री बने, चूंकि वे स्वयं एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी के तौर पर एवं एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर उन्होंने देश-दुनिया का दौरा किया। वे देश के कोने-कोने में जाते थे। उन्होंने लम्बे समय तक युवा मोर्चा में काम किया, उसमें काम करते हुए, वे पार्टी के कार्यक्रम या खेल के मैदान में जाते थे।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय का अभाव है, समय की मर्यादा है, इसलिए मैं आधे मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करूँगा।

मेरा भारत सरकार से, माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन है कि भारत सरकार एक एडवाइज़री जारी करे कि सारे विद्यालयों में, चाहे वह जूनियर स्कूल हो, हाई स्कूल हो, डिग्री कॉलेजेज हों या यूनिवर्सिटीज हों, कम से कम जिला मुख्यालय में जो विद्यालय हैं, तो जिस स्कूल के पास प्लेग्राउंड नहीं हो, उसे मान्यता न दी जाए। जो बड़े-बड़े कोलोनाइजर्स हैं, जो कॉलोनियों में बड़े-बड़े प्लॉट्स काटते हैं, जिनमें बड़े प्लेग्राउंड न हों, उनको प्लॉट काटने की परमिशन न दी जाए। हमारे देश में जो निर्धन वर्ग है, गांव में तो लोगों को जमीन मिल जाती है, लेकिन शहरों में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जो गरीब लोगों की बस्तियाँ होती हैं, उनके बच्चे छोटे-छोटे घरों में रहने को मजबूर होते हैं। हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि वे इस पर विशेष रूप से ध्यान देने का काम करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.05 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक बार इसी विषय पर बोल चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं बोलते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब एक बार चेयर से एनाउंस हो जाए कि मंत्री जी बोलेंगे, तो फिर बीच में मत बोलिए।

माननीय मंत्री जी।

15.05 hrs**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर):**

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने कालिंग अटेंशन के विषय को रूल 193 के अंतर्गत 'खेल' विषय पर विस्तार से चर्चा करने की शुरुआत की और इससे यह अनुभव भी हुआ कि माननीय सांसदों द्वारा न केवल एक अच्छे राजनेता के रूप में बल्कि एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए यह चर्चा हुई है। उसके लिए मैं आपको और सभी सांसदों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि उनके यहां से फोगाट सिस्टर्स, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया हैं और अन्य सांसदों ने भी अपने यहां के खिलाड़ियों की बात कही। मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप कोई भी भाषा बोलते हों, इन सबसे ऊपर बढ़कर हम टीम इंडिया हैं और यह भावना हमें समाज और देश के हर क्षेत्र में लेकर जानी है। इसी भावना के साथ जब प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के सभी खिलाड़ियों से बात करते हैं, किसी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले भी, टूर्नामेंट के बीच में भी यदि मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तब भी उन्होंने हस्तक्षेप करके बातचीत की और इसके सकारात्मक रिजल्ट भी आए। जब हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करके वापस आई, तब भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना कीमती समय देकर सभी

खिलाड़ियों को अपने निवास स्थान पर बुलाया, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शायद इस तरह के अनुभव पूर्व में कभी रहे हों, बहुत कम मौके थे जब खिलाड़ियों को इस तरह के अवसर मिलते थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने खिलाड़ियों से बातचीत करते समय एक बात बार-बार कही कि आप सभी देश के लिए केवल एक मैडल नहीं जीतते हैं, बल्कि एक ऐसा अवसर देते हैं जिस पर हम सभी को गर्व भी होता है और आप सब हमें जश्न भी मनाने का अवसर देते हैं और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को सशक्त करने का काम भी करते हैं। जहां खिलाड़ी इस काम को करते हैं, वहीं पर सदन में भी वही भावना देखने को मिली कि सभी ने अपने सुझाव खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए न कि राजनीति करने के लिए दिए, इसके लिए भी मैं आप सब का बहुत-बहुत आभारी हूँ।

अध्यक्ष जी, कुछ बातें आई कि बजट कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ष 2013-14 में जब हम सत्ता में आए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1219 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 3062 करोड़ रुपये हुआ है, जो लगभग तीन गुणा ज्यादा है। यदि मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं तो बजट 874 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 2254 करोड़ रुपये हुआ है। एक विषय बीच में आया कि शायद खर्चा कम हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोविड की महामारी देश और दुनिया झेल रही थी, उस समय वर्ष 2019-20 में 1945 करोड़ रुपये का बजट था लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट में खर्चा 2341 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2020-21 में कम खर्चा हुआ क्योंकि कोविड की महामारी थी लेकिन वर्ष 2021-22 में 2365 करोड़ रुपये की बजाय 2446 करोड़ रुपये खर्चा हुआ। इसमें भी बढ़ोतरी ही हुई है। एक बात बीच में आई कि खेल संघों में क्या सुधार हो और हमारे खेल की अचीवमेंट्स कैसे ज्यादा हों। मैं कह सकता हूँ कि चाहे पैरालम्पिक्स हो, डेफलम्पिक्स हो या समर ओलम्पिक्स हो, इन सभी में आज तक के सबसे ज्यादा मैडल्स टोक्यो ओलम्पिक्स में सात मैडल हमने जीते, टोक्यो पैरालम्पिक्स में 19 मैडल जीते। पिछली बार हमारा कंटीजेंट 19 लोगों का था और इस बार 19 मैडल हमारे खिलाड़ियों ने जीतने का काम किया और डेफलम्पिक्स में भी 16

मैडल जीतने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया। उबर कप हम पहले नहीं जीते थे, वह भी हमने जीता। बेडमिंटन में थॉमस कप पहली बार 73 सालों में भारत ने गोल्ड मैडल जीता, यह भी भारत के खिलाड़ियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से निकहत जरीन ने एआईबीए वीमेन वर्ल्ड बाक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल जीता और हमारी दूसरी खिलाड़ियों परवीन, मनीषा मौन ने भी कांस्य पदक जीतने का काम किया।

जहां बेटियों की बात आप कर रहे थे, तो बेटियों ने भी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने आगे बढ़-चढ़कर हम सब का हौसला बढ़ाया है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बृजभूषण सिंह जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं और जिस तरह से रेसलिंग को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, वह काफी सराहनीय है। बाकी खेल संघों के कुछ लोग भी यहां बैठे हुए हैं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब टेबल टेनिस फेडरेशन के चुनाव हुए तो श्री कमलेश मेहता, जो बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वे इसके सेक्रेट्री जनरल बने हैं। कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स अब तक आयी हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में खिलाड़ी आगे बढ़कर आ रहे हैं। प्रेमचन्द्रन जी ने पीटी ऊषा जी का नाम लिया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आपने देखा होगा कि नैशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को हमने लागू करने का प्रयास किया और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट को चुनने का जो काम किया है, उससे देखने को मिलेगा कि इनकी भूमिका खेल संघों में पहले से भी ज्यादा बढ़ेगी और अगर दो-दो वोटर्स हैं, तो उनमें देखने से आपको लग रहा होगा कि एक पुरुष और एक महिला को मौका दिया गया है। लगभग 50 परसेंट का वोटिंग राइट अब महिलाओं के पास भी देखने को मिल रहा है। इस दिशा में भी सकारात्मक कदम देखने को मिल रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मेडल जीतकर हमारे सभी बड़े खिलाड़ी आए, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने ही खिलाड़ियों से कहा था कि 'मीट द चैंपियन्स' का प्रोग्राम करके आप बच्चों को खेलों और न्यूट्रीशन के प्रति भी जागरूक करें तथा साथ ही साथ नशे से दूर रहने के लिए भी जागरूक करें। इसके साथ हम जो पोषण अभियान चला रहे हैं, उस हेतु भी जागरूकता अभियान

हो। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे एथलीट्स, जिन्होंने मेडल्स जीते, उन्होंने स्कूलों में जाकर खेलों को और बढ़ावा देने तथा हमारे पोषण अभियान के प्रति जागरूक होने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें खेलो इंडिया की आर्यीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि खेलो इंडिया अभियान जब शुरू किया गया था, अभी चर्चा के समय हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि- 'पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब' इसमें प्रधानमंत्री जी ने अगली बात जोड़ी है कि 'पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे लाजवाब'। अतः खिलाड़ियों की लाजवाब परफॉर्मेंस भी रही और सोच को भी बदलने का काम किया गया। मुझसे पहले के मंत्री श्री किरन रिजीजू, कर्नल राज्यवर्धन रौठार जी, श्री विजय गोयल जी ने भी अपने समय में प्रयास किए कि किस तरह से खेलों को बढ़ावा देना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसे आगे बढ़ाने का हम सभी ने काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, एक अन्य बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से बार-बार कहते हैं कि मेडल जीतो या न जीतो, आपको अपनी 100 प्रतिशत परफॉर्मेंस देनी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए और कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी अब उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने ओलंपिक के समय यह बात कही थी कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस वजह से जो खिलाड़ी ओलंपिक में बेहतर नहीं कर पाए, उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में रिकॉर्ड मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है।

सर, कुछ बातें यहां पर और आयी हैं, जिनका मैं एक-एक करके उत्तर देना चाहूंगा। माननीय सांसदों ने अभी यह बात कही कि खेलो इंडिया के तहत कितने सेंटर्स हैं? खेलो इंडिया में हमने दो तरह के प्रोग्राम्स शुरू किए। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ऐसी शानदार कल्पना है, जिसमें ग्रासरूट के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अब तक चार एडीशन्स हुए हैं तथा यूनिवर्सिटी गेम्स के दो एडीशन्स हुए हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है

कि 27 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इस बार जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, तो 12 नैशनल रिकॉर्ड्स टूटे और उनमें 11 नैशनल रिकॉर्ड्स भारत की बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। यह अपने-आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

ये खेल उस हरियाणा राज्य में हुए, जहाँ से लगभग आधे मेडल आते हैं। अपने आपमें भी यह देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी भारत की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

खेल महाकुंभ जो गुजरात ने शुरू किया, मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर आ जाता हूँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपने राज्य में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और उसको भव्य रूप दिया कि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी भी उसमें खेलें। आज उसका यह लाभ मिला है कि जहाँ पहले गुजरात खेलों में कहीं नहीं होता था, वहाँ से शानदार खिलाड़ी निकालने का प्रदर्शन किया। वर्ष 2015 से वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय खेल नहीं हो पाए थे, मात्र तीन महीने के अंदर 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात ने बहुत सफल तरीके से किया है। मैं इसके लिए गुजरात का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि एक राज्य ने इतने कम समय में इतना अच्छा आयोजन किया। जिस खेल महाकुंभ की चर्चा की गई, अब सांसद भी अपने-अपने क्षेत्रों में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, सांसद खेल महाकुंभ, इस तरह के आयोजन करवा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में, दूर-दराज के क्षेत्रों में लगभग 70 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें अब तक भाग लिया है। मेरा सभी माननीय सांसदों से अनुरोध रहेगा कि अगर आप भी अपने-अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा या खेल महाकुंभ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, सांसद ट्रॉफी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कराएंगे तो आपके साथ भी युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे खेलों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह का आयोजन कराता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 60-65 हजार युवा हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।

महोदय, यही नहीं, अगर खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की बात करें तो पूरे देश भर में हम 298 स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके ऊपर लगभग 2736 करोड़ रुपया खर्च किया जा

रहा है, जबकि पहले इसके ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था। यह भी पहले से लगभग 4.5 गुणा ज्यादा है। हमने खेलों का आधारभूत ढांचा यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, ग्राउंड्स, हॉकी की टर्फ, एथलेटिक ट्रैक्स, इंडोर स्टेडियम, शूटिंग रेंज, फुटबॉल ग्राउंड आदि बनाने का काम इसमें किया है। हमने अर्बन और रूरल एरियाज सभी में इन्हें बनाने का काम किया है। शहरों से लेकर दूर-दूर के क्षेत्रों तक यह काम किया गया है। अभी आज के समय खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम चला रहे हैं, वह भी अपने आपमें एक प्रयास है कि हर राज्य में इसको चलाया जाए। इसको अपग्रेड करके हमने स्पोर्ट्स सेंटर को बनाया है और इसको हाई परफॉरमेंस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। इसमें हमने अब तक 28 राज्यों में 29 सेंटर की शुरुआत के लिए अपनी तरफ से अनुमति भी दे दी है। तीन का अभी असेसमेंट भी चल रहा है। कुल मिलाकर 266 स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं, जिनमें से 190 नॉन साई हैं, नॉन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैं, लेकिन 74 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साई के सेंटर्स हम चला रहे हैं। इन्हें हम देश भर में चला रहे हैं। इसके अलावा अभी एक चर्चा यहाँ पर आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलों में जाकर आपको खेलो इंडिया के सेंटर खोलने चाहिए। हमने एक हजार खेलो इंडिया सेंटर खोलने की शुरुआत की है, जिनमें से 733 खेलो इंडिया सेंटर्स हमने देश भर में खोलने की शुरुआत कर दी है।

हमने उनको सैंक्शन भी कर दिया है। अगले साल 15 अगस्त तक हम एक हजार खेलो इंडिया सेंटर पूरे करने का काम भी पूरा कर लेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ

महोदय, खिलाड़ियों को कहाँ-कहाँ अवसर मिले। टॉप स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोज़ियम स्कीम यह है कि इसमें खिलाड़ियों का चयन भी किया जाए, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। इसमें चयनित खिलाड़ियों को देश और विदेश दोनों में ही प्रशिक्षण देने का खर्चा भारत सरकार पूरी तरह से उठाती है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने टॉप स्कीम के अंतर्गत न केवल खिलाड़ियों के रहने का, भोजन का, उनकी देश और विदेश में ट्रेनिंग का खर्चा उठाया, बल्कि खिलाड़ियों को 6 लाख रुपया साल का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि उन्हें जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार कर रही है। यह अपने आपमें एक बड़ा कदम है। इसके अलावा हमने देश भर से 2841

खिलाड़ियों को चुना, जिनमें प्रतिभा दिखती हैं और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इनको 21 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में चुना गया है। इसमें पैरा एथलीट्स भी हैं और बीच में एक बात आई कि क्या पैरा एथलीट्स के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पैरा एथलीट्स के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर एक समान अधिकार देने का काम किया है, तो नरेन्द्र मोदी जी की भारत सरकार ने करने का काम किया है।

सर, जितनी सुविधाएं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) में आम खिलाड़ी को दी जाती हैं, उसी तरह से पैरा खिलाड़ियों को भी दी जाती हैं। इसमें हमारा प्रयास यह रहेगा कि वर्ष 2028 और 2032 के लिए भविष्य के जो पैरालंपिक के खिलाड़ी होंगे, हम उनका भी चयन डेवलपमेंट वाले कोटे में कर लेंगे, जिनका अगले आठ साल तक चयन करना है। हम उनका भी टॉप्स स्कीम के अंतर्गत भविष्य में चयन करेंगे, ताकि ये भविष्य में और मैडल जीत कर ला सकें। यह भी मैं सभी माननीय सांसदों को बताना चाहता हूँ। हमने न केवल ट्रेनिंग में, बल्कि जो विनर्स हैं, जिनको रिवार्ड्स मिलते हैं, उसमें भी हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। भारत सरकार ने उसको भी एक समान किया है। यह काम पहले कभी नहीं हुआ। यह भी हमने करने का काम किया है। इसके अलावा हमने जो 2841 खिलाड़ियों को 21 डिसिप्लिन से चुना है, इनके ऊपर हम लोग लगभग 6 लाख 28 हजार रुपये प्रति एथलीट खर्च करते हैं। उनको लगभग एक लाख 20 हजार रुपये जेब खर्च यानी 10 हजार रुपये महीना जेब खर्च अलग से भी दिया जाता है। यह भी करने का काम हमने किया है। सर, वर्ष 2014 के बाद जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही गई थी, पहले केवल 16 साल में 86 करोड़ रुपये कुल मिलाकर असिस्टेंस दी गई थी। हमने उसको बढ़ा कर पिछले आठ वर्षों में 300 करोड़ रुपये कर दिया है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत अलग-अलग कारपोरेट्स के माध्यम से हमने करने का काम किया है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में वर्ष 2014 से पहले जो इकट्ठा हुआ था, वह मात्र 27 करोड़ रुपये था। अब हमने उसे 300 करोड़ रुपये किया है। पिछले आठ वर्षों में असिस्टेंस को बढ़ाकर 52 करोड़ रुपये खिलाड़ियों के लिए कर दिया

है, जो अब तक अभूतपूर्व है। हमने साई को 88 करोड़ रुपये टॉप्स के माध्यम से दिया है और 158 करोड़ रुपये पूर्व चैंपियनों को अलग-अलग तरीके से मदद करने का काम किया है।

वर्ष 2015 के बाद टॉप्स के खिलाड़ियों को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस के रूप में तीस करोड़ रुपये डिस्बर्स किये हैं, मैंने जो जेब खर्च के रूप में बात की है। अगर हम यंग एथलीट्स की बात करें, तो इसके लिए भी 125 करोड़ रुपये वर्ष 2014 के बाद भारत सरकार ने खर्च किये हैं, जो आज तक सबसे ज्यादा खर्चा किया गया है। इसी तरह से कैश इंसेंटिव भी पहले से ज्यादा दिए गए हैं। डाइटरी सप्लीमेंट देने का काम किया है। खिलाड़ियों को जो असिस्टेंस चाहिए, उसमें भी कोई कमी कहीं पर नहीं रखी गई है। पेंडिंग के टाइम पर अगर जरूरत पड़ी तो हमने उसमें भी लगभग पाँच करोड़ रुपये वेलफेयर फंड से खिलाड़ियों को देने का काम किया है। इसमें भी भारत सरकार कहीं पीछे नहीं रही है। यह भी मैं माननीय सांसदों को कहना चाहता हूँ।

जहां तक बड़े-बड़े टूर्नामेंट के आयोजन की बात है, वर्ष 2014 में जहां ट्रैक एशिया कप करवाया गया, वहीं पर अन्य अलग टूर्नामेंट जैसे थॉमस, उबर कप से लेकर बाकी सभी दिल्ली में करवाये गये। टाटा का ओपन इंटरनेशनल चैलेंज कप बैडमिंटन का करवाया गया। इसी तरह से अलग-अलग टूर्नामेंट्स चाहे शूटिंग के हों, अन्य हों, इसकी लम्बी लिस्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड पर रख कर यह भी माननीय सांसदों को दे दूंगा कि इसमें हमने क्या-क्या किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, चेस का जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन कभी भारत में विश्व कप नहीं हुआ था। विश्व स्तरीय खिलाड़ी तो भारत ने बहुत दिए, लेकिन आयोजन करने का अवसर नहीं मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चेस में आज तक कभी टॉर्च रिले भी नहीं हुई थी। हम न केवल भारत में चेस ओलंपियाड करवाने के लिए लाए, बल्कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के माध्यम से चेस टॉर्च रिले की शुरुआत भी की, जो देश भर के राज्यों में चल कर तमिलनाडु पहुंची और इसमें हमने लाखों खिलाड़ियों को जुड़ने का अवसर भी दिया। चेस के प्रति जागरूक करने का भी काम किया। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री जी इसके उद्घाटन पर वहां पर रहें और दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए तथा हमने इसका सफल आयोजन देश

भर में किया है। इसी तरह से ही नाडा में भी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो हमारी बनी है, उसके लिए बिल ला कर एक नया कानून बनाने का काम किया। इसी सदन और राज्य सभा में इसको सर्वसम्मति से पास किया गया। सिंपोजियम का आयोजन भी हमने भारत में किया। यही नहीं खेल मंत्रालय के द्वारा खेल मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस भी केवड़िया में की गई और एकता नगर में सभी राज्यों के खेल मंत्रियों और अधिकारियों को वहां पर बुला कर, उनके भी सुझाव लिए गए, ताकि खेलों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी काम किया गया। हमारा प्रयास है कि 01 अप्रैल, 2023 से जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर ही उनके सुझाव लेंगे और उसको भी पेपरलैस करेंगे तथा और पारदर्शिता भी इसमें लाने का काम करने वाले हैं। जहां तक अवॉर्ड्स की बात है, इनकी एप्लिकेशन पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाती थी। फिर भारत सरकार के पास पास आती थी और खेल संघों के पास जाती थी। खिलाड़ियों को एक से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। अध्यक्ष जी, यह भी हमने ऑन लाइन कर दिया है। इस बार किसी को कहीं नहीं जाना पड़ा।

ऑनलाइन एप्लिकेशन दी और इस बार के अवॉर्ड और रिवॉर्ड्स भी सारे ही ऑनलाइन एप्लिकेशंस लेने के बाद हमने दिए हैं। यह भी ईज ऑफ लिविंग में हमने एक कदम आगे बढ़ कर काम किया है।

जहां तक नेशनल इनवेंट्री ऑन स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स फील्ड की आप ने बात कही है, इस पर भी 16,000 से ज्यादा ऐसे खेल-कूद के जो इंडोर स्टेडियम्स हैं, ओपन ग्राउंड्स हों, शूटिंग रेंज्स हों, एथलेटिक्स ट्रैक्स हों, हॉकी ग्राउंड हों, इन सारी की इनवेंटरीज को भी हमने इकट्ठा कर लिया है। इसमें बहुत लंबा समय लगा, अभी तक भी कुछ राज्यों ने इसमें जानकारी नहीं दी है। लेकिन उसके बावजूद भी 16,000 से ज्यादा ऐसे स्थानों की जानकारी हमने इकट्ठी कर ली है और उनको भी हम करने वाले हैं।

महोदय, एक और काम जो यहां पर किया गया है, वह है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ हमने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का एक एग्रीमेंट किया है। इसको न्यूट्रीशनल सप्लिमेंट टेस्टिंग लैबोरेट्रीज को हम इसमें रिसर्च करने के लिए लगाएंगे कि जो सप्लिमेंट्स हैं, वे

खिलाड़ियों को ऐसे मिलें, जिसमें उनको कभी प्रतिबंध न किया जाए। उस दिशा में इसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, एनेलेटिक कंपोजीशन भी होगा, क्वालिटी भी एश्योर करेंगे और खिलाड़ियों को सेफ और डोप फ्री सप्लिमेंट्स भी देने का प्रयास करेंगे। इससे खिलाड़ियों की सेहत और न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा किया जाएगा। यह भी हमने एग्रीमेंट कर लिया है। नेशनल फॉरेंकि साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ एमओयू साइन कर लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 15 अक्टूबर को हमने यह किया है और इस दिशा में बहुत सारी रिसर्च भी होगी। हमारे खिलाड़ियों को ऐसे सप्लिमेंट्स मिलेंगे, बाज़ार में कई सप्लिमेंट्स ऐसे उपलब्ध रहते हैं, जिसकी जानकारी भी नहीं रहती है, उससे भी छुट्टी मिलेगी और उसमें कड़ाई करने का काम भी हमें मिलेगा। रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इसमें हमें बल मिलेगा।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा जो फिट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई है, फिटनेस का डोज़, आधा घंटा रोज़, इसी सोच के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको शुरू किया, ताकि हम फिटनेस को अपने जीवन का इंटीग्रल पार्ट बनाएं, और लोगों की सोच में भी बदलाव हो, अपनी दिनचर्या में भी बदलाव हो और फिज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ सके। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने जहां एक ओर फिट इंडिया के सर्टिफिकेशन करने का काम किया, फिट इंडिया क्विज़ किया, फिट इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत फिट इंडिया स्कूल वीक मनाया। अध्यक्ष जी, जिस समय कोविड था, उस समय भी 4 लाख, 30 हजार स्कूलों ने इसमें भाग लिया। इस साल लगभग साढ़े 4 लाख से ज्यादा स्कूलों ने इसमें भाग लिया। फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन भी थ्री स्टार और फाइव स्टार से किया गया। उसमें भी साढ़े 4 लाख से ज्यादा स्कूलों को फिट इंडिया फ्लैग दिया गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 43 हजार स्कूलों को थ्री स्टार और 13 हजार से ज्यादा स्कूलों को फाइव स्टार सर्टिफिकेट दिया गया। फिट इंडिया क्विज़ के अंतर्गत प्राइस मनी हमने 3 करोड़ 25 लाख रुपये की रखी, जिसमें 3,502 स्कूलों में से 36,299 छात्रों ने भाग लिया और फिट इंडिया प्लॉग रन जब किया गया तो इसमें भी वर्ष 2019 में देश भर से 30 लाख लोगों ने भाग लिया।

‘फिट इंडिया साइक्लैथॉन’ में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने वर्ष 2021-22 में इस साल पार्टीसिपेट किया। ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’ में हमारे यहां 9 करोड़ लोगों ने इस साल पार्टीसिपेट किया और पिछले साल 7 करोड़ लोगों ने पार्टीसिपेट किया था। कुल मिलाकर, फिटनेस को लेकर भी देश भर में बहुत जागरूकता बढ़ी है। इसमें भी हमारे सांसदों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। मैं आपके माध्यम से इसके लिए सभी माननीय सांसदों, देश के विधायकों, चुने हुए प्रतिनिधियों, मेयर्स और सब का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि परम्परागत खेलों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ में माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर और उनकी जो सोच है, उसे आगे बढ़ाते हुए हमने पाँच ऐसे खेलों को, जो हमारे परम्परागत खेल माने जाते हैं, उन्हें हमने ‘खेलो इंडिया’ का भाग बनाया है। मल्लखम्भ, कलारीपयट्टू, थंग-टा, गतका और योगासन, इन पाँचों को ही हमने ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ का भाग बनाया है और सैकड़ों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और शानदार प्रदर्शन करने का काम किया। अब यह रिजनल नहीं, नेशनल हो गए हैं और हम भविष्य में इसे इंटरनेशनल गेम्स बनाने का काम भी करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम बढ़ाया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी का जवाब पूरा होने तक और कुछ माननीय सदस्यों के क्लैरिफिकेशन होने तक प्राइवेट मेम्बर्स बिल का समय बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको और सभी माननीय सांसदों को भी, समय बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलम्पिक्स में पहला मेडल भारत को जिताने का काम किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहला मेडल जिताने का काम किया। पूर्वोत्तर में लवलीना से लेकर बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आ सकते हैं। पी.वी. सिन्धु ने रियो से लेकर टोक्यो आलेम्पिक्स तक मेडल्स

जीतने का काम किया। 121 सालों में एथलेटिक्स में जो मेडल हम जीत नहीं पाए थे, तो नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल जिताने का काम भी किया। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। निखत जरीन ने हमें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जिताया तो वहीं थॉमस कप में भी हम जीते।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसदों ने जो कुछ सवाल पूछे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सीधा उसी के जवाब देने पर आ जाता हूं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हम पॉलिसी में बदलाव लाए। बहुत सारे प्रशासनिक पद ऐसे थे, जिसे मैंने आते ही सरेन्डर कर दिया और कोचेज की नियुक्ति करने का काम किया, ताकि खिलाड़ियों को कोच मिल सके। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने 21 डिस्सिप्लीन में 398 कोचेज को इसी साल नियुक्त किया है। कुल मिलाकर, शायद अब 992 कोचेज हो गए हैं।

हमारे पी.एस.यूज. में हमारे पूर्व खिलाड़ी, जो सरकारी नौकरी करते हैं, अगर वे कोच बनना चाहते हैं तो हमने उनको भी डिप्यूटेशन पर लाने का काम किया है और 101 ऐसे खिलाड़ियों को भी हमने कोच के रूप में यहां पर लाने का काम किया, जिनमें से चार अर्जुन अवार्डी हैं, एक ध्यानचंद अवार्ड विजेता हैं और एक द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं।

पुष्पेन्द्र जी ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि स्कूलों में स्कूल फील्ड का होना आवश्यक हो। जहां कॉलोनीज काटी जाती हैं, वहां खेल के मैदान हों। जहां मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती है, वहां पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हों।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो इससे खेलों के लिए एक आधारभूत ढाँचा भी बढ़ेगा और खेलों के प्रति जागरूकता और फिटनेस की मुहिम को भी बल मिलेगा। लेकिन, मैं यहां पर एक मूल विषय कहना चाहता हूं कि खेल, राज्य का विषय है और राज्यों को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। मैं तो यह कहूंगा कि खेल संघों में और पारदर्शिता आए। यह बात काफी सांसदों ने यहां कही है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने इसको सुनिश्चित करने के लिए हर वह कदम उठाए हैं। जैसे, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड्स को

सख्ती के साथ लागू करवाया। आपने देखा होगा कि अब खिलाड़ी भी खेल संघों में अध्यक्ष, महासचिव से लेकर बाकी प्रमुख पदों पर आ रहे हैं। यह अपने आप में एक सुखद अनुभव आपको देखने को मिल रहा है। जो क्लीन करने का काम है, उसे हमारी सरकार ने यहां पर शुरू कर दिया है और उसमें खेल संघों ने भी आगे बढ़ कर बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है।

चाहे महिलाओं को वोट देने की बात हो, या फिर स्पोर्ट्समैन ऑफ मेरिट, उनको भी वोटिंग राइट के माध्यम से चुनने के बाद खेल संघों में उनकी भूमिका लायी जा रही है। चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, गवर्निंग बॉडी हो या जनरल बॉडी हो, उसमें भी वे अब अहम भूमिका में हैं, जैसे गगन नारंग या बाकी सब खिलाड़ियों या फुटबॉल के अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। मैंने टेबल टेनिस फेडरेशन की बात कही है। आप हॉकी के दिलीप तिर्की जी को देखिए, ये सारे लोग पूर्व में बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। इनको आज आगे आने का अवसर भी हमारी सरकार यहाँ पर दे रही है।

महोदय, माननीय प्रसुन्न बनर्जी जी ने कहा कि कितने खिलाड़ी 'खेलो इंडिया' में चुने गए। मैं कहना चाहता हूँ कि 2841 खिलाड़ियों में से 98 एथलिटिक्स वैस्ट बंगाल के हैं। इनमें 55 लड़के हैं और 43 लड़कियाँ हैं। इसके साथ ही आपने पूछा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि 34 राज्यों में 298 नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 2736 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इस प्रकार आज तक का सबसे ज्यादा पैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है।

आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो नेशनल गेम्स हैं, जिन्हें हर फेडरेशन करती है, उसमें आप पैसा क्यों नहीं बढ़ाते हैं। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि हमने इसमें भी कई गुना ज्यादा पैसा बढ़ा दिया है। पहले जहाँ 17 लाख और 22 लाख रुपये खर्च किए जाते थे, अब हमने उसको बढ़ाकर 51 लाख रुपये कर दिया है। हमने सीधे ही तीन गुना बढ़ाया है।

आपने खिलाड़ियों के लिए किट्स देने की बात कही। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इसको भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति खिलाड़ी कर दिया है। हम सब खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, टी-शर्ट्स, शॉर्ट्स, वॉर्म शॉर्ट्स और जूते साल में एक बार देने का काम कर रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने में मात्र 30 लाख रुपये मिलते थे। हमने इसको भी तीन गुना से ज्यादा

बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स हो सकें। हमारे स्पोर्ट्स डॉक्टर को 80 हजार रुपये मिलता था, जिसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है और फिजियोथेरेपिस्ट का भी एक लाख रुपये कर दिया है। जिनको पहले एक लाख रुपये मिलता था, उसको दो लाख रुपये कर दिया है और जिसका 80 हजार रुपये मिलता था, उसको डेढ़ लाख रुपये कर दिया है।

महोदय, यही नहीं जो मुकदमे थे, जैसे खेल संघों की आपसी लड़ाइयों के कारण भी मुकदमे चलते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जहाँ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट के द्वारा बैठायी गई थी, अधिकतर खेल संघों में हमने उसको खत्म करवा दिया है। हमने चुनाव भी करवा दिया है। अभी आपने पूछा कि किस-किस में रह गया है। शायद एक जूडो और एक कबड्डी में रह गया है। वहाँ पर चार साल से कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बैठी है। हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ भी जल्दी चुनाव हो। लेकिन, खेल संघों और कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को कराने के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी है।

अध्यक्ष जी, जैसे फीफा ने प्रतिबंध लगाया था, एक छोटी-सी बात बताना जरूरी है। उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था। अब उसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थी, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त थी और उसको ही चार साल पहले चुनाव कराना था, लेकिन वह हो नहीं पाया था। हमारी सरकार ने कोर्ट में जाकर कहा कि चुनाव जल्दी होने चाहिए। तब जाकर वह चुनाव जल्दी हुए। मैं कह सकता हूँ कि आज तक किसी फेडरेशन का सात दिन में सस्पेंशन खत्म नहीं हुआ। हमने फुटबॉल का सस्पेंशन सात दिन में खत्म करा कर चुनाव करवाया और वहाँ भी खिलाड़ी चुने गए। अण्डर-17 मेन्स वर्ल्ड कप का बहुत शानदार आयोजन भारत सरकार ने पहले वर्ष 2017 में किया था। अब फुटबॉल का अण्डर-17 वूमेन वर्ल्ड कप का हमने बहुत शानदार आयोजन भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुम्बई में कराने का काम किया है। इसके लिए भी मैं एआईएफ और भारत सरकार के अधिकारी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि फीफा ने भी इसके प्रति खुशी प्रकट की है और धन्यवाद भी किया है।

इसके अलावा, यह कहा गया कि खेल संघों द्वारा सालभर में कुछ टूर्नामेंट्स करने होते हैं, जो कोविड के समय नहीं हो पाए। हमने उसी साल के लिए रिलैक्सेशन दी है। उसके अलावा, हम उनको यह कहते हैं कि उनको हर साल टूर्नामेंट कराना है। माननीय अध्यक्ष जी, इनका एक एनुअल कैलेंडर बनता है, जिसके अंतर्गत इनको सालभर में पैसे दिए जाते हैं। हमने इसकी प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही की है। हम अपने एनुअल कैलेंडर के अनुसार नेशनल स्तर के टूर्नामेंट्स कराने के लिए और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए 290 करोड़ रुपये से ज्यादा खेल संघों को देते हैं। यह इतनी पारदर्शी है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है और हम आपको सारा पैसा देते हैं।

एनआईएस पटियाला में भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात की, तो ग्रासरूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी हम करते हैं। हम इसे दो कैटेगरी में करते हैं, एलीट लेवल पर भी करते हैं और फिर इनको प्रशिक्षण देने का भी काम लगातार किया जाता है। इसी तरह से इंडीजेनस गेम्स को भी बढ़ावा दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भी अलग-अलग राज्यों में इनको चुनने का काम किया गया। ऐसे खेल संघों को भी, जो मल्लखम्ब, कलरीपायट्टु, थंग-टा और गतका जैसे खेल कराने का काम करते हैं, उनको भी करोड़ों रुपये की भारत सरकार द्वारा मदद की गई, ताकि वे अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दें। ऐसे चुने हुए सैकड़ों खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष हर महीने 10-10 हजार रुपये हम देने काम करते हैं, ताकि जो हमारे टेड्रिशनल गेम्स हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। इसमें हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, 8,968 टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्संस 34 अलग-अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में रेजीडेंशियल और नॉन रेजीडेंशियल एकेडमीज में रखे गए हैं। इसमें हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, साई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एक्सटेंशन सेंटर्स हैं या एनएसटीसी के अंतर्गत उनको चुना गया है। कबड्डी और खो-खो की आपने बात कही कि हम उनकी मदद नहीं करते हैं। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि हम उनकी मदद करते हैं। बॉडी बिल्डिंग उसमें नहीं आती है। उसको इसमें मदद नहीं मिलती है।

यहां कहा गया कि आप बड़े-बड़े खिलाड़ियों की मदद नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मीराबाई चानू जब टोक्यो ओलंपिक्स से पहले इंजर्ड हो गई थी, तो भारत सरकार ने रातों-रात उनका वीजा लगवाया। उनका जो स्टाफ है, जो असिस्टेंट कोच है, ट्रेनर है, उनको भी अमेरिका तक भेजा, पूरा खर्च भी उठाया। वहां की ट्रेनिंग का भी खर्च उठाया। उनका पूरा खर्च सरकार ने उठाया और जो बाकी खिलाड़ी विदेश में खेल रहे थे, तब जाकर टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड के बावजूद मीराबाई चानू ने और बाकी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और मैडल जीतने का काम भी किया।

मैं कुछ बातें यहां पर जरूर करना चाहता हूं। यहां कहा गया कि शूटिंग में मैडल नहीं जीत पाये। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जितने मैडल्स हमें जीतने चाहिए, उतने शूटिंग में नहीं जीत पाये। उसको लेकर बहुत सारे सुझाव और बहुत सारे सवाल भी यहां पर खड़े किये गये। हमने उसको एक सुझाव के रूप में लिया है और आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी, उसे करने का हम काम करेंगे।

मैंने 335 एथलीट्स की बात की। इसमें हम ट्रेडीशनल गेम्स, मल्लखम्ब, कलरीपायट्टु, गतका तथा थंग-टा के लिए 10 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति वर्ष देते हैं। एक माननीय सदस्य ने यहां पर बड़ी गम्भीर बात कही। मुझे नाम नहीं याद कि किस माननीय सांसद ने कहा कि जो डिको सिंह हमारे फॉर्मर बॉक्सर थे, उनकी एक लाख रुपये की मदद पूर्व बॉक्सर्स ने की, भारत सरकार ने नहीं की। यह बात बिल्कुल गलत है। भारत सरकार ने 36 लाख 37 हजार रुपये की मदद की, जिसमें से मेडिकल एक्सपेंसेज का 29 लाख 50 हजार रुपये और 6 लाख 87 हजार रुपये पेंशन उनके परिवार को देने का काम भारत सरकार ने किया।

भारत सरकार पूर्व खिलाड़ियों की मदद करने के लिए भी कहीं पीछे नहीं रही। जो हमारी 33 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं, सन् 2022-23 में 259 करोड़ रुपये हमने उनको एजीटीसी के अंतर्गत एनुअल गारंटी फॉर ट्रेनिंग एंड कांपटीशन के अंतर्गत मदद करने का काम किया है और आगे भी इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। स्टेडियम की सब सदस्यों की पर्सनल मांगें हैं। कौशलेन्द्र जी जो कह रहे हैं, वह सब मैंने नोट किया है।

किसी माननीय सांसद ने इसमें कहा कि आप पूरा बड़ा इंडोर स्टेडियम मत बनाइए, क्योंकि वैदर कंडीशंस अलग-अलग हैं। मान लीजिए कि कोस्टल एरिया में बहुत ह्यूमिडिटी रहती है तो अंदर एयर कंडीशनर भी चाहिए। कई सदस्यों ने सुझाव दिया कि आप एक बड़ा शेड डालकर दीजिए और नीचे छोटी दीवार दीजिए, ताकि कोई और अंदर न आ सके। यह लो कॉस्ट भी होगा और ग्रामीण अंचल खिलाड़ियों को इसकी सुविधा मिल पाएगी और साथ में शौचालय भी बनाकर दीजिए। मैं इस पर काम कर लूंगा। हम प्रयास करेंगे कि पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकें तो कुछ सांसदों के यहां इसकी शुरुआत करके देखते हैं कि कैसा चलता है, कैसा अनुभव रहता है, ताकि फिर उसको आगे बढ़ा सकें। माननीय निशिकांत दुबे जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए और बाकी लोगों के भी सुझाव आए हैं।

अध्यक्ष जी, मुझे पता है कि समय का अभाव है, यदि कुछ माननीय सदस्यों की बातें रह गई हैं तो अपने प्रश्न में पूछ सकते हैं। माननीय राजेन्द्र अग्रवाल जी ने स्पोर्ट्स साई सेंटर और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के बारे में याद करवाया।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां एक ओर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला में सुविधाएं दी गई हैं, वहीं देश भर में जहां नेशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस है, वहां पर स्पोर्ट्स साइंस की सुविधा दी जा रही है। 80 करोड़ रुपये की लागत से जल्द ही सोनीपत में एक और सेंटर खोलने जा रहे हैं। इसी तरह की सुविधाएं हम दक्षिण भारत और अलग-अलग क्षेत्रों में भी खोलने जा रहे हैं। रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स साइंस और रिसर्च का भी काम हो सके, इस दिशा में भी हम लोग बड़ी पहल करने वाले हैं। इसे याद करवाने के लिए आपका धन्यवाद, इस दिशा में भी भारत सरकार कदम उठा रही है। मास पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, इसके लिए खेलो इंडिया और बाकी सारी स्कीमें चलाई गई हैं।

कुछ बातें आईं कि कुछ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए, मैं किसी राज्य सरकार का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह गलत दिशा में चला जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट और पैसे दिए गए हैं, तीन-तीन साल से प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू हो पाए, उसके कारण पैसा भी फंसा रहता है।

मेरा अनुरोध है कि आपके अपने-अपने क्षेत्र की एक सूची भेज दूंगा कि कहां-कहां काम रुका पड़ा है। अगर उस प्रोजेक्ट को गति देंगे तो फायदा मिल जाएगा। खिलाड़ियों को मदद देने की इन्होंने बात की। वर्ष 2013-14 में सिर्फ 8 लाख 10 हजार रुपये की मदद हुई थी, लेकिन पिछले साल वेलफेयर फंड से 1 करोड़ 56 लाख 52 हजार 810 रुपये दी है, कहां 8 लाख और कहां 1 करोड़ 56 लाख रुपये मदद करने का काम किया, मेरे पास अलग-अलग राज्यों की सूची है, उसे भी दे सकते हैं।

कोचेज बढ़ाने की बात थी, रेगुलर कोच 595 और 347 कंट्रैक्ट कोच लगाए गए हैं, यह भी आज तक का सबसे ज्यादा है। सेक्सुअल हरासमेंट की बात की गई। मैं इस पर कहूंगा कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी बनाई गई है, ऑनलाइन भी इनको रिपोर्ट करने की बात की गई है, वहां के लोकल एनजीओ के एक सदस्य भी रखे गए हैं, जितने केसेज ऐसे आते हैं, इसके ऊपर तुरंत कमेटी गठित करके कार्रवाई करते हैं। इसके लिए हमारा लगातार प्रयास है कि किसी की भी बेटी या बेटा हो, किसी के भी खिलाफ अगर ऐसा कोई काम होता है तो उसके ऊपर भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करने का काम किया है और जांच बैठाने का भी काम किया है ताकि भविष्य में इस तरह का काम न हो।

जहां तक हॉकी टीम के एक दलित खिलाड़ी के बारे में आपने चर्चा की, उसी समय उत्तराखंड की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कनिमोझी जी ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब बच्चे कम आ रहे हैं, महिलाएं कम आ रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं ने जितने अवार्ड जीते हैं, भारत के लिए मेडल जीत कर लाए हैं, यह अपने आप में दिखाता है कि बेटियों ने बराबरी का काम किया है। खेलों में भारत की बेटियां कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमें भी ऐसा ही वातावरण खड़ा करना चाहिए कि कुछ कमी न रहे।

भारत के दूरदराज क्षेत्र से आने वाली एक शेड्यूल ट्राइब महिला अपनी क्षमता के आधार पर देश की राष्ट्रपति है। यह भी हम सभी के लिए गर्व की बात है। खेलों में भी किसी प्रकार की कहीं कमी

नहीं छोड़ी जाती, आर्चरी हो, हॉकी हो, राज्यवर्धन जी यहां बैठे हैं पूर्व ओलम्पियन हैं, पूर्व खेल मंत्री हैं।

मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हम अपने काम में और खेल संघों में पारदर्शिता लाए हैं, खिलाड़ियों की भूमिका खेल संघों में भी बढ़ रही है। हमने टॉप्स स्कीम शुरू की है, जो मिशन ओलम्पिक सेल है, उसमें पूर्व खिलाड़ियों को ही सदस्य रखा गया है, वही इसको पूरा देखते हैं, वही उसमें अपने सुझाव देते हैं। इसकी रेगुलर मीटिंग हर दूसरे महीने होती है। इस पर लगातार फिजिकल और वर्चुअल मीटिंग होती है। पिछली 6-7 तारीख को दिल्ली में फिजिकल मीटिंग थी।

मैं एश्योर करना चाहता हूं कि भारत सरकार कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है, भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि खेलों को आगे बढ़ाएं, प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से कहा है कि बगैर दबाव के खेले, खुलकर खेलें और देश के युवाओं को फिट रहने के लिए कहा है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। जहां खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, देश का युवा फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए भाग ले रहा है। आप सबने इस चर्चा में पोजीटिवली भाग लिया, मैं सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेष तौर पर आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इसे सीमित चर्चा के बजाय व्यापक चर्चा में भागीदारी की अनुमति दी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. This is not a criticism of the Government but I want to ask the hon. Minister why we have not been able to send an Indian team to the football matches in the Gulf. Secondly, why is the standard of hockey deteriorating? There are three suggestions also to the hon. Minister. We must have a swimming pool, Olympic size, in every district and skiing must be professionalised because it will help the military as all the forces are now posted on the snow caps of the Himalayas. If

the Minister could make ice skating rinks in all the State Capitals of India, we will be very grateful. This is not a criticism. These are just suggestions. Thank you.

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय खेल मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं जिनके किसी टूर्नामेंट में पूरे खिलाड़ी जाते हैं, मेडल को देखकर नहीं, वह है भारत और अमेरिका। इसके अलावा कोई तीसरा देश नहीं है जिसके पूरे खिलाड़ी जाते हों।

मैं भाषण नहीं करूंगा। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। वैसे पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, मेरी मंशा निंदा करने की नहीं है। उनका कुश्ती का बजट दस लाख रुपये है और हमारा 19 करोड़ रुपये है।

मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी देश हमारे मुकाबले सुविधा नहीं दे रहा है। अगर आपकी अनुमति हो तो नाम पढ़ दूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह तो स्पष्टीकरण है।

... (व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): यह केवल क्लेरिफिकेशन है लेकिन नाम सहित है। जैसे मिस्टर तातसुहिरो जापान के पहलवान हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट है, मात्र क्लब बनाए जाते हैं। जापान की योशिदा के पास ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। ऐसे ही नाइजीरिया की पहलवान है। मेरा कहने का मतलब है कि और कुछ नहीं मिलता है। मैं भारत सरकार, खेल मंत्रालय और देश को कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ क्लब बनाकर दस-बीस लाख देकर खिलाड़ियों को संतोष करना पड़ता है, हमारे यहाँ एक कांस्य पदक विजेता करोड़पति हो जाता है।

आज तक देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम सुनते थे कि हॉकी है, लेकिन इसी फोरम पर जवाब दिया गया है कि इस देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। मैं कुश्ती के पक्ष में, त्रेता से लेकर द्वापर तक, मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक, महाराष्ट्र में साहू जी महाराज से लेकर आज तक का उदारहण दे सकता हूँ। कुश्ती एक ऐसा खेल है, जिसमें कोई खर्च नहीं है। कुश्ती, कबड्डी,

खोखो, तैराकी प्राकृत प्रदत्त खेल हैं। इसको किसी ने नहीं बनाया है। ये जितने खेल निकले हैं, इसी से निकले हैं। हमारी मांग है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल होना चाहिए। उसमें कुश्ती नम्बर वन पर है।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कांदिवली, मुम्बई शहर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 35 एकड़ जमीन है। उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम दिया गया है। राज्य और केंद्र के तालमेल न होने के कारण उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है।

दूसरा, वहां पर मैंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी मांग की है।

माननीय अध्यक्ष : आप तालमेल बैठा लीजिएगा।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I heard the hon. Minister's reply. I am happy for all the information that he has given to us. With regard to the chess competition which was held in Tamil Nadu, he made an effort to appreciate the steps taken by the Government. But the Tamil Nadu Government has spent enough money, time and energy that the entire Tamil Nadu worked with the Government of India to make this chess competition a grand success. I just want to register that.

In his reply, the hon. Minister talked a lot about various sports. But I want to mention about one particular category of sports, that is, the Equestrian sports.... (*Interruptions*) Sir, please give me one minute.

Sir, in sports relating to horses, the horses and the riders have to be trained. In India, we have got a lot of enthusiastic horse riders but we have shortage of horses as well as the horse-riding trainers. So, I want the hon. Minister to also act upon that. Thank you.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय खेल मंत्री जी ने सारी बातें विस्तार से बताईं। मैं इनसे केवल इतना जानना चाहता हूँ, चूंकि इनके पास आई एंड बी मिनिस्ट्री का भी चार्ज है तो सारे खेलों को, क्रिकेट को छोड़कर चैनल्स पर प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की कौन-सी योजना चल रही है?

कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं बृजभूषण जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं एक खिलाड़ी के नाते यह बात कह रहा हूँ कि देश के अंदर खिलाड़ियों को पहली बार शानदार सुविधाएं और रेकग्निशन मिल रहा है। उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

मेरे दो छोटे से सुझाव हैं। आपने कहा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। राज्य सरकार की कमी की वजह से वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें केवल केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, आप उनकी सूची मंगवा लीजिए और उनको नियमित समय से पूरा करवा दीजिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि हर डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों के लिए वैकेंसीज होती हैं। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज बिना भरे छूट जाती हैं। मेरा सुझाव है कि पूरे साल की जितनी भी वैकेंसीज हैं, उनको एक सेंट्रल एजेंसी पूरा करे, ताकि कोई भी वैकेंसी खाली न जाए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो सांसद खेल स्पर्धा शुरू की है, उसमें रूरल बेल्ट के अंदर गरीब बच्चों के लिए मंत्रालय से सांसदों को हेल्प मिलनी चाहिए। उनको ईनाम देने के लिए और टेंट लगाने के लिए यह मेरी एक मांग है। माननीय मंत्री जी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। लेकिन, मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इनमें से कुछ बातें सही नहीं हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों

में कहूंगा तो बुरा लगेगा। कुछ बातें ...* हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में ये एक समिति गठित कर दें। मैं दिखा दूंगा कि क्या ...* है और क्या सही है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप सबका जवाब लिखित में दे दीजिएगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मान साहब ने यहां पर जो बात कही, अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल के लिए सारी टीम का सेलेक्शन करना होता है और क्वालिफाई का भी उसका एक अपना तरीका रहता है। ... (व्यवधान) अलग-अलग जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्स हैं, तो चयन का अधिकार नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्स के पास है। उनके पास देश की टीम को चुनने और उनको विदेश में भेजने का भी अधिकार है। ... (व्यवधान) दुनियाभर में क्वालिफायर्स होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर रैंकिंग है तो आप लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते हैं।

दूसरा, एक इक्वेस्ट्रियन की बात आई है। यह एक अच्छा सुझाव है कि इसके ऊपर सेंट्रल पूल घोड़ों का और ट्रेनर का हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसको इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन के साथ मिलकर दिखवा सकते हैं। ... (व्यवधान)

16.00 hrs

महोदय, जहां तक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू किया है, क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट ने बहुत से मेडल विजेता दिए हैं। जल्द ही वह काम भी पूरा हो जाएगा। राज्यवर्धन जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो खाली वैकेन्सीज़ हैं, उनको भरा जाए। एक और सुझाव दिया कि जो पैसा खर्च नहीं किया गया है, उसको खर्च करें। हमने पहले ही उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन राज्यों में नहीं हो पाया है, हम उनसे पैसा वापस लेकर किसी और प्रोजेक्ट में लगाएंगे। जहां आधा काम हो गया है, उसको पूरा करके अगले वर्ष देने का काम करेंगे।

* Not recorded

16.0½ hrs**PRIVATE MEMBERS' BILLS – Introduced**

माननीय अध्यक्ष : अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा।

16.01 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 54.

श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी।

16.02 hrs

(I) RAILWAYS (AMENDMENT) BILL, 2021*
(Insertion of section 11A)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Railways Act, 1989.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.02½ hrs

(ii) INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2021*
(Substitution of new section for section 43A)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.03 hrs

(iii) JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN)

AMENDMENT BILL, 2021*

(Amendment of section 75)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.03½ hrs

**(IV) NATIONAL AUTHORITY FOR REHABILITATION AND WELFARE OF
PERSONS LIVING AROUND RAILWAY TRACKS BILL, 2022***

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रेल की पटरियों के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि रेल की पटरियों के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.04 hrs

**(V) FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE GOVERNMENTS (FOR
PROTECTION OF WATER BODIES) BILL, 2022***

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जल-निकायों के संरक्षण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि जल-निकायों के संरक्षण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.04½ hrs**(VI) DRUGS (PRICE CONTROL) BILL, 2022 ***

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ओषधियों की कीमतें निर्धारित करने के लिए समिति का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि ओषधियों की कीमतें निर्धारित करने के लिए समिति का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.05 hrs

(VII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Insertion of new articles 44A and 51A)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.05½ hrs

(VIII) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(Insertion of new sections 379A and 379B)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.06 hrs

(IX) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Amendment of sections 326A and 326B)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.06½ hrs**(X) WIDOWS (PROTECTION AND WELFARE) BILL, 2022 ***

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Hon. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protective measures with need based rehabilitation and welfare to be undertaken by the Government for the distressed, infirm neglected and disowned widows by providing financial assistance, pension, medical care, housing and other facilities through a Welfare Board to such widows and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि व्यथित, अशक्त, उपेक्षित और अन्-अंगीकृत विधवाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यकता आधारित पुनर्वासन और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपाय तथा ऐसी विधवाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखरेख, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.07 hrs

(XI) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(Omission of the Tenth Schedule)

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Hon. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAYANT SINHA: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.07½ hrs

(XII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(Amendment of article 72)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Hon. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI HIBI EDEN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.08 hrs

(XIII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(Amendment of article 81, etc.)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Hon. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI HIBI EDEN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.08½ hrs

(XIV) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(Amendment of article 324, etc.)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Hon. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MANISH TEWARI: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.09 hrs

**(XV) CLIMATE MIGRANTS (PROTECTION AND REHABILITATION) BILL,
2022 ***

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Hon. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an appropriate policy framework for the protection and rehabilitation of internally displaced climate migrants and for all matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि आंतरिक रूप से विस्थापित जलवायु प्रवासियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक उपयुक्त नीतिगत अवसंरचना स्थापित करने और उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PRADYUT BORDOLOI: Sir, I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.09½ hrs

(XVI) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(Amendment of the Tenth Schedule)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Hon. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.10 hrs

(XVII) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(Amendment of sections 20 and 20A)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.10½ hrs**(XVIII) DEBT RELIEF BOARD BILL, 2022 ***

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the identification of loans to be waived as a one-time measure in national interest within the country and matters connected therewith.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि राष्ट्रीय हित में एकमुश्त उपाय के रूप में देश में माफ किए जाने वाले ऋणों की पहचान के लिए बोर्ड के गठन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.11hrs

(XIX) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(Insertion of new article 338C)

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Sir, I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.11½ hrs

**(XX) NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM
OF MEDICINE (AMENDMENT) BILL, 2022 ***
(Amendment of section 2, etc.)

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.12 hrs

(XXI) JUDICIAL STANDARDS AND ACCOUNTABILITY BILL, 2022*

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to lay down judicial standards and provide for accountability of Judges and for matters connected therewith.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि न्यायिक मानक अधिकथित करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही का उपबंध करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.12½ hrs

(XXII) ENVIRONMENT (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2022*
(Amendment of sections 2 and 3)

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Environment (Protection) Act, 1986.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI V.K. SREEKANDAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.13 hrs

(XXIII) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Omission of section 124A, etc.)

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि भारतीय दंड संहिता 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI V.K. SREEKANDAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.13½ hrs

**(XXIV) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT
GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2022***
(Amendment of Schedule I)

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI V.K. SREEKANDAN: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.14½ hrs

**(XXV) HOUSING FACILITY FOR DESTITUTE SENIOR CITIZENS,
WIDOWS AND ORPHAN CHILDREN BILL, 2022***

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for housing facility to destitute senior citizens, widows and orphan children and for matters connected therewith.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथ बालकों के लिए आवास सुविधा प्रदान करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, I introduce**
the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.14½ hrs

**(XXVI) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF TAMIL
NADU BILL, 2022***

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Tamil Nadu for the purpose of sustainable and balanced development of growth-oriented infrastructure such as housing, drinking water, roads, sanitation, creation of grain and fodder banks, skill development, cloud seeding, contour bunding and welfare schemes for the women, children, senior citizens and people living below poverty line in the State and for encouraging traditional water conservation through lakes, ponds, wells, rainwater harvesting and afforestation and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि तमिलनाडु राज्य में आवासन, पेयजल, सड़क, स्वच्छता, अनाज और चारा बैंकों का सृजन, कौशल विकास, क्लाउड सीडिंग, कंटूर बंडिंग जैसी विकासोन्मुख अवसंरचना के सतत और संतुलित विकास और महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं तथा झीलों, तालाबों, कुओं, वर्षा जल संचयन और वनीकरण के माध्यम से पारंपरिक जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने और उससे संसक्त या उसके

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, I introduce ^{**}the Bill.

^{**} Introduced with the Recommendation of the President.

16.15 hrs**(XXVII) PREVENTION OF INTERNET SHUTDOWN BILL, 2022***

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an effective system to prevent internet shutdown, provide procedural safeguards to bring greater transparency and accountability for internet shutdown and to provide for monitoring of shutdown and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि इंटरनेट शटडाउन के निवारण हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना, इंटरनेट शटडाउन के संबंध में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय करने तथा शटडाउन की निगरानी की व्यवस्था एवं उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.15½ hrs

(XXVIII) WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2022*
(Amendment of section 8, etc.)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.16 hrs**(XXIX) CIVILIAN AWARDS (RECOMMENDATION COMMITTEE) BILL, 2019***

श्री अशोक महादेवराव नेते (गङ्गचिरोली-चिमुर्) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को असैनिक पुरस्कार प्रदान किए जाने की सिफारिश करने हेतु समिति के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को असैनिक पुरस्कार प्रदान किए जाने की सिफारिश करने हेतु समिति के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.16½ hrs

(XXX) FOREST CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2020 *
(Insertion of new sections 3C and 3D)

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तीरथ सिंह रावत : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.17 hrs**(XXXI) PAYMENT OF COMPENSATION TO PERSONS ATTACKED BY WILD
ANIMALS BILL, 2020***

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वन्य जीव-जंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि वन्य जीव-जंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तीरथ सिंह रावत : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.18 hrs

(XXXII) AGRICULTURAL AND OTHER RURAL WORKERS (PROTECTION AND WELFARE) BILL, 2022*

SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK NIMBALKAR (MADHA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protective measures for the agricultural and other rural workers against exploitation and for ensuring minimum wages, pension, provident fund facilities and financial compensation with paid leave in case of accidents, medical, maternity and crèche facilities to women workers, education and nutrition for the children and for such other welfare measures to be ensured by the State and for establishment of a Welfare Authority and Welfare Fund for such workers of the rural areas.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि कृषि और अन्य ग्रामीण कर्मकारों का शोषण किए जाने से संरक्षण प्रदान करने वाले उपायों और राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, भविष्य निधि सुविधाएं और दुर्घटनाओं की स्थिति में सवेतन छुट्टी सहित वित्तीय प्रतिकर महिला कर्मकारों को चिकित्सा, प्रसूति और शिशुसदन सुविधाएं, बच्चों के लिए शिक्षा एवं पोषण और ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे कर्मकारों के लिए कल्याण प्राधिकरण तथा कल्याण निधि की स्थापना करने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK NIMBALKAR: Sir, I introduce^{**} the Bill.

16.19 hrs

(XXXIII) NATIONALISATION OF INTER-STATE RIVERS BILL, 2022^{*}

SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK NIMBALKAR (MADHA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for nationalisation of inter-State rivers for the purpose of equitable distribution of river waters among the States and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि राज्यों के बीच नदियों के साम्यापूर्ण जल वितरण के प्रयोजन के लिए अन्तरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK NIMBALKAR: Sir, I introduce^{**} the Bill.

^{**} Introduced with the Recommendation of the President.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.19½ hrs**(XXXIV) SINGLE USE PLASTIC (REGULATION) BILL, 2022***

SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK NIMBALKAR (MADHA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a framework to enable the country to achieve its goal of eliminating single use plastic by the year 2022 and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि देश को वर्ष 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन करने का लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने की रूपरेखा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK NIMBALKAR: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.20 hrs

(XXXV) JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN)

AMENDMENT BILL, 2022*

(Amendment of section 86)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.20½ hrs

(XXXVI) ENVIRONMENT (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2022*
(Insertion of new section 3A)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Environment (Protection) Act, 1986.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce ** the Bill.

माननीय सभापति : आप इसके लिए हां कहिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : संस्कृत में कहा गया है कि मौनं सम्मति लक्षणम्। जो मौन हैं, वे आपके साथ हैं, ऐसा माना जाता है।

16.22 hrs

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

**(XXXVII) SANCTIONS ON COUNTRIES ENGAGING TERRITORIAL
INCURSION INTO INDIA BILL, 2022***

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for economic, diplomatic and political sanctions against the countries which engage in forceful incursions into Indian territory and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि उन देशों के विरुद्ध आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक प्रतिबंधों का उपबंध करने, जो भारतीय राज्यक्षेत्र में बलपूर्वक घुसपैठ में संलिप्त हैं तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.22½ hrs

(XXXVIII) ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE (AMENDMENT)

BILL, 2022*

(Insertion of new section 3A)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the All India Institute of Medical Science Act, 1956.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.23 hrs

**(XXXIX) VICTIMS OF NATURAL CALAMITIES
(REHABILITATION AND FINANCIAL ASSISTANCE) BILL, 2022***

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and financial assistance to the victims of natural calamities and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please go on.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He has not been allowed by the Chair to speak.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

... ^{Σ□} ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Let the hon. Member introduce the Bill.

You please continue.

16.24½ hrs

(XL) FOOD SAFETY AND STANDARDS (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Amendment of section 3, etc.*)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, I introduce** the Bill.

^{Σ□} Not recorded

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 123, Shri D.M. Kathir Anand.

16.25 hrs

**(XLI) MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT
(AMENDMENT) BILL, 2022***
(Insertion of new sections 10A and 10B)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 135, Kunwar Danish Ali.

16.25½ hrs

(XLII) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Amendment of section 58, etc.)

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

KUNWAR DANISH ALI: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 63, Shri Jagdambika Pal.

16.26 hrs

(XLIII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2021*
(Amendment of Seventh Schedule)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 64, Shri Jagdambika Pal.

16.26½ hrs

**(XLIV) SPORTS BROADCASTING SIGNALS (MANDATORY SHARING WITH
PRASAR BHARTI) (AMENDMENT) BILL, 2021***
(Amendment of section 3)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharti) Act, 2007.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 68, Shri Jagdambika Pal.

16.27 hrs

(XLV) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Amendment of Article 348)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

माननीय सभापति : श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे - उपस्थित नहीं।

16.28 hrs

(XLVI) ARTISTS (SOCIAL SECURITY) BILL, 2019*

श्री रवि किशन (गोरखपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.29 hrs**(XLVII) MENTALLY RETARDED CHILDREN (WELFARE) BILL, 2019***

श्री रवि किशन (गोरखपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमन्दित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमन्दित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

16.29½ hrs

(XLVIII) POPULATION CONTROL BILL, 2019*

श्री रवि किशन (गोरखपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

माननीय सभापति : आईटम नम्बर-30, श्री जसबीर गिल – उपस्थित नहीं।

आईटम नम्बर 32, श्री रवनीत सिंह।

16.30 hrs

**(XLIX) NATIONAL COMMISSION FOR WELFARE OF FEMALE FARMERS
BILL, 2021***

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of a Commission to look into the welfare and entitlements of female farmers, including land rights.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि भूमि अधिकारों सहित, महिला किसानों के कल्याण और उनकी सुविधाओं के मामलों के लिए एक आयोग के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAVNEET SINGH: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 53, Shri Ravneet Singh.

16.31 hrs

(L) PROMOTION OF CYCLING BILL, 2021*

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of a Bicycle Promotion Council for the promotion of cycling by giving incentives to the bicycle industry; providing subsidy on purchase of bicycles to the general public; mandating investment on non-motorised Transport for projects that seek to develop non-motorised and public transport infrastructure and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि साइकिल उद्योग को प्रोत्साहन देकर साइकिल चालन के संवर्धन के लिए साइकिल संवर्धन परिषद की स्थापना करने; आम जनता को साइकिल खरीदने पर सहायकी प्रदान करने; गैर-मोटरयुक्त और सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को विकसित करने के आशय की परियोजनाओं के लिए गैर-मोटरयुक्त परिवहन में निवेश की आज्ञा देने तथा उससे संबन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAVNEET SINGH: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 132, Shri E.T. Mohammed Basheer.

16.32 hrs

(LI) ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Amendment of section 12)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 133, Shri E.T. Mohammed Basheer.

16.32½ hrs

(LII) PREVENTION OF MOB-LYNCHING BILL, 2022*

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent mob lynching and provide adequate punishment for persons committing mob lynching with a view to instil a sense of fear among the persons who involve themselves in such kind of actions and for rehabilitation of victims of lynching and their families and for matters connected therewith or incidents thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्या का निवारण करने और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्या से जुड़े व्यक्तियों को, जो इस प्रकार के कार्यों में स्वयं को शामिल करते हैं, पर्याप्त रूप से दंडित कर उन व्यक्तियों के बीच भय की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से तथा भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए गए व्यक्तियों और उनके परिवारों के पुनर्वास और तत्संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 134, Shri E.T. Mohammed Basheer.

16.33 hrs

(LIII) PREVENTION OF TORTURE BILL, 2022*

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent the custodial torture, ensure award of compensation to the victims and making the erring public officials liable for the punishment and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि अभिरक्षा में यातना को रोकने, पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान करने और चूककर्ता लोक सेवकों को दंड का भागी बनाने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

माननीय सभापति : डॉ. रामशंकर कठेरिया – उपस्थित नहीं।

श्री हेमन्त पाटिल – उपस्थित नहीं।

श्री सु. थिरुनवुक्करासर – उपस्थित नहीं।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती पूनम महाजन – उपस्थित नहीं।

एडवोकेट अदूर प्रकाश – उपस्थित नहीं।

श्री अशोक कुमार रावत – उपस्थित नहीं।

श्री अबु हसन खान चौधरी – उपस्थित नहीं।

श्री के. सुधाकरन – उपस्थित नहीं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी – उपस्थित नहीं।

डॉ. थोल तिरुमावलवन – उपस्थित नहीं।

डॉ. संजय जायसवाल – उपस्थित नहीं।

श्री राजमोहन उन्नीथन – उपस्थित नहीं।

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे – उपस्थित नहीं।

श्री जुगल किशोर शर्मा – उपस्थित नहीं।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु – उपस्थित नहीं।

श्री गजानन कीर्तिकर – उपस्थित नहीं।

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत – उपस्थित नहीं।

डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस – उपस्थित नहीं।

श्री केसिनेनी श्रीनिवास – उपस्थित नहीं।

श्री विष्णु दत्त शर्मा – उपस्थित नहीं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे – उपस्थित नहीं।

श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

16.35 hrs

(LIV) CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“ कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ABDUL KHALEQUE: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.35½ hrs

(LV) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Amendment of article 80, etc.)

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KULDEEP RAI SHARMA: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.36 hrs

(LVI) CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2022^{*}
(Insertion of new section 3F, etc.)

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“ कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KULDEEP RAI SHARMA: Sir, I introduce^{**} the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

^{**} Introduced with the Recommendation of the President.

16.36½ hrs

**(LVII) MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR
CITIZENS (AMENDMENT) BILL, 2022***
(Amendment of section 21)

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KULDEEP RAI SHARMA: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

माननीय सभापति : श्री बालूभाऊ धानोरकर जी- उपस्थित नहीं

श्री उत्तम कुमार जी- उपस्थित नहीं

श्री सुनील कुमार सिंह जी- उपस्थित नहीं

श्रीमती पूनमबेन माडम जी- उपस्थित नहीं

श्री महेश साहू जी- उपस्थित नहीं

श्री रितेश पांडेय जी- उपस्थित नहीं

श्री लावू श्रीकृष्णा जी- उपस्थित नहीं

श्री दिलेश्वर कामैत जी- उपस्थित नहीं

श्री गोपाल शेटी जी।

16.38 hrs

(LVIII) RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Amendment of section 7)

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“ कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI GOPAL SHETTY: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

16.38½ hrs

**(LIX) RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (AMENDMENT) BILL,
2022^{*}
(Insertion of New Section 9A, Etc.)**

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“ कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI GOPAL SHETTY: Sir, I introduce^{**} the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

^{**} Introduced with the Recommendation of the President.

16.39 hrs**REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2019...Contd.*
(Insertion of New Section 29AA)**

माननीय सभापति : आइटम नंबर 136, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक-2022, धारा-58 का संशोधन आदि। श्री गोपाल शेटी जी, आपने पिछली बार इसे प्रारम्भ किया था। प्लीज काँटीन्यू।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): धन्यवाद सभापति जी, इस विषय को मैंने प्रारम्भ किया था और कुछ बातें बतायी थीं। कुछ बातें मैं एक बार फिर आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग पार्टी का गठन करते हैं। यह लोकशाही अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन चुनाव में जो घोषणाएं की जाती हैं और फिर जीतकर आने के बाद उन्हें पूरा नहीं किया जाता: अतः मैंने यह मांग की है कि ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ, जो मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

हमारे देश की व्यवस्था में, चुनावी प्रक्रिया में इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि अगर हमें इस सभागृह को चलाना है तो उसके लिए एक कोरम होना चाहिए। जब हम चुनाव लड़ते हैं, अगर हमें कुल वोट के 6 प्रतिशत वोट नहीं मिलते हैं तो हमारी जमानत राशि जब्त हो जाती है। गुजरात के चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को भी 13 प्रतिशत वोट मिल गया तो उनको पूरे देश भर में मान्यता प्राप्त हो गई है। चुनावी व्यवस्था में यह भी है कि अगर यह 13 प्रतिशत वोट घट जाता है, अगर तीन राज्यों में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या घट जाती है तो उनकी मान्यता रद्द भी होती है। हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। परसों तक तो सिर्फ 8 राजनीतिक पार्टियों को ही राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी, जिसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया था। अब उसमें एक की बढ़ोतरी हुई है। यह हमारे देश की लोकशाही है और यही हमारी लोकशाही की सुन्दरता है कि हमारा देश नियम-कायदे के आधार पर चलता है। इन नियमों और कायदों को देश के सारे 130 करोड़ लोग मानते हैं।

* Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Gopal Shetty on 5th August, 2022.

महोदय, माननीय अटल जी का भाषण जब इस सभागृह में होता था तो वे 100 करोड़ भारत देश के लोगों की आबादी का उल्लेख करते थे। वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी आ गए, वे 130 करोड़ लोगों की बात करने लगे। आज इस सभागृह में एक माननीय सदस्य अपने भाषण में कह रहे थे कि 135 करोड़ का यह देश हो गया है। आने वाले 10-20 साल में इस देश की लोक संख्या कितनी बढ़ेगी, वह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारा बहुत बड़ा देश है और हमारा देश एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर चलता है। कल कोई भी उठकर लोक-लुभावनी घोषणा करके लोगों को अपने पक्ष में लेकर अगर चुनाव जीत भी जाता है और उन घोषणाओं को पूरा नहीं करता है तो लोगों का इतनी बड़ी लोकशाही के ऊपर जो विश्वास है, वह उठ जाएगा। हाल ही में गुजरात में जो चुनाव हुआ, हमने उसमें देखा कि किसी भी प्रकार की लोक-लुभावन घोषणा और वादा न करते हुए देश और गुजरात के इतिहास में इतनी बड़ी जीत हुई। अब मतदाता होशियार हो गया है।

मतदाता समझने लग गया है, मतदाता को देश की चिंता है, मतदाता को राज्य की चिंता है। 5 साल हमारा नेतृत्व कौन सा एमएलए अच्छी तरह से कर सकता है, कौन सी पार्टी की विश्वसनीयता इस देश में है, अब इन सारी बातों को लोगों ने भाँप लिया है और लोग बहुत होशियार हो गए हैं। ऐसे समय पर हमारी यह इतनी बड़ी जो लोक सभा है, इस लोक सभा में आने वाले दिनों में चुनावी प्रोसेस में जो बदलाव होने चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी। हमारे देश एक बड़े वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित के मुद्दों पर, देश हित के मुद्दों पर बहुत बड़ी-बड़ी पीआईएल फाइल करते हैं। माननीय अश्विनी उपाध्याय जी ने इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, जिसका 4-6 दिन पहले ही एक जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने भी चुनाव आयोग को कहा कि इसके बारे में आपको कोई न कोई सोच-विचार करना चाहिए, कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए, कोई नियमावली बनानी चाहिए।

महोदय, मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था और आज आपके सामने फिर एक बार इस बात को दोहराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब देश में चुनाव होगा और इन दिनों चुनाव के समय अलायंस करके भी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं। इस तरह बहुत बार चुनाव लड़ा गया है, आज भी इस तरह चुनाव लड़ा जाता है और आने वाले दिनों में भी अलायंस करके चुनाव लड़ा जाएगा। अगर मैं वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव की बात करूँ तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना ने अलायंस किया। दोनों दल अलायंस करके लोगों के सामने वोट माँगने गए। दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा-पत्र पब्लिक के सामने जारी किया। इन सारी बातों को देखकर जनता ने वोट दिया। 160 के लगभग विधायक चुनकर आए। जब चुनाव के नतीजे आ गए तो शिव सेना ने क्या किया, यह पूरे देश के लोगों ने देखा है। मैं इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी व्यवस्था में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई अलायंस करके चुनाव लड़ता है तो चुनाव आयोग के पास जाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह हमें आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जनता किस आधार पर वोट करेगी। एक पार्टी की विश्वसनीयता है, इसलिए लोग उसे वोट करते हैं। मैं जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसके नेताओं ने संघर्ष कर-करके आजादी के 75 साल में पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी पार्टी की एक विचारधारा है। हम कुछ बुनियादी मुद्दों को लेकर चले। उनमें से बहुत सारे मुद्दों का समाधान करने का देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है।

पार्टी की एक विश्वसनीयता बन जाती है और उस पार्टी की विश्वसनीयता के ऊपर लोग मतदान के समय वोट देते हैं। मैं यहाँ पर पूरी तरह से यह नहीं कहूँगा कि इस प्रकार के लोक-लुभावने वायदें नहीं करने चाहिए। चुनाव होता है तो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के लोग लोगों को कहते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो ये करेंगे और आजादी के बाद 75 साल इस तरह से चला भी है। कांग्रेस ने बहुत लम्बे समय तक सरकार चलाई तो गरीब लोगों के लिए सब्सिडी दी, गरीब लोगों के लिए जो-जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वह कीं।

यह सब कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करना पड़ेगा। लेकिन सरकार का जो बजट होता है, उस बजट से ही हमको करना है। सरकार की तिजोरी में पैसा इतना आयेगा और उसमें से हम यहां-यहां खर्चा करेंगे। अगर हमें कुछ मुफ्त में देना है तो हम यहां पर इस प्रकार से टैक्स बढ़ाएंगे या जहां पर टैक्स का हाथ अभी तक पहुंचा नहीं है, वहां पर भी हम टैक्स लगा कर देश की तिजोरी में पैसा लाएंगे और फिर उसमें से यह फ्री में या मुफ्त में या सब्सिडी में देंगे, इस प्रकार की घोषणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता है और उसके बाद वह अपना मन बना सकती है। लेकिन ऐसा कोई कुछ कहे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े देश में लोकशाही के लिए यह घातक है। इससे देश को आने वाले दिनों में संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे संकट का सामना करने के पहले ही देश का जो यह मंदिर है, लोक सभा पूरे देश को चलाने का काम करता है, हम पूरे देश के लिए कायदा यहां पर बनाते हैं तो यहां पर बैठे हुए लोगों को देश के लिए आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में जो भी परिवर्तन करने हैं या जो भी सुझाव देने हैं, वह हमें करना पड़ेगा। यह करने के दो-तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो सरकार कायदा लाकर बनाए या हम जैसे लोग सरकार को प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से सुझाव दें। कभी-कभी देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर पीआईएल फाइल करते हैं। सुओ मोटो कभी-कभी न्यायाधीश भी अपना जो मत है, वह चुनाव आयोग को और सरकार को समय-समय पर देने का काम करते हैं। फिर इस तरह से हमारी जो लोकशाही है, हम सब लोग मिल-जुलकर इस व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। हमें इस बात को बहुत गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो, इस विषय पर हम बहुत सकारात्मक चर्चा करें। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारे पॉलिटिकल लोगों को चुनावी घोषणा करने का भी अधिकार है, लेकिन हमें एक चौखट के अंदर रह कर ही करना पड़ेगा। क्योंकि देश की तिजोरी में जो पैसा आएगा, हम उसी में से खर्चा करने वाले हैं। इस देश में ऐसा कोई भी पूंजीपति चुनाव नहीं लड़ेगा कि ठीक है कि पैसा कितना भी आना हो आए, अगर कम पड़ेगा तो मैं अपनी तिजोरी में से दे दूंगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है और दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ।

विकसित देश में कहीं हुआ होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन भारत देश में ऐसा होने की संभावना मुझे कम दिखाई देती है।

सभापति जी, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि टैक्स पेयर गवर्नमेंट को जो पैसे देते हैं, मेरा यह भी एक सवाल है कि कोई कैसे उनकी अनुमति के बिना इस प्रकार का काम कर सकते हैं। It is a commitment to the public. सरकार जिस चीज के लिए टैक्स लेती है, उस टैक्स के पैसे के मुताबिक उनको आने वाले दिनों में सुविधा देना, यह चुनकर आने वाली सरकारों का काम है। यह हमारा लोगों के साथ में कमिटमेंट होता है। आप एक व्यक्ति के पास से पैसे लेकर उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करके, आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए कुछ भी करते हैं तो यह देश की जनता को बिल्कुल मान्य होने वाला नहीं है। इसलिए इस विषय पर हमें गंभीरता से सोच-विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं चाहूंगा कि चुनावी रिफॉर्म्स में हमें जो कुछ भी परिवर्तन करना है, आने वाले दिनों में बदलाव करना है, वह हमें करना ही पड़ेगा। मैं एक बार फिर गुजरात की जनता का अभिनंदन करना चाहूंगा। 27 सालों तक लगातार सिस्टम में काम करने के बाद भी हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने और हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया। 10-15 सालों में एंटी-इन्कंबेंसी जैसा फैक्टर आ जाता है और चुनाव के परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात में 27 सालों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज करने के बाद भी इतनी बड़ी थम्पिंग मैजोरिटी से जीते, ऐसा भी नहीं है कि लड़खड़ाते हुए जीते। इतनी बड़ी थम्पिंग मैजोरिटी से फिर एक बार जनता ने विश्वास सरकार के ऊपर किया है, तो हम जैसे चुन कर आए हुए जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बनता है, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए एक चौखट बनाएं। उनके लिए मापदण्ड बनाए जाएं और जो कमियां-खामियां हैं, उनको हमें आने वाले दिनों में पूरा करने की आवश्यकता है। मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना का कॉर्पोरेशन में बहुत लंबे समय तक, 25 साल तक साथ रहा और हमने एलायंस के साथ काम किया है। वर्ष 2017 का

महानगरपालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना ने अलग-अलग लड़ा था। जिसमें भाजपा को 82 सीट्स और शिव सेना को 84 सीट्स मिलीं। शिव सेना ने कुछ लोगों को साथ ले कर मेयर बनाने का निर्णय लिया। भाजपा के पास 82 सीट्स होते हुए भी हमने न तो मेयर बनाने की बात की और न ही विपक्ष में बैठने की बात की। शिव सेना के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। कांग्रेस और बाकी लोगों की 30-40 सीट्स आई थीं। इसलिए 82 सीट्स के साथ नेता विपक्ष का पद लेने का पूरा अधिकार भाजपा को था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिता को बरकरार रखते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार को शिव सेना और भाजपा दोनों साथ में गठबंधन कर के चला रहे थे, इसलिए कॉर्पोरेशन में हम अलग लड़ कर भले ही जीत कर आए थे, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की भूमिका करते तो जनता के मानस में एक अच्छा संदेश नहीं जाता, इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए पब्लिक के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारे देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ तो हम जनता के सेवक हैं। जनता अपनी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कॉर्पोरेशन में हमको भेजती है, विधान सभा में भेजती है, लोक सभा में भेजती है, सरकारें बनती हैं और सरकार बनने के बाद हमें लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम करने की आवश्यकता है।

मुझे बड़ा गर्व है अपने देश के प्रधान मंत्री पर कि 8 साल में पूरे देश का नक्शा बदलने का काम उन्होंने किया है। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी लगन से किए हुए वादों को पूरा करना, इन सारी बातों की वजह से एक छवि देश में निर्माण करने का काम उन्होंने किया है।

सभापति महोदय, हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। एक जमाने में हमको विश्व के जो बड़े-बड़े फोरम्स हैं, उनमें सदस्यता नहीं मिलती थी और अब ऐसा समय आ गया है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने देश का नाम इतना बढ़ा दिया, दुनिया के सारे देशों में घूम कर उन्होंने एक छवि तैयार की कि आज जी-20 की अध्यक्षता पर विराजने का सौभाग्य भारत देश को मिला है। इसलिए हमें आने वाले दिनों में दुनिया के देशों को दिशा देने की आवश्यकता है। यह हमारे पूर्वजों ने भी कहा था। 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हम विश्व गुरु बनेंगे। तब तो किसी को लगता भी नहीं

था और आज हम बनते जा रहे हैं। जब हम बनते जा रहे हैं, तब भारत देश की छवि, गरिमा, प्रतिष्ठा दुनिया के बाजार में शिखर पर पहुंच रही है, ऐसे समय पर हमारे देश में जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम है, उसको भी हमें बदलने की आवश्यकता है और समय-समय पर जो-जो आवश्यक हो, उसको भी करना पड़ेगा।

सर, पिछले सत्र में सिंगीवाल जी ने जो 100 पर्सेंट वोटिंग की बात की थी, सरकार ने उनको समझाया और उन्होंने विड्रॉ किया। अब मंत्री जी क्या करने वाले हैं, मुझे पता नहीं है। मंत्री जी के आदेश का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन उनकी बात में भी तो दम है। इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा कर के हम चुनाव के लिए जाते हैं और फिर एक बड़ा वर्ग चुनाव से वंचित रह जाता है। चलो, पहले समय की बात अलग थी, तब कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। आज तो सारी व्यवस्था है। डिजिटल इंडिया ने तो क्रांति कर दी है। देश ने प्रधान मंत्री जी ने जब डिजिटल इंडिया को इंट्रोड्यूज किया तो हमारे देश के कुछ राजनीतिक लोग उसके ऊपर टीका-टिप्पणी करते थे कि गरीब देश है, यह है-वह है, दस तरह की बातें करते थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया ने क्रांति की है और ऐसे समय पर आप कहीं पर भी हों तो आप अपनी वोटिंग कर सकते हो, इसकी व्यवस्था हो रही है। आने वाले दिनों में लोग ऑनलाइन वोटिंग भी करेंगे, यह भी हमारे देश में आएगा। यह समय बहुत दिन दूर नहीं है। उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। इसलिए ऐसे समय पर, जब सीनियर सिटीजंस के घरों पर जा कर, उनकी वोटिंग करवाने की व्यवस्था भी अभी आ गई है, इतनी व्यवस्था हम करते जा रहे हैं, यानी हर चुनाव में नई-नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती हैं, नई-नई व्यवस्थाएं लागू होती हैं। जो बातें मैं आज कह रहा हूं, हो सकता है कि आज वे लागू नहीं होंगी, लेकिन 5, 10, 15, 20 या 25 सालों में तो होना ही है। घर में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ-बाप 25 साल के पहले ही योजना करते हैं कि क्या करना है। इसलिए हमें भी अपने देश के लिए आने वाले 10, 15, 20 या 25 सालों के बाद क्या सुधार होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए उसका सोच-विचार हमें अभी से ही करना पड़ेगा तो हम करेंगे। कायदा जब बदलेगा, जो होगा, वह होगा, लेकिन अगर चर्चा होती है और पब्लिक डोमेन में भी जब यह बात

आएगी तो इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने वाले लोगों के ऊपर थोड़ा अंकुश लगेगा, उन्हें थोड़ा डर लगेगा। समाचार-पत्रों के लोग इसके बारे में लिखेंगे और इससे एक जागृति पैदा होगी। इस जागृति से ही समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमने पहले भी बदलाव देखे हैं और आज भी हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। यह चर्चा के माध्यम से ही होगा। चर्चा करने के लिए यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरे देश को और पूरे राज्यों को दिशा-निर्देश देने का काम इस पार्लियामेंट और इस लोक सभा के माध्यम से होता है। इसलिए, इन सारी बातों के ऊपर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, समय-समय पर बदलाव लाने की आवश्यकता है और यह बदलाव आने वाले दिनों में आएगा। इसलिए, इस प्राइवेट मेम्बर्स बिल के माध्यम से मैंने अपने विचारों को और मेरी जो सोच है, उसको यहां पर रखने का प्रयास किया।

अन्त में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हम लोग बहुत ही जवाबदेह लोग हैं। मुझे लगता है कि उस जवाबदेही को निभाते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बैठ कर बात करना चाहिए। इस देश में बहुत अमीर लोग हैं, मध्यम लोग भी हैं। कुछ गरीब लोग भी हैं। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

आज देश के प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान् भारत योजना लाकर मेडिकल के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, उससे गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है। लेकिन, क्या सारे गरीब लोगों को मदद मिलती है? उन्हें तो मदद नहीं मिलती है। आज अगर एक सामान्य व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है तो तीन-चार लाख रुपये का बिल तो आराम से आ जाता है। हमारी व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की मानसिकता किस तरह की है? कल जब मैं पार्लियामेंट में बैठा था, तो उस समय एक व्यक्ति का व्हाट्स-एप्प मैसेज आया। उसका 4 लाख 10 हजार रुपये का बिल आया था। उस गरीब ने 3 लाख 70 हजार रुपये भुगतान कर दिया। उसकी अपेक्षा थी कि अगर मेरे फोन करने से जो बची हुई राशि है, उससे छूट मिल जाएगी तो यह बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैंने अपनी व्यवस्था के माध्यम से वहां मैसेज पहुंचाने का काम किया। सभापति महोदय जी, आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस हॉस्पिटल के लोगों ने सिर्फ 4,000 रुपये का कन्सेशन दिया। मलाड के एक हॉस्पिटल ने 4 लाख 10

हजार रुपये के बिल में से सिर्फ 4,000 रुपये का कन्सेशन दिया। शायद वे हम जैसे लोगों को यह संकेत देते होंगे कि आगे से आप कोई चिट्ठी लिखने या फिर इसके बारे में फोन करने की तकलीफ न करें। इस प्रकार की मानसिकता के लोगों के लिए हमें मेडिकल के क्षेत्र में भी आने वाले दिनों में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस प्राइवेट मेम्बर्स बिल के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग मुफ्त में कुछ देने, लोक-लुभावने वादे और घोषणाएँ करके चुन कर आते हैं और फिर सत्ता में बैठने के बाद भी जब वे उसे पूरा नहीं करते हैं तो लोगों का तो वे पाँच साल बिगाड़ते ही हैं, लेकिन देश को भी आगे बढ़ने से रोकने का वे काम करते हैं, इसके बारे में हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

महोदय, मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ, वही हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के साथ बैठ कर इसके बारे में एक नियमावली, एक गाइडलाइन बनाएं। अगर माननीय मंत्री जी अपनी आवाज़ को, इस सभागृह की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा कर कोई नई व्यवस्था बनाते हैं तो इससे लोगों का एक विश्वास बनेगा। लोग जो टैक्स देते हैं, जो पैसे देते हैं, उनके एक रुपये का पूरा एक रुपया उन्हें वापस मिलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यह हमेशा कहते हैं कि आप हमें एक रुपया दे दीजिए, हम आपको सवा रुपये का रिजल्ट देंगे, यानी हम मेहनत करेंगे और आपको सवा रुपये का रिजल्ट देंगे। लेकिन, कुछ लोग एक रुपया लेते हैं और उनको चार आने की व्यवस्था देते हैं और बारह आने को येन-केन-प्रकारेण यहां-वहां कर देते हैं। ऐसा न करते हुए देश का जो सामान्य व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उसके पूरे-के-पूरे अधिकार मिलने चाहिए। जब वह सरकार को माई-बाप कहता है तो माँ-बाप जो होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पालने-पोसने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें माई-बाप कहा जाता है। जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार माई-बाप है। सरकार को उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जीत कर आने के बाद मोदी जी इसे कर रहे हैं। मोदी जी ने उज्ज्वला स्कीम से लेकर कितनी स्कीम्स लाई और देश को एक नई दिशा देने का काम किया। आप जीत कर आकर करने का काम कीजिए, आपको पूरा अधिकार है। मनरेगा के बारे में इतनी बातें होती थीं। उन्होंने मनरेगा में पैसे को और बढ़ा कर दिया। आयुष्मान् भारत जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय उसमें 40,000 करोड़ रुपये का खर्च था, तब

उन्होंने शेयर बाजार से डील करने वाले लोगों पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाकर सारे पैसे वहां से लाया। उन्होंने अपनी चातुर्य बुद्धि से यह सब किया। उन्होंने एक टैक्सपेयर से पैसे लेकर दूसरे को देने का तो काम नहीं किया। उन्होंने एक नई खोज की। इसलिए सरकार में चुन कर आने के बाद आप अपनी बुद्धि के माध्यम से नई खोज करते हुए उसमें से पैसे खड़ा कर आपको जो स्कीम लाना है, आप लाइए। यह सभी राज्यों में होता है, केन्द्र में होता है, हम सभी लोग ऐसा करते हैं।

17.00 hrs

यहाँ पर मेरी वेदना यह है कि किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही न हो और वे लोग अगर इस प्रकार से चुनावों में वादे देकर सिस्टम को तीतर-बीतर एवं डिस्टर्ब करने का काम करते हैं तो इस लोक सभा के मंदिर में हमें उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं संसद के इस सभागृह से अश्वनी उपाध्याय जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि एक वकील अपने परिश्रम और पैसे से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करता है। हम सारे लोग मिलकर यहाँ कायदे बना सकते हैं, लेकिन इस देश की लोकशाही ऐसी है कि एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो वह न्यायालय में जाकर, जो उसको चाहिए, उसे ले सकता है। इस बारे में भी उन्होंने बताने का काम किया है। मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने चुनाव अधिकारी के बारे में कहा कि इनके बारे में आप लोग सोच-विचार कीजिए। मेरा यह मुद्दा था, जो पहले से ही डाला हुआ था। इसलिए, मैं अपने हौसले को और बुलंद करते हुए, अपने मंत्री महोदय से अपेक्षा करूँगा कि वह भी इससे जुड़कर एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए, आने वाले दिनों में एक रिफॉर्म के बारे में सोचेंगे। ऐसा भाव मैं प्रकट करता हूँ। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

Last time when my friend, Mr. Shetty, started deliberation on this Bill, I was listening to his point of view, and today, of course, again he has expanded on that view point.

The issue that is before us, through this Bill, is derecognizing national parties on certain conditions. That is what the crux of this Bill is. What is the end result? The end result is that we should have a smaller number of national parties in our country. The parties which did not get adequate public support in the last election, percentage-wise, should be de-recognised. The ultimate result would be that there would be only one or two national parties in the country. Does this adhere to the constitutional provision of our country? Did the Constitution-makers -- who deliberated for more than two years and seven months -- want this? The issue that they should confine national parties to two, or three, or maximum four numbers, was also before them. That was the point of debate. But ultimately, cutting across party lines and cutting across different schools of thought, it was decided that we should have a multi-party system. If you put conditions in a multi-party system -- as has been proposed by my friend, Gopal Shetty *Ji* -- you are violating the thought process or the decision of our Constitution-makers. They did not comprehend that such a thing will be deliberated in the House of the People like the Lok Sabha. Yes, people can go to the hon. Supreme Court. I have been informed that Shri Ashwini Vaishnaw, who is now the hon. Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology, had been to the hon. Supreme Court. I am yet to find out whether he was a Member of Rajya Sabha or he was just an ordinary citizen

of this country at that time. But anyone can go and knock on the door of the hon. Supreme court of India on any issue because that provision is there in the law. The hon. Minister of Law and Justice is present here.

He can also vouchsafe that this provision of raising any matter before the Supreme Court was not there earlier and it came much later. Of course, Justice Bhagwati is always remembered that by sending a post card to the Supreme Court, anything can be taken cognisance of and can be deliberated in a Bench.

But the writ condition came into existence much later. I should frankly mention it here that I am not a lawyer, neither legal activity is my profession. But the activity that I indulge in is this. My profession is journalism and, in that respect, I can only say that these are certain matters which we also always deliberate in our media circles because what is happening in the Supreme Court and what is happening in the Parliament is a point which other people also should come to know and that is how, my friend, Mr. Gopal Shetty, has raised that issue that our colleague Mr. Ashwini Vaishnaw, if he is the same person, has raised it in the Supreme Court of India, what did the Supreme Court say?

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Excuse me Sir. The person whom I am talking about was Shri Ashwini Updhayay. He is an advocate. He is not Shri Ashwini Vaishnaw.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: You mentioned him as Shri Ashwini Vaishnaw.

SHRI GOPAL SHETTY: I stand corrected.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Then, I also stand corrected. He is Shri Ashwini Upadhyay. Then, that needs to be corrected.

HON. CHAIRPERSON: Alright, that name will be corrected.

श्री भर्तृहरि महताब : अश्वनी वैष्णव तो एक ही हैं। ... (व्यवधान)

If an individual has raised it or a lawyer has raised it in the Supreme Court of India, what did the Supreme Court say? Did they give any final judgement on that issue? A number of issues are going to the Supreme Court and even to the High Court. Not taking a decision, if I say so, is also a decision. Here, the Supreme Court has not taken a decision. My interpretation is this. Perhaps the Supreme Court did not want to give a decision on this. Rather they did not want to enter into the sphere of Election Commission. They have referred that matter to the Election Commission to take a decision. I am not aware what Election Commission will decide or has decided.

The Mover of the Bill did not say when it was referred to the Election Commission and how long will Election Commission take to take a decision on that subject. But the matter before us is limiting the number of national parties. Two aspects need to be looked into.

One is this. Can we limit the national parties as per the provision that is prevalent today? For that, he has suggested certain amendments in the Representation of the People (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of new section 29AA).

The other aspect is this. Do we benefit if national parties are limited to a certain number or on certain provisions? Today, Bhartiya Janata Party is having

the Government in a number of States. How many States are left? Of course, now, Himachal Pradesh has gone out of the fold of Bhartiya Janata Party. How long will it continue, that is another matter. But starting from Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal and Bihar, these are non-BJP Government States. But the rest have BJP in Government or BJP also is a partner in the Government.

Imagine the situation of 1950 or 1952. An interim Government was there. Then, the first Lok Sabha election was held in 1952 and the Government came. We had Congress-ruled Governments throughout the country. There was a little change in 1957, but since 1952, or from 1947 till 1957, there were only Congress Governments. They decided that the country should have multi-party system, taking into consideration the views of other schools of thought and other peoples' opinion. The Constitution-makers decided on the provisions of a national party and of a provincial party or a State party. They did not restrict it. What was the composition of the Lok Sabha during that period? The late Shyama Prasad Mukherjee was the lone Member from the Jan Sangh. The late Hiren Mukherjee and three others were from the Communist Party of India. Were they not national parties? Today, my friend, Shri Gopal Shetty says – De-recognise them; do not give them the status of a national party. Where have we landed now? After 75 years, do we believe that giving recognition as a national party is choking our democratic system? Is it weakening the representative character of our democracy?

This question also needs to be debated. It is not that simple. When my friend Shri Gopal Shetty moved this Bill, he gave certain conditions for which we should de-recognise them. What are those conditions? But before that I should say, what is a national party? When a party is recognised as a national party, how does it benefit them? A national party has the right to a reserved symbol for its candidates contesting across the country; the party is also entitled to land or a building for its national headquarters; candidates from national parties need only one proposer to file nominations as opposed to two or more. They also get dedicated broadcast slots on Doordarshan and All India Radio during the General Elections. These are the four major or broad benefits a national party has after being recognised as a national party. But I would like to remind this House, before the Anti-Defection Law came into existence, before the Tenth Schedule was added to the Constitution, there was no mention of the word 'party' in the Constitution. 'Party' was not recognised by the Constitution makers. It was never mentioned in the Constitution at all. What was mentioned? 'Association' was the word. When a group of people congregate and they decide to form an association and want to be registered before the Election Commission as a national party or as a State party, recognition is provided on certain conditions. Here, I would say, in the registration of political parties, any association or body of individuals, individual citizens of India -- no mention of party -- calling itself a political party and intending to avail itself of the provisions of this part shall make an application to the Election Commission for its

registration as a political party for the purpose of this Act and this is the Representation of People Act, 1951.

This is the Act. Therefore, I would say that Party is recognised after Tenth Schedule came into existence and there was an amendment subsequently. Perhaps in allocation of election symbols, in 2003 and again in 2005, rules were framed and classification of political parties came into existence there. I quote:

“For the purpose of this order and for such other purposes as the Commission may specify as and when necessary, therefore, arises political parties are either recognised political parties or unrecognised political parties. A recognised political party shall either be a national party or a State party.”

Regarding conditions for recognition, I am referring to Section 6A and I believe the Government will go through it. I find it a little incongruous because in the footnote, it is mentioned as 14th May, 2005 and this is at page 201 of Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968. It is the Statutory Rules and Order. I think there is a mistake here. It should be ‘conditions for recognition as a national party’ but here it is mentioned as ‘a State Party’. It is there in Section 6A.

“A political party shall be eligible for recognition as a State party in a State if and only if any of the following conditions is fulfilled.

1. At the last general election to the Legislative Assembly of the State, the candidate set up by the Party have secured not less than six per cent of the total valid votes of the State and in addition, the

Party has returned at least two Members to the Legislative Assembly of the State at such general election

2. Or at the last general election to the House of the People, from that State, the candidate set up by the Party have secured not less than six per cent of the total valid votes polled in the State and in addition, the Party has returned at least one Member to the House of People from that State at such general election.”

There are two other points also. It will be recognised as a State Party in that particular State. And what is our amendment that we are deliberating here? The amendment is ‘the number of members belonging to the political party in the House of the People is not less than ten per cent of the total number of seats in the House of the People and the second one is, ‘have been elected from not less than one-fourth of the total number of States’. These are the two major amendments which Shri Gopal Shetty, hon. Member, has moved. It is ‘not less than ten per cent of the total number of seats in the House and have been elected from not less than one-fourth of the total number of States’. Then, it gets a national character. That is the idea behind this. Then he comes to say: ‘At the last general election to the Legislative Assembly, the candidates set up by the political party secure not less than 16 per cent of total valid votes.’

As I said earlier, the basic idea which I understand with my limited knowledge is that perhaps the mover of this Bill does not want a multi-party

system in this country. He has mentioned about the national party. But the hidden agenda which I believe is not to have a multi-party system in the country.

Is it advisable in a vibrating democracy? Our hon. Prime Minister is repeatedly saying that we have a vibrant democracy. And here, one of his party Members wants to limit the number of parties. My opinion is, when two members can form an association, why should we restrict them? The power is with the people. They may elect them or they may just reject them. Is it this House which had elected two Members of Bharatiya Janata Party? Was it derecognised then? It was not. Subsequently, what is the present position of Bharatiya Janata Party in our country? It has more than 300 Members in this House. So, it should be left to the people to decide. Why should we restrict the recognition of a political party through an Act? This is my first point of contention.

Sir, as per the Election Commission, a political party shall be eligible to be recognized as a national party if:-

- (i) It secures at least six per cent of the valid votes polled in any four or more States, at a general election to the House of the People or, to the State Legislative Assembly; and
- (ii) In addition, it wins at least four seats in the House of the People from any State or States or it wins at least two per cent seats in the House of the People and these Members are elected from at least three different States.

We have all witnessed the time when Communist Party of India got divided in 1964. One part was CPI(M) and another part was CPI. Shri Indrajit Gupta was leading his Party in this House. Shri Hiren Mukherjee used to sit in

the right side of this House. They were stalwarts adhering to democratic norms and fervour and ventilating the people's point of view. But at another point of time, their party got diminished. We still have some Members from that party in this House.

I would say that it was a national party. When it lost its position for different reasons in a number of States, it also lost the recognition of national party. The same thing also happened with Swatantra Party. It also lost the recognition of national party.

So, I would say that there are provisions in our Constitution. There is no need to have this type of amendment. My point is that perhaps the mover of this Bill wanted to have an academic discussion here. But the moot question is that only after the 10th Schedule, party was recognised in our Constitution. Party Whip was given much importance. Individual liberty got curtailed in the House. Whatever is to be said in the House, it has to be dictated by the Leader of the party. That is how we have progressed since 1985 during the time of Shri Rajiv Gandhi when the Congress had a two third majority in this House.

Subsequently, another amendment also came in, which I just now mentioned. But the party recognised by the Election Commission is nothing but an association of persons. A single person cannot form a party. But a single person can represent the people in this House.

I would humbly tell my good friend, the mover of this Bill, Gopal Shetty-ji, that ours is a very large country, and it has different types of people who want to

maintain their identity. Should we derecognise them saying, 'you are not a national party?'

Sir, the glaring example is All India Anna DMK party. It is an 'All India' Anna DMK. Similarly, there is the All India Trinamool Congress. And, in how many States are they present? But they are 'All India' parties. They might not be national parties, I am not aware about it. I think, Shri Gopal Shetty may do certain investigation on that aspect, but my humble request is: "Do not restrict the number." I am always for the multi-party system in our country, and that is the reason we have thrived for the last 75 years.

Now, I would come to my last point. It was during Ashoka's time, some 2,400 years ago, the landmass that today India is, or a little more than that, was under one Government, one King and that was Ashoka.

Subsequently, after that, for more than 2,400 years – if we leave out 1947 – the India that is carved out today, at no point of time, or even during the Mughals about which we read so many things in our history books, it was never under one Government. It was only after Independence, because of our due to the struggle of our freedom fighters, Constitution makers, and stalwarts of our country, that this country got united under one Government.

We had Provincial Government. But the Union Government is one and it is still vibrant because we have the multi-party system. We are not restricting people from association. And, if this is so, my good friend should also understand it. We may have deliberations on this Bill for academic interest. But

this is not the time to bring this Bill because it will not be for the benefit of our country's democratic temper.

Thank you, Sir.

SHRI GOPAL SHETTY: Sir...

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बाद में भी बोल सकते हैं। While replying to the debate, you may cover his point also.

SHRI GOPAL SHETTY: Okay.

HON. CHAIRPERSON: You may please note down whatever the hon. Members have said in this debate, and in the end in your reply you may cover all the points. क्या अभी आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री गोपाल शेटी : महोदय, जी हां।

माननीय सभापति : ठीक है।

श्री गोपाल शेटी: महोदय, हम सभी लोग श्री भर्तृहरि महताब जी का बहुत सम्मान करते हैं। वे बहुत स्टडी करते हैं, बैठते हैं, विषय को समझते हैं और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने मुझे इसमें एड कर दिया है। जब संविधान लिखा गया था, तो उस समय के लोगों ने भी इस बात पर विचार किया था कि इतने बड़े देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां होनी चाहिए। एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, चार होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर डिस्कशन और डेलिबरेशन के बाद तय हुआ कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए और उसी हिसाब से देश चल रहा है।

हम वर्तमान में जो अनुभव पा रहे हैं, मैंने उस अनुभव के आधार पर ये कहा है कि जब कोरम होने के लिए इतनी संख्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत वोट मिलने चाहिए, कितने राज्यों में उसके कितने एमएलएज़ होने चाहिए, कितने एमपीज़ होने चाहिए। इसका एक मापदंड बना हुआ है। उसी तरह से लोक सभा में भी उसके इतने मेंबर्स होंगे, तब उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे खुले विचारों वाली पार्टी है,

क्योंकि हम तो किसी को बड़ा होने से कभी नहीं रोकते हैं। On the contrary, we have supported all the political parties to become big in numbers.

हम एक नहीं इस तरह के 10 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। 130 से 135 करोड़ जनता वाले इस भारत देश में आने वाले दिनों में कोई भी कुछ भी कहकर चुनाव जीतकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं तो उसके लिए मैंने यह कहा था कि हम लोगों को इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने यह भी कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बैठकर इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए। मेरी जो सोच है, उसे मैंने जाहिर किया था। मैंने कहा है कि डिस्कशन और डेलिब्रेशन के माध्यम से ही जागृति आएगी। मैंने ये सारी बातें बताई थीं। इसलिए मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी नॉलेज को और बढ़ा दिया है। जब संविधान लिखा गया था, तब भी लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। अगर इतने समय के बाद भी हम इसको टच नहीं करेंगे तो यह अन्याय हो जाएगा।

माननीय सभापति: आपका राइट टू रिप्लाई है। जब बाद में चर्चा हो चुकी होगी, तब आप अपनी टिप्पणी दे दीजिएगा।

श्री अब्दुल खालेक जी।

... (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman, I have to say something. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please send your name first. Then only we will call you.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please send your name to the Chair. Then only, you will be allowed to speak. Now, Abdul Khaleque ji.

... (*Interruptions*)

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति महोदय, मेरे सांसद साथी गोपाल जी यहां पर जो बिल लेकर आए हैं, इस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

भर्तृहरि महताब जी ने इस बिल के बारे में बताया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है और अगर यह बिल पास होता है तो इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश होगी। इस बिल के पास होने से देश में तानाशाही बढ़ेगी। दुनिया में चाइना इसका उदाहरण है। इसके अलावा और भी कुछ देश हैं, जहाँ वन पार्टी सिस्टम है। मुझे लग रहा है कि हम वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जितने मत, उतने पद की है। विभिन्नता हमारी संस्कृति का अंश है। इस बिल में जो कहा गया है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए लोक सभा में कम से कम 1/10 मैम्बर्स होने चाहिए। प्रेजेंट लोक सभा में विपक्ष में मेरी पार्टी के भी 1/10 मैम्बर्स नहीं हैं। हमें ऑफिशियली विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला है। जब ऑफिशियली विपक्ष का दर्जा नहीं मिलता है और जब यह प्रोविजन पास हो जाएगा तो नेशनल पार्टी बनना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कहा गया है कि हमारे जितने राज्य हैं, उनमें से 4 राज्यों में से चुनकर आना होगा। यह भी प्रोविजन ठीक नहीं है। जैसा कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी के इस पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मैम्बर्स रहे थे, लेकिन आज इस पार्टी के 300 से ज्यादा मैम्बर्स हैं। चुनाव में कब क्या होगा किसी को नहीं पता है। जैसे यहां पर अभी मान साहब हैं। मान साहब कुछ समय पहले यहां पर नहीं थे। पंजाब में जब विधान सभा चुनाव हुए थे तो उसमें भी मान साहब की पार्टी के एक भी विधायक नहीं जीते, लेकिन वहां पर सारी नेशनल पार्टी को हराकर, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी पार्टी को हराकर, जहां से मुख्य मंत्री जी सांसद थे, उस सीट से जीतकर आए हैं।

यही हमारे लोकतंत्र की महिमा है। इसलिए मेरे विचार में जो प्रॉविजन हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, 1955 में है, वही ठीक है। कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन अगर इतना रिजिड अमेंडमेंट होगा, जिससे नेशनल पार्टी बनना ही मुश्किल हो जाए तो उसमें दिक्कत है। महताब जी ने नेशनल पार्टीज के बेनिफिट्स के बारे में बताया। एक बेनिफिट, जो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई

भी पोलिटिकल पार्टी लेना चाहेगी, वह है दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकॉस्ट । यह मिलता जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी अभी दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो पर डिपेंडेंट है। अभी यहां बहुत सारी बातें हुई हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी ऐसी एक इनक्वायरी होनी चाहिए कि एडवर्टीजमेंट पर, विज्ञापन पर कौन सी पोलिटिकल पार्टी ने कितना खर्च किया, किस सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि टैक्सपेयर्स जो टैक्स देते हैं, उससे सरकार चलती है। आजकल केन्द्र सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, ऐसी स्थिति बन गई है कि सत्ता में आने के लिए, हिताधिकारी बनाते हैं तो वह दूसरी बात है, लेकिन सत्ता में आने के लिए ऑफिशियली या नॉन-ऑफिशियली, दोनों तरह से बहुत से एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, जो टैक्सपेयर्स की मनी से होता है। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, गोपाल जी ने विश्वगुरु बनने की बात कही, स्वामी जी को भी कोट किया। देखिए, विश्वगुरु बनने की बात हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आज मेरा एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था। उसके उत्तर में विदेश मंत्री जी ने वर्ष 2015 से अभी तक के बारे में बताया है। वर्ष 2015 में 1 लाख 31 हजार 489 लोगों ने हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी। दूसरे वर्ष, 2016 में 1 लाख 41 हजार 603 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तीसरे वर्ष, 2017 में 1 लाख 33 हजार 49 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। उससे अगले वर्ष में 1 लाख 34 हजार 561 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। उसके बाद के वर्ष में 1 लाख 44 हजार 70 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। वर्ष 2021 में 1 लाख 63 हजार 370 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। वर्तमान साल में, वर्ष 2022 में अक्टूबर महीने तक 1 लाख 83 हजार 741 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी और नागरिकता कितने लोगों ने ली? सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2019 में पास हुआ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों की बात अलग है। इन तीन देशों को छोड़कर वर्ष 2015 से 2022 तक बाहर के एक हजार लोगों ने भी हमारे देश की नागरिकता नहीं ली है। वर्ष 2015 में 93 लोगों ने, वर्ष 2016 में 153 लोगों ने और वर्तमान वर्ष में 63 लोगों ने हमारे देश की नागरिकता ली। हमारा देश विश्वगुरु तब बनेगा, जब हमारे देश की नागरिकता कोई नहीं छोड़ेगा और जितने लोग छोड़ेंगे, उनसे दस गुना ज्यादा लोग, जो यहां

इनवेस्ट कर सकें, वे हमारे देश की नागरिकता के लिए दरखास्त करेंगे, हम उन सभी को नागरिकता दें या न दें, वह अलग बात है। तब हमारा देश विश्वगुरु जरूर बन जाएगा।

स्वामी जी की बात अलग थी। स्वामी जी कहते थे – ‘यत्र जीव, तत्र शिवः’ अर्थात् जहां जीव है, वही शिव है। लेकिन आज जो सरकार चल रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यह सरकार का बिल नहीं है, लेकिन गोपाल जी बार-बार बीजेपी का नाम ले रहे थे। आज जो सरकार चला रहे हैं, वे लोग इसे नहीं मानते हैं। ‘जहां जीव है, वही शिव है’ – वे इसे नहीं मानते हैं। गृह मंत्री जी ने बोल दिया कि गुजरात में सरकार ने एक सबक सिखाया था। सरकार सबकी होती है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर सरकार किसी को या किसी समुदाय को सबक सिखाने की बात करेगी तो यहां पर लोगों का विश्वास कैसे रहेगा?

अभी गुजरात में बिलकिस बानो के केस में लोगों को रेमिशन मिली। हरियाणा में 29 नवंबर को एक रेप केस हुआ और 13 साल की लड़की का कत्ल हुआ। रेप के केसेज भी बढ़ रहे हैं। हमें वह वातावरण तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महिलाओं के खिलाफ क्राइम टूटे, बढ़े नहीं। हमें यह भी काम करना होगा। उसके साथ-साथ एक लोकतांत्रिक परिवेश हो और उस लोकतांत्रिक परिवेश में सभी लोग अपना मत रख सकें, अपने मत को आगे ले जा सकें। हमें ऐसा परिवेश बनाना होगा। सिर्फ मुंह से बोलने से यह नहीं होगा कि सबका साथ, सबका विकास, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास काम में करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट का जो प्रोविज़न है, वह बरकरार रहना चाहिए। उसमें हर जगह एक सा होना चाहिए। जब आम चुनाव पार हो जाते हैं, उसके बाद रिव्यू जरूर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, उसका नेशनल पार्टी का दर्जा है या नहीं है। यह रिव्यू जरूर होना चाहिए।

इतनी कड़ी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि नई नेशनल पार्टी न बने और इतनी कड़ी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि स्टेट पार्टी न बने। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, अभी गोपाल जी ने टैक्सपेयर मनी की बात बताई है। हम लोगों की ऐसी अथॉरिटी कब बनेगी, जब सारे लोग अपने ऊपर डिपेंड होंगे। प्रधान मंत्री जी ‘आत्मनिर्भर भारत’ की बात बोलते हैं, लेकिन अभी भी

हिताधिकारी बन रहे हैं। क्या हिताधिकारी की जरूरत है? मैं यही कहता हूँ कि हिताधिकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन हिताधिकारी कब आत्मनिर्भर होगा, वह भी देखना है। उसके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है? वह भी ठीक करना होगा। महोदय, यहां पर एंटी-डिफेक्शन लॉ की चर्चा हुई। राजीव जी यह कानून तब लेकर आए थे, जब राजीव जी का इस हाउस में पूरा बहुमत था। आज क्या हुआ? आज एंटी डिफेक्शन लॉ की कोई कद्र नहीं है। आज सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? हमें मध्य प्रदेश में यह दिखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के विधायक को रिजाइन करवाया और अपनी पार्टी में जॉइन करवा लिया। हम लोगों ने कर्नाटक में वही चीज देखी और दूसरे राज्यों में भी वही चीज देखी। एक कहावत है कि बाली के लिए जो है, वही सुग्रीव के लिए भी है। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में भी देखा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक को ले लिया, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडी (एस) के विधायक को ले लिया, उसी तरीके से ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के विधायक को ले लिया। यह रिपीट होता है। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ की कद्र होनी चाहिए। आम चुनाव में पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो, उन चुनावों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग उनके एजेंडे पर चुनकर भेजते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सिर्फ सरकार बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ना बेबुनियाद और गलत है। यह लोकतंत्र को कमजोर करता है। अभी महताब जी ने शंका बताई कि हिमाचल की सरकार कितने दिन रहेगी। यह ठीक ही बताई है, क्योंकि अभी केन्द्र में जो सरकार है, इस सरकार का कोई ठिकाना नहीं है। ये सरकार कभी भी हिमाचल की सरकार, जो कांग्रेस की चुनी हुई सरकार है, उसे गिराने का काम कर सकती है, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन कानून है, इन लोगों को उस कानून की कद्र नहीं है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ ... (व्यवधान) वह अपने नहीं जाएगी। महोदय, सरकार का अपने आप जाना तो दूसरी बात है, अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब कानून मजबूत होगा और हमारी वैल्यूज मजबूत होंगी। आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्र कब मजबूत होगा? जब राष्ट्र की सभी व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी, तब राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। मुंह में आप लोग राष्ट्रवाद बोलेंगे और ऐसे काम करेंगे कि राष्ट्र कैसे कमजोर होगा तो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं होगा।

उस पक्ष और इस पक्ष की बात नहीं है, मजहब की बात नहीं है, सारे भारतीय चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि भारत दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बने। उसके लिए सारे लोगों को काम करना होगा। अगर हम सारे वैल्यूज, कानून और व्यवस्था को तोड़ेंगे, तो यह देश कैसे मजबूत होगा? देश तभी मजबूत होगा, जब हम सभी वैल्यूज, कानून और सिस्टम को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सभापति महोदय, गोपाल शेटी जी ने रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल (अमेंडमेंट), बिल प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अपने विचारों को रखना चाहता हूँ। गोपाल जी ने अपनी बात रखने के समय परसेंटेज और सीट्स के तालमेल को सामने रखा है, लेकिन हमारे मित्र खालेक साहब वैल्यूज की बात कर रहे थे। मैं वैल्यूज से ही अपनी बात शुरू करूंगा कि जब अटल जी की सरकार नहीं रही, तो उसके बाद स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने इस सभागृह के पटल पर एक बात को रखा कि हमारी लोकशाही किस तरह से चलती है कि उस वक्त सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी था और वह विपक्ष में था। दूसरे नम्बर का दल कांग्रेस था, जो सरकार में तो था, लेकिन वह सरकार के बाहर था। तीसरे नम्बर का दल लेफ्ट पार्टीज थे, जो सरकार के अंदर थे और सरकार के भागीदार थे। उस वक्त सिंगल पर्सन सदस्य थे, वे सरकार के अंदर थे और सरकार में मंत्री थे। चाइना में डेलीगेशन गया था और चाइनीज डेलीगेशन के सामने अपनी बात को रखते हुए, उन्होंने यह बताया था। इस सभागृह में आदरणीय महाजन जी ने उस बात को बताया था। आप जिस वैल्यू की बात करते हैं, तो देश चंद्रशेखर जी की सरकार को नहीं भूला है, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को नहीं भूला है, कांग्रेस की भूमिका उस वक्त क्या थी, उस बात को भी आज तक नहीं भूला है। पर, जब आप वैल्यू की बात करते हैं, तो गोपाल शेटी जी का जो मुद्दा है, वह इसी मुद्दे पर आधारित है। जब कथनी और करनी में फर्क हो जाता है, तो कथनी और करनी को सही कैसे करना चाहिए, इस बात पर आधारित यह मुद्दा है। पीपल रिप्रजेंटेशन एक्ट में जवाबदेही भी होनी चाहिए। जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, तो जवादेही के बारे में आदरणीय शेटी जी ने कहा है कि चुन कर आने के बाद, खालेक जी अभी आपने महाराष्ट्र में खेल देखा है, वह आपकी ही पार्टी थी। जो एनसीपी-कांग्रेस और

शिवसेना-बीजेपी गठबंधन बना कर सामने-सामने लड़े और जैसे ही विधान सभा का चुनाव खत्म हुआ, मौकापरस्त कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ सरकार बना ली। उदाहरण काफी पुराना नहीं है, यह ताजा ही है। मैं आपके सामने ताजी बात को ही रखता हूं कि जब इस सर्वोच्च सभागृह में मोराल वैल्यूज की बात करते हैं, तो कांग्रेस को मोराल वैल्यूज के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब हम अपनी बात को रखते हैं, तो पीपल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में क्या बदलाव होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। गोपाल जी ने बिल में कहा है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स के आधार पर, 16 फीसदी वोट के आधार पर डिपॉजिट जब्त हो जाती है, इतने वोट्स किसी उम्मीदवार को नहीं पड़ते हैं, तो 6 परसेंट वोट पाने वाली पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, इसके बारे में गोपाल जी ने अपने बिल में कहा है।

मैं महताब जी की बात भी सुन रहा था। इन्होंने इस सभागृह का काफी अच्छा मार्गदर्शन किया है। महताब जी व्यवस्था के ऊपर उठ कर, आजादी के समय से जो व्यवस्थाएं बनी हैं, उसके ऊपर उठ कर, हम कभी सोचेंगे या नहीं, यह आज का मुद्दा है। कोई नेशनलाइज पार्टी कम करने का मुद्दा इसमें नहीं है। राजकीय पक्षों की लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़े, यह मुद्दा इस बिल में लाया गया है।

गोपाल जी ने फ्रीबीज की बात कहा है। खालेक साहब, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आपकी ही पार्टी थी, वह चुनाव लड़ी। सभापति महोदय, यह इंटरैस्टिंग किस्सा है।

माननीय सभापति महोदय, यह इंटरैस्टिंग किस्सा है। महाराष्ट्र के विधान सभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी एक एजेंडा के आधार पर लड़ी। उस एजेंडा में कहा गया था कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए इतने साल तक की, साल 2000 तक की झुग्गी बस्तियों को रेगुलराइज करेंगे। सरकार चुनकर आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने लोगों से कहा कि that was a printing mistake. साल लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। इस तरह की बातें तो हमने महाराष्ट्र के अन्दर देखी हैं। हमने कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखा है। ये लिखते हैं एक बात और चुनाव में जीतकर आने के बाद उन्हीं झुग्गी बस्ती वाले लोगों को कहते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, हम वायदा भूल गये हैं, आप भी भूल जाओ। इस तरह की बात को कांग्रेस ने हमेशा दोहराया है।

माननीय मोदी जी ने जब हाउसिंग फॉर ऑल कहा तो सामान्य आदमी को घर देने के लिए चाहे केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या अर्बन लोकल बॉडीज हों, सभी ने कानूनों में बदलाव करके लोगों को घर मुहैया कराने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हुआ है, जिसकी मिसाल आपके सामने है।

जब किसी पार्टी ने फ्री बिजली देने की बात की, किसी पार्टी ने फ्री पानी देने की बात की, लेकिन चुनकर आने के बाद वह पार्टी उस बात को पूरा नहीं करती है, तो उसके रेकॉग्नाइजेशन का क्या होगा, यह सवाल भी हमें करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम पीपल रेप्रजेंटेशन एक्ट की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है कि जब हम चुनाव रिफॉर्म्स की बात करते हैं, श्री महताब जी, आप भी ध्यान दीजिए, जब हम चुनाव में जाते हैं, पिछली बार प्राइवेट मेम्बर्स बिल के रूप में कम्पलसरी वोटिंग का बिल लगा था, लेकिन आज की हमारी चुनाव व्यवस्था क्या है? आज की हमारी चुनाव व्यवस्था यह है कि सबेरे सात बजे से लेकर शाम को छः बजे तक यानी 11 घंटे की वोटिंग व्यवस्था है। अगर 11 घंटे की वोटिंग व्यवस्था में हम यह सोचते हैं कि हजार लोगों के बूथ पर सारी वोट पड़ जाएंगी, तो यह असंभव है। यह इसलिए असंभव है क्योंकि एक मतदाता को बूथ के अन्दर जाकर और वोट देकर बाहर आने में कम से कम एक मिनट का समय तो लगता ही लगता है। हमारी व्यवस्था 660 मिनट की है। हम 660 मिनट में अगर 660 वोट डाल सकते हैं, तो जिस दिन हम लोग कम्पलसरी वोटिंग लागू करेंगे, तो एक हजार लोगों के लिए 14 या 15 घंटे की मतदान व्यवस्था करनी होगी। क्या हम इसके बारे में कभी सोचेंगे, क्या हम इस व्यवस्था को स्ट्रेंडन करने के लिए सोचेंगे? श्री गोपाल जी टैक्स पेयर्स मतदाताओं की बात कही, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह नागरिकों का अधिकार है। पाँच साल में वह अपने इस अधिकार का प्रयोग तीन बार करता है- लोक सभा के चुनाव में, राज्य की विधान सभा के चुनाव में और अर्बन लोकल बॉडीज या ग्राम पंचायत के चुनाव में। लेकिन तीनों बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही भारत देश के अन्दर उस मतदाता को क्या फैसिलिटी मिलती है?

जब वह लाइन में खड़ा रहता है, तो धूप में पसीने से लथपथ होकर वह इस आशा में मतदान करने के लिए जाता है कि मैं जिसको मतदान कर रहा हूँ, वह इस देश का भाग्यविधाता बनेगा, वह मेरे प्रदेश का भाग्यविधाता बनेगा।

श्री खालेक जी, आपने जो बात कही कि विश्वगुरु के पद पर भारत कब जाएगा, तो माननीय मोदी जी के प्रयासों से आज भारत के नागरिकों को विश्व में एक पहचान मिली है। भारत अपनी पहचान को खोज रहा था और आज भारत को एक पहचान मिली है।

आपने आंकड़े बताए कि इतने लोगों ने भारत छोड़ दिया, इतने लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप नागरिकता छोड़ने वाली बात कहते हैं, तो उसके साथ-साथ इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व में आज हर तीसरा डॉक्टर भारतीय है, हर दूसरा इंजीनियर भारतीय है। नासा में सभी क्षेत्रों में आज भारतीयों का डंका है। भारतीय नागरिक न केवल भारत के अन्दर, बल्कि विश्व के सभी देशों में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित हुए हैं। चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, वह अपनी बात को बखूबी रखता है और ईमानदारी से अपना काम करता है, इसीलिए भारत विश्व गुरु के पद पर पदस्थापित होने जा रहा है। यह उसका प्रमाण है।

आप नागरिकता के आंकड़े गिना रहे थे, नागरिकता क्यों कम हुई, मैंने उसका उत्तर दिया है। जो लोग नॉन-रेजिडेंट इंडियन बनकर अलग-अलग देशों में अपनी-अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके योगदान को भी भारत ने सराहा है, माननीय मोदी जी ने उन्हें सराहा है और उसके कारण ही विश्व में हमारे देश के 130 करोड़ लोगों का सिर गर्व से ऊँचा होता है जब हमारा भारतीय भाई किसी कम्पनी का सीईओ बनता है, जब हमारा भारतीय भाई नासा में बड़े वैज्ञानिक के पद पर जाता है। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक भारतीय मूल का नागरिक जा सकता है और इंग्लैंड में भारतीय मूल का नागरिक प्रधानमंत्री बनता है, इसका हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारतीय मूल की पहचान बढ़ रही है। हम विश्व गुरु के पद पर पदस्थापित हो रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति जी, आपने मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपल एमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। इत्तेफाक से आज ही आपने मुझे अनुमति दी क्योंकि मैंने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए एक प्राइवेट मैम्बर बिल इंट्रोड्यूज किया है जिसमें ईवीएम द्वारा जो चुनाव होता है, उसे वापस बदलकर बैलेट से चुनाव कराए जाने की बात कही है और इस बिल को आपने मुझे इंट्रोड्यूज करने की अनुमति दी... (व्यवधान)

सभापति जी, डिजिटल इंडिया तो ठीक है, लेकिन आज डिजीटल वर्ल्ड हो गया है और उसी डिजिटल वर्ल्ड की कंट्रीज, जहां ज्यादा डिजिटाइजेशन है, वे हमसे ज्यादा आगे हैं और विकसित देश हैं, वहां ईवीएम मशीनों को रद्द करके वापस बैलेट पेपर्स से ही चुनाव कराए जा रहे हैं और जनता का विश्वास बार-बार ईवीएम द्वारा चुनावों से हट रहा है, उससे कहीं न कहीं शक पैदा हो रहा है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। हमारा देश मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर और उनके साथियों ने बहुत सोच-समझकर यह संसदीय प्रणाली देश को दी। आप पिछले दो दिनों से देख रहे हैं जिस तरह से मीडिया में गुजरात के रिजल्ट आने के बाद से चल रहा है कि कैसे एक पार्टी ने सभी को स्वीप कर दिया है और जैसे देश में कोई दूसरी पार्टी या नेता है ही नहीं। तीन जगह आपकी सरकारें थीं। गुजरात में भी आपकी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली काॅर्पोरेशन में भी आपकी सरकार थी। दो जगह आप हारे और एक जगह जीते, लेकिन आप नेरेटिव ऐसा बना रहे हैं कि देश में विपक्ष बचा ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

सभापति जी, पता नहीं ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वालों को क्या आपत्ति हो जाती है कि जब मैं इनके एजेंडे को एक्सपोज करने के लिए खड़ा होता हूं, तभी ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं... (व्यवधान) यदि मैं एक बात कह दूं तो बात बहुत हल्की हो जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी-छोटी जगहों पर बीच-बीच में जीताते रहो और जब मलाई काटने का समय आए तो आप मलाई खाते रहो... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलिए और चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: महोदय, मैं लगातार चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव सुधार का कार्य होना चाहिए। इस देश में चुनाव के अंदर यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से है कि किस पार्टी को कितना चंदा कार्पोरेट हाउसेस देते हैं, कितना चंदा इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से मिलता है। यह चोरी का रास्ता हमने यहां से निकाल करके दे दिया। सबसे पहले चुनाव सुधार पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में होना चाहिए। फाइनेंस बिल के माध्यम से आपकी सरकार इलेक्टोरल बांड्स को लाई थी। आप कहते हैं कि वन पार्टी रूल इस देश में रहे, इसलिए इस तरह का बिल ला रहे हैं।

माननीय सभापति : क्या आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं या अगली बार बोलना चाहते हैं?

कुंवर दानिश अली: मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति : यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय माननीय सदस्य की बात समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

माननीय सभापति : दानिश अली जी, आप बोलिए।

कुंवर दानिश अली: महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देश में है और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए यदि आप इतनी कंडिशनस लगा रहे हैं, तो ठीक नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी बनने से क्या फर्क पड़ता है? यदि मल्टी पार्टी नहीं होती, गुजरात में दो पार्टी नहीं लड़तीं, तो आज आप यह जश्न नहीं मना रहे होते। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब यह है कि एक सिम्बल रिजर्व हो जाता है।... (व्यवधान) मैं गृह राज्य मंत्री जी से कह रहा हूँ कि विपक्ष ने कितनी बार मांग की है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात शीघ्र समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली: महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सुधार होना चाहिए, लेकिन इस तरह की कंडिशनस नहीं होनी चाहिए। आपकी सरकार फुल मेजोरिटी के साथ है। यह ठीक है कि इंडिविजुअल मैम्बर का अधिकार होता है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार भी यह बिल ला सकती है। सदन में एक और अच्छी बात हुई कि एक और प्राइवेट मैम्बर बिल पापुलेशन कंट्रोल के बारे में आया।

18.00 hrs

मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे ऐसे साथी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, जिसके खुद 4 बच्चे हैं और वह कह रहे हैं कि एक से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए और वह रूलिंग पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नैरेटिव सेट करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।

माननीय सभापति : कृपया कनक्लूड करें।

कुंवर दानिश अली: सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन चुनाव सुधार के जो बड़े कार्यक्रम हैं, उनके लिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह अपील है कि सरकार एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाए, जिसमें चुनाव सुधार का कार्यक्रम हो। वन पार्टी रूल का सपना ये देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें जो आजादी दिलाई, जो संविधान बनाया, उसे लगातार डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश ये कर रहे हैं, वह नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[کنور دانش علی (امروہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ریپریزینٹیشن آف دی پیوپل امینڈمینٹ بل پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اتفاق سے آج ہی آپ نے مجھے اجازت دی، کیونکہ میں نے پیوپل ریپریزینٹیشن ایکٹ میں امینڈمینٹ کرنے کے لئے ایک پرائیویٹ ممبر انٹروڈیوز کیا ہے جس میں ای۔وی۔ایم۔ کے ذریعہ جو انتخابات ہوتے ہیں اسے

واپس بدل کر بیلٹ سے انتخاب کرانے کی بات کہی ہے۔ اور اس بل کو آپ نے مجھے انٹروڈیوز کرنے کی اجازت دی۔ (مداخلت)۔

چیرمین صاحب، ڈیجیٹل انڈیا تو ٹھیک ہے، لیکن آج ڈیجیٹل ورلڈ ہو گیا ہے، اور اسی ڈیجیٹل ورلڈ کے ممالک، جہاں زیادہ تر ڈیجیٹائزیشن ہے، وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں۔ اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں ای۔وی۔ایم۔ مشینوں کو رد کر کے واپس بیلٹ پیپر سے ہی چناؤ کرائے جا رہے ہیں۔ اور عوام کا یقین بار بار ای۔وی۔ایم کے ذریعہ چناؤ سے ہٹ رہا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں شک پیدا ہو رہا ہے، اس لئے اس میں امینڈمینٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارا ملک ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ہے۔ آئین کے نرمتا بابا صاحب، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ آئینی نظام ملک کو دیا ہے آپ پچھلے دو تین دنوں سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے میڈیا میں گجرات کے نتائج آنے کے بعد سے چل رہا ہے جیسے ایک پارٹی نے سبھی کو سویپ کر دیا ہے، اور ملک میں کوئی دوسری پارٹی یا نیتا ہے ہی نہیں۔ تین جگہ آپ کی سرکاری تھیں۔ گجرات میں بھی آپ کی سرکار تھی، ہماچل پردیش میں بھی آپ کی سرکار تھی، اور دہلی کارپوریشن میں بھی آپ کی سرکار تھی۔ دو جگہ آپ ہارے اور ایک جگہ جیتے ہیں۔ لیکن آپ نیریٹیو ایسا بنا رہے ہیں کہ ملک میں اپوزیشن بچی ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ (مداخلت)۔

محترم چیرمین صاحب، پتہ نہیں ٹریزری بینچز پر بیٹھنے والوں کو کیا پروہلم ہو جاتی ہے کہ جب میں ان کو ایجینڈے کو ایکسپوز کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہوں، تبھی یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ (مداخلت)۔ اگر میں ایک بات کہہ دوں تو بات بہت ہلکی ہو جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوٹی چھوٹی

جگہوں پر بیچ بیچ میں جتاتے رہو اور جب ملائی کاٹنے کا وقت آئے تو آپ ملائی کھاتے رہو (مداخلت)۔

جناب، میں لگاتار چیر کو ہی ایڈریس کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ذریعہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چناؤ سُدھار کا کام ہونا چاہئیے۔ اس ملک میں چناؤ کے اندر اگر سب سے بڑا بھر شٹاچار ہے تو الیکٹورل بائنڈس کے مادھیم سے ہے کہ کس پارٹی کو کتنا چندہ کارپوریٹ ہاؤسس دیتے ہیں، کتنا چندہ الیکٹورل بائنڈس کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ یہ چوری کا راستہ ہم نے یہاں سے نکال کر دے دیا ہے۔ سب سے پہلے چناؤ سُدھار پیوپل ریپریزینٹیشن ایکٹ میں ہونا چاہئیے۔ فائنس ہل کے ذریعہ سے آپ کی سرکار الیکٹورل بائنڈس کو لائی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ون پارٹی رول اس ملک میں رہے، اس لئے اس طرح کا ہل لا رہے ہیں۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ملک میں ہے اور راشٹریہ پارٹی بنانے کے لئے اگر آپ اتنی کنڈیشن لگا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ راشٹریہ پارٹی بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ملٹی پارٹی نہیں ہوتی تو گجرات میں دو پارٹی نہیں لڑتی تو آج آپ یہ جشن نہیں منا رہے ہوتے۔ راشٹریہ پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیمبل ریزرو ہو جاتا ہے (مداخلت)۔ میں گرہ راجیہ منتری جی سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن نے کتنی بار مانگ کی ہے۔

جناب، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پیوپل ریپریزینٹیشن ایکٹ میں سُدھار ہونا چاہئیے، لیکن اس طرح کی کنڈیشنس نہیں ہونی چاہئیے۔ آپ کی سرکار فُل میجوریٹی کے ساتھ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انڈیوجول ممبر کا حق ہوتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار بھی یہ ہل لا سکتی ہے۔ ایوان میں ایک اور اچھی بات ہوئی کہ ایک اور پرائیویٹ ممبر ہل پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں

آیا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے ایسے ساتھی نے اسے انٹرویوز کیا ہے، جن کے خود 4 بچے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے اور وہ رولنگ پارٹی کے ہیں، بی-جی-پی کے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نیریٹیو سیٹ کرنے کے لئے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔

چیرمین صاحب، میں یہی کہوں گا کہ پیوپل ریپریزینٹیشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے، لیکن چناؤ سڈھار کے جو بڑے کام ہیں، ان کے لئے آپ کے ذریعہ سے میری سرکار سے اپیل ہے کہ سرکار ایک بڑا کامپری ہینسو بل لائے، جس میں چناؤ سڈھار کا کاریکرم ہو۔ ون پارٹی رول کا خواب یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو آزادی دلائی ہے، جو آئین بنایا ہے، اسے لگاتار برہار کرنے کی جو یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔

[[ختم شد]]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.02 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, December 12, 2022/ Agrahayana 21, 1944 (Saka)*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
